Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

‘मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया’

मोदी सरकार में बदलाव के पाँच वर्ष

‘मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया’ पुस्तक का संक्षिप्त संस्करण

मोदी सरकार में बदलाव के पाँच वर्ष

संपादक

बिबेक देबरॉय

अनिर्बान गांगुली

किशोर देसाई

विषय सूची

परिणाम और सुधार 1

अध्याय 1: आर्थिक विकास 2

अध्याय 2: भारत को कौशलपूर्ण बनाना 6

अध्याय 3: रोजगार आंकलन 8

अध्याय 4: कराधान 13

अध्याय 5: आधार, विमुद्रीकरण और डिजिटाइजेशन 18

अध्याय 6: बैंकिंग सेक्टर 24

अध्याय 7: दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) 28

अध्याय 8: राजकोषीय नीति 32

अध्याय 9: व्यापार सुगमता 34

अध्याय 10: रियल एस्टेट 38

अध्याय 11: सागरमाला एवं नीली अर्थव्यवस्था 43

अध्याय 12: शहरी भारत का कायाकल्प 47

अध्याय 13: सड़कें 51

अध्याय 14: बिजली सेक्टर 57

अध्याय 15: नमामि गंगे 58

अध्याय 16: स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) 63

अध्याय 17: स्वास्थ्य सेक्टर 66

अध्याय 18: उच्च शिक्षा 74

अध्याय 19: कृषि एवं किसानों की आय 81

अध्याय 20: मेक इन इंडिया 84

अध्याय 21: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 88

अध्याय 22: अप्रासंगिक कानूनों पर सराहनीय प्रहार 91

अध्याय 23: रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा 93

अध्याय 24: भारतीय विदेश नीति 101

मोदी सरकार का दृष्टिकोण 118

नरेंद्र मोदी का नया भारत : नायकत्व नहीं बल्कि स्फूर्तिदायक कथा 119

परिणाम

एवं

सुधार

अध्याय 1: आर्थिक विकास

परिणाम

1. विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2018 ने सूचकांक के इतिहास में भारत को 30 अंक की अब तक का सबसे बड़ी छलांग लगाते देखा (2017 की रिपोर्ट में 130वें से 2018 की रिपोर्ट में 100वें स्थान तक)। 2019 में, भारत 77वें स्थान पर पहुँच कर 23 अंक की एक और छलांग का साक्षी बना। भारत के लिए सबसे बड़ी छलांग तिरपन स्थान आगे बढ़ने के साथ करों के भुगतान के मोर्चे पर थी।
2. 2014 से 17 तक भारत की विकास दर दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग 4 प्रतिशत अंक अधिक है और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत अंक अधिक है। विकास की यह दर कम महँगाई के साथ ही चालू खाते के घाटे में सुधार और राजकोषीय घाटे में कमी के साथ हासिल हुई।
3. भारत ने 'पाँच दुर्बल' के अपने टैग से मुक्ति पा ली और अब वैश्विक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के भीतर एक प्रकाशमान स्थान के रूप में माना जाता है।
4. राजकोषीय घाटा जीडीपी के औसतन 5.3 प्रतिशत (2004 से 2014 तक) से घटकर जीडीपी के 3.5 प्रतिशत से भी कम के औसत (2014 से 2018 तक) तक सुधर गया है – यह 1.8 प्रतिशत

अंक का सुधार है।

5. कोल इंडिया के व्यापक हिस्से को छोड़कर कोयला उद्योग अब लगभग एकाधिकार-मुक्त हो गया है।

6. आमतौर पर पूँजी निवेश और एफडीआई (भारत में) में तेज वृद्धि हुई है, जो जुलाई 2014 से दिसंबर 2015 के दौरान 2012-13 की सापेक्षिक अवधि के मुकाबले बढ़कर 31.6% हो गयी। भारत ने 20 वर्षों में पहली बार अपने पड़ोसी चीन के मुकाबले ज्यादा विदेशी निवेश प्राप्त करते हुए पिछले पाँच वर्षों में 239 बिलियन डॉलर मूल्य का भारी एफडीआई हासिल किया।

7. वित्तीय समावेशन: पीएमजेडीवाई फ्लैगशिप योजना के तहत, प्रारंभिक लक्ष्य जनवरी 2015 तक 7.5 करोड़ खाते खोलने का था। हालाँकि, युद्धस्तर पर काम करते हुए, एक बड़े अंतर के साथ लक्ष्य पार कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उस समय तक कुल 12.55 करोड़ खाते खुले थे। पिछले पाँच वर्षों में, इस योजना के तहत लगभग 34 करोड़ बैंक खाते खोले गये हैं। इस बात की कड़ी आलोचना हुई कि इनमें से बहुत सारे खाते शून्य शेष पर थे। लेकिन यह सितंबर, 2014 में 76.8 प्रतिशत से घटकर अगस्त 2017 में केवल 21.4% रह गया।

8. मुद्रा योजना के तहत 7,23,000 करोड़ रुपये राशि (2018-19) के 1.56 करोड़ रुपये के ऋण बाँटे गये हैं।

9. ताजे आँकड़ों से पता चलता है कि सरकार ने सब्सिडी में 83,000 करोड़ रुपये की बचत की।

वित्तीय समावेशन: पीएमजेडीवाई फ्लैगशिप योजना के तहत, प्रारंभिक लक्ष्य जनवरी 2015 तक 7.5 करोड़ खाते खोलने का था। हालाँकि, युद्धस्तर पर काम करते हुए, एक बड़े अंतर के साथ लक्ष्य पार कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उस समय तक कुल 12.55 करोड़ खाते खुले थे। पिछले पाँच वर्षों में, इस योजना के तहत लगभग 34 करोड़ बैंक खाते खोले गये हैं। इस बात की कड़ी आलोचना हुई कि इनमें से बहुत सारे खाते शून्य शेष पर थे। लेकिन यह सितंबर, 2014 में 76.8 प्रतिशत से घटकर अगस्त 2017 में केवल 21.4% रह गया।

सुधार

10. विश्व बैंक के अनुसार, भारत ने 2003 से 37 सुधारों को लागू किया है और उनमें से लगभग आधे को पिछले चार वर्षों में लागू किया गया है; इनमें विभिन्न क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को खोलना, कमोडिटी कीमतों को विनियंत्रित करना, कर कानूनों को सरल बनाना और भारत में व्यापार करने के लिए इसे आसान बनाना शामिल है।
11. डीजल और पेट्रोलियम की कीमतों, जो सब्सिडी बिल का एक बड़ा हिस्सा बनाता है, को विनियंत्रित किया गया। परिणामस्वरूप, भारत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया जहाँ ईंधन की कीमतें दैनिक आधार पर संशोधित की जाती हैं।
12. बीमा और रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ा कर 49 प्रतिशत तक किया गया। रक्षा में, मामला-दर-मामला आधार पर 100% एफडीआई की अनुमति दी गयी।
13. रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 को इस क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाने के उद्देश्य से पेश किया गया था। इस अधिनियम ने परियोजना में देरी का भार डेवलपर पर डाल दिया और यह अनिवार्य कर दिया कि खरीदारों से एकत्र किये गये धन का 70% एक अलग बैंक खाते में डाल दिया जाये और केवल निर्माण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाये।
14. कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2016 को भारत में भूमि के पट्टे को वैध बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया था, जो कृषि दक्षता और पूंजी में वृद्धि ला सकता है।
15. 2017-22 के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 1200 लाख कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक राष्ट्रीय नीति की स्थापना के साथ 2015 में एनएसडीसी के तहत कौशल भारत कार्यक्रम शुरू किया गया था।
16. विमुद्रीकरण : भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 1000 रुपये और 500 मूल्यवर्ग के करेंसी

नोटों के कानूनी टेंडर दर्जे को रद्द करने का निर्णय लिया।

17. संसद में दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 पारित की गयी थी। संहिता लेनदार या कर्जदार को दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) से संपर्क करने की अनुमति देती है। दिवाला कानून और कर सुधार उपायों के लागू होने के बाद परिचालन के अठारह महीनों के भीतर 4300 याचिकाएँ दाखिल की गयी हैं।

18. अक्टूबर 2017 में, वित्त मंत्रालय ने दो वर्षों की अवधि में 2.11 लाख रुपये से अधिक की राशि निवेश कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पुनर्पूंजीकरण योजना की घोषणा की।

19. 1 जुलाई, 2017 को लागू माल और सेवा कर (जीएसटी) स्वतंत्रता के बाद से एक ऐतिहासिक अप्रत्यक्ष कर सुधार है, जिसने विभिन्न पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर समाहित कर लिये।

अध्याय 2 : भारत को कौशलपूर्ण बनाना

परिणाम

1. कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति के माध्यम से 2017 तक 13 लाख लोगों को प्रशिक्षित कर उनका कौशल उन्नयन किया गया और 2020 तक 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का अभियान है।
2. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना, भारतीय युवाओं को सक्षम बनाने और जुटाने के उद्देश्य से भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रमाणन योजना है जिसके तहत 2018 के अंत तक पूर्व शिक्षा की मान्यता के अंतर्गत देशभर में 13,810 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से 9,34,430 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया था। अल्पावधि प्रशिक्षण के तहत, 7,986 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से 24,04,506 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।
3. प्रशिक्षुता के प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और प्रशिक्षुओं के जुड़ाव को बढ़ाने के लिए विकसित

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना, भारतीय युवाओं को सक्षम बनाने और जुटाने के उद्देश्य से भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रमाणन योजना है जिसके तहत 2018 के अंत तक पूर्व शिक्षा की मान्यता के अंतर्गत देशभर में 13,810 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से 9,34,430 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया था। अल्पावधि प्रशिक्षण के तहत, 7,986 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से 24,04,506 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना में वर्तमान के 2.3 लाख से 2020 तक 50 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

4. कौशल भारत मिशन की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद से, लगभग 34 लाख महिलाओं ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है जिनमें से 50% से अधिक को नियुक्तियाँ मिली हैं। कुल मिलाकर, लगभग 2.5 करोड़ युवाओं ने इस कार्यक्रम (2018) के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

सुधार

5. कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), कौशल ऋण योजना (एसएलएस), ग्रामीण भारत कौशल (आरआईएस) और आजीविका संवर्धन के लिए कौशल प्राप्ति और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) नयी पहल है।

6. भारत सरकार (जीओआई) ने एमओओसी – विद्यालयी, स्नातक, परास्नातक, इंजीनियरिंग, विधि और अन्य पेशेवर पाठ्यक्रम समेत 2000 पाठ्यक्रमों और पढ़ने के 80,000 घंटों के मंच स्टडी वेब्स ऑफ ऐक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयं) - के लिए एक राष्ट्रीय मंच का विकास शुरू किया है।

अध्याय 3 : रोजगार का आंकलन

परिणाम

1. ईपीएफओ रिकॉर्ड के डेटा बताते हैं कि सितंबर 2017 से मई 2018 तक सृजित नया पेरोल लगभग 44.7 लाख था। ईपीएफओ के 6 करोड़ से अधिक सक्रिय सदस्य (वर्ष के दौरान कम से कम एक महीने का योगदान) हैं। ईपीएफओ उस महीना-विशेष के दौरान ईपीएफओ के तहत पंजीकृत होने वाले सभी गैर-शून्य योगदानकर्ताओं का आयु-वार डेटा उपलब्ध करता है। इस डेटा में अस्थायी कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं जिनका योगदान पूरे वर्ष तक निरंतर नहीं भी हो सकता है।
2. ईपीएफओ ने राज्यों और उद्योगों के लिए पृथक डेटा भी उपलब्ध कराया है। यह दुनिया भर की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है, या वस्तुतः, यूएस पेरोल डेटा से एक कदम आगे है जो केवल उद्योग-वार डेटा देता है और राज्य-वार नहीं। राज्य-वार डेटा पूरे भारत में वैविध्यपूर्ण पेरोल सृजन को दर्शाता है।
3. पहली बार ईपीएफओ द्वारा प्रकाशित ईसीआर (इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न) डेटा हमें इस तरह के औपचारिकीकरण की सीमा का स्पष्ट अनुमान देता है। डेटा के अनुसार, सितंबर 2017 से मई 2018 की अवधि के दौरान कुल 40,468 प्रतिष्ठानों ने अपना पहला ईसीआर दाखिल

> ***परिवहन क्षेत्र प्रति वर्ष लगभग 20 लाख नौकरियों का योगदान करता है, रोजगार सर्वेक्षणों और रिपोर्टों में अक्सर इस आँकड़े की अनदेखी होती है। ये नौकरियाँ अनौपचारिक क्षेत्र में होंगी क्योंकि ये वाहन आमतौर पर निजी स्वामित्व में होते हैं न कि फर्मों के स्वामित्व में। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ईपीएफओ और ईएसआई डेटा किसी भी बड़े आकलन में इन नौकरियों को प्रकट नहीं करते हैं। भारत में परिवहन उद्योग के भीतर नौकरियों की संख्या लगभग 3.6 करोड़ होने का अनुमान था।***

किया। यह संख्या उन मौजूदा संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है जो 20 से कम नौकरियों से आगे बढ़ चुके हैं। इस प्रकार, जब हम ईपीएफओ कट-ऑफ/20 के साथ संगठनों की संख्या का गुणा करते हैं, तो यह हमें औपचारिकीकरण के कारण कुल पेरोल का अनुमान देता है। यह लगभग 8.1 लाख आता है। इसलिए, सितंबर 2017 से मई 2018 के दौरान नया पेरोल, (औपचारिकीकरण को छोड़कर) 36.6 लाख (8.1 के 44.7 लाख नये) है।

4. एनपीएस डेटा के अनुसार, 61,057 के औसत मासिक सृजन के साथ सितंबर 2017 से जून 2018 की अवधि के दौरान लगभग 6.10 लाख पीआरएएन (या नये पेरोल) सृजित हुए थे। एनपीएस वर्तमान में राज्य और केंद्र सरकार में 50 लाख लोगों के कोष का प्रबंधन करता है।
5. ईएसआईसी में सक्रिय योगदानकर्ताओं की संख्या हमें एक समय-विशेष में सृजित नये पेरोल का अनुमान दे सकती है। यथानुपात आधार पर, यह डेटा (ईपीएफओ + एनपीएस) बताता है कि पिछले वित्त वर्ष (2017-2018) में 60.4 लाख नये पेरोल सृजित किये गये थे।
6. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के डेटा के अनुसार, 2017 में लगभग 5624 नयी प्रैक्टिस की स्थापना के साथ 16,970 नये चार्टर्ड अकाउंटेंटों कार्यबल में जुड़े थे। जनसंख्या के इस खंड द्वारा सृजित कुल नौकरियाँ कुल रोजगार के डेटा में वृद्धि करती हैं।
7. यह डॉक्टरों और वकीलों के लिए भी लागू होता है, दोनों ने 2017 में श्रम बल में लगभग 80,000 की वृद्धि की। इन पेशेवरों द्वारा प्रैक्टिस की स्थापना के लिए आवश्यक सहायक कर्मचारियों

(लिपिक, मुंशी, नर्स इत्यादि) को जोड़ते हुए हमारा अनुमान है कि विचार नहीं किये गये अन्य समान व्यवसायों और कंसल्टैंसी के लिए रोजगार आंकड़ों के साथ अनौपचारिक क्षेत्र में महज इन तीनों व्यवसायों के माध्यम से 8 लाख नौकरियाँ जोड़ी गयीं।

8. इसके अलावा, यह मानते हुए कि प्रति सीए प्रैक्टिस में बीस नौकरियाँ, प्रति चिकित्सा प्रैक्टिस में पाँच नौकरियाँ और प्रति कानूनी प्रैक्टिस में तीन नौकरियाँ हैं, इन 3 व्यवसायों के माध्यम से सृजित रोजगार की कुल संख्या लगभग 1.08 करोड़ है।

9. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) जैसी कौशल विकास पहलकदमियाँ नीचे दी गयी तालिका में उल्लिखित डेटा प्रदान करते हैं। इसने 2016-17 तक 5 लाख नौकरियों का सफलतापूर्वक सृजन किया है।

अनौपचारिक क्षेत्र : प्रति वर्ष कार्य सृजन

	2016-17
चार्टर्ड एकाउंटेंट	1,797,957
मेडिकल पेशेवर	6,045,970
अधिवक्ता	2,993,604
सरकार द्वारा कौशल विकास पहल (पीएमकेवीवाई)	499,100
परिवहन उद्योग	1,991,354
कुल	13,327,985

10. दिसंबर 2018 तक, पीएमकेवीवाई ने लगभग 10 लाख नौकरियों का सफलतापूर्वक सृजन किया है।

11. परिवहन क्षेत्र प्रति वर्ष लगभग 20 लाख नौकरियों का योगदान करता है, रोजगार सर्वेक्षणों और

रिपोर्टों में अक्सर इस आँकड़े की अनदेखी होती है। ये नौकरियाँ अनौपचारिक क्षेत्र में होंगी क्योंकि ये वाहन आमतौर पर निजी स्वामित्व में होते हैं न कि फर्मों के स्वामित्व में। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ईपीएफओ और ईएसआई डेटा किसी भी बड़े आकलन में इन नौकरियों को प्रकट नहीं करते हैं। भारत में परिवहन उद्योग के भीतर नौकरियों की संख्या लगभग 3.6 करोड़ होने का अनुमान था।

12. इसके अलावा, विभिन्न अध्ययनों में भारत में कुल सक्रिय श्रम शक्ति लगभग 52 करोड़ (विश्व बैंक के आंकड़ों के आधार पर अनुमानित) होने का अनुमान है। विश्व बैंक के अनुसार, कृषि इन नौकरियों में से लगभग 43% का सृजन करती है, इस तरह उद्योग और सेवाओं में कर्मचारियों की संख्या मिलकर लगभग 29.6 करोड़ हो जाती है। इसमें से, हम काफी रुढ़िवादी रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि नीचे की तालिका के अनुसार औपचारिक रोजगार में 9.5 करोड़ लोग हैं, जो भारत को चीन और अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा औपचारिक रोजगार सर्जक बनाता है।

13. तालिका : प्रमुख क्षेत्रों द्वारा कार्यबल (करोड़ में)

क्षेत्र	2004-05	2009-10	2011-12	2016-17*
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	26.9	24.5	23.2	25.4
उद्योग	8.3	9.9	11.5	12.7
सेवाएँ	10.7	11.6	12.7	139
कुल श्रमशक्ति	45.9	46.0	47.4	52.0

***विश्व बैंक आँकड़ों के आधार पर अनुमानित**

14. यदि हम परिवहन क्षेत्र और पेशेवरों के माध्यम से उत्पन्न नौकरियाँ लेते हैं, तो यह संख्या बढ़कर 4.7 करोड़ हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अनौपचारिक क्षेत्र में अन्य छिपे क्षेत्र शेष 14.3

करोड़ को रोजगार देते हैं, जिनका सर्वेक्षणों के माध्यम से बेरोजगारी के अवधिवार समायोजन की आवश्यकता है।

सुधार

15. भारत रोजगार के आकलन में बहुत पिछड़ गया है। वित्तीय संकट के बाद शुरू तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) कई सीमाओं से घिरा हुआ है क्योंकि वह केवल 8 सेक्टरों (190 क्षेत्रों के जगत की तुलना में) के रूप में प्रतिक्रिया करते हैं। इसके अलावा, परिणाम 9 महीने बाद जारी किये जाते हैं, सभी सूचनाएँ स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध करायी जाती हैं और सत्यापित नहीं होतीं और नयी इकाइयों पर रोजगार डेटा को नहीं लेता है। इसलिए, सरकार ने रोजगार डेटा में सुधार के लिए निति आयोग के तहत एक टास्कफोर्स की नियुक्ति की।
16. सरकार ने देश में रोजगार वृद्धि के सर्वेक्षण आधारित दृष्टिकोण को त्याग कर वास्तविक डेटा के आधार पर पेरोल डेटा रिपोर्टिंग का चयन किया है। सृजित हो रही नौकरियों की संख्या के बारे में जमीनी हकीकत की स्पष्ट समझ पाने में अक्षमता ने रोजगार में सुधार के लिए उपयुक्त नीतियाँ बनाने के भारत के प्रयासों को लंबे समय से खोखला कर रखा है।
17. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन योजना) और ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के प्रशासनिक डेटा को देखते हुए घोष और घोष (2018) ने भारत में कुल संगठित पेरोल के लिए एक मानदंड का अनुमान लगाया।
18. सरकार ने प्रशासनिक रिकॉर्ड से मापनयोग्य डेटा का उपयोग करके औपचारिक रोजगार में हुई प्रगति की रिपोर्ट करने की पहल भी शुरू की है।
19. सरकार ने सितंबर 2017 से शुरू पेरोल डेटा की एक श्रृंखला के साथ पहली बार अप्रैल 2018 में मासिक डेटा को प्रकाशित किया।

अध्याय 4 : कराधान

परिणाम

1. वर्तमान सरकार के पहले तीन वर्ष के कार्यकाल में कर संग्रह आंकड़े एक सकारात्मक रुझान प्रदर्शित करते हैं जैसे नीचे संक्षेप में दिया गया है :

#	वित्त वर्ष	सकल राजस्व संग्रह (करोड़ में)	कर-जीडीपी अनुपात (%)
1	2014-15	12,45,037	10.6
2	2015-16	14,56,887	10.74
3	2016-17	17,10,000	11.26
4	2017-18	19,46,119	11.30
5	2018-19	22,71,242	11.60

2. कर संग्रह 2013-14 के 6.38 लाख करोड़ रुपये से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर इस वर्ष (फरवरी 2019 बजट भाषण) लगभग 12 लाख करोड़ रुपये हो गया।

3. दाखिल किये गये रिटर्न की संख्या भी 3.79 करोड़ से बढ़कर 6.85 करोड़ हो गयी है, जो कर आधार में 80% वृद्धि को दर्शाता है।

4. 5 लाख रुपये तक की वार्षिक करयोग्य आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं को पूर्ण कर छूट मिलेगी

और इसलिए उन्हें कोई आयकर देने की आवश्यकता नहीं होगी। परिणामस्वरूप, 6.50 लाख रुपये तक की सकल आय वाले व्यक्तियों को भी भविष्य निधि, निर्दिष्ट बचत योजनाओं, बीमा आदि में निवेश करने पर कोई आयकर देने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। यह स्व-नियोजित, लघु व्यवसाय, छोटे व्यापारी, वेतनभोगी, पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों से बने मध्यम वर्ग के 3 करोड़ करदाताओं को 18,500 करोड़ रुपये का कर लाभ प्रदान करेगा। (फरवरी 2019 बजट भाषण)।

5. छोटे व्यवसायों के लिए जीएसटी से छूट 20 लाख रुपये से दोगुनी कर 40 लाख रुपये कर दी गयी है।

6. 50 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले छोटे सेवा प्रदाता अब कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं और 18% की बजाय 6% की दर पर जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं।

7. चालू वर्ष में औसत मासिक कर संग्रह 97,100 करोड़ रुपये प्रति माह है जबकि पहले वर्ष में यह 89,700 करोड़ रुपये प्रति माह था। पहले पाँच वर्षों के लिए गारंटीकृत 14% वार्षिक राजस्व वृद्धि के साथ राज्य के राजस्व में सुधार हो रहा है।

सुधार

8. जैम त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध जन-धन बैंक खातों, आधार और मोबाइल नंबरों को लिंक करने की दिशा में विभिन्न कदम उठाये गये। जैम त्रिमूर्ति को प्रोत्साहित करने के क्रम में, सरकार ने कर-संबंधी अनुपालन में विभिन्न संशोधन और प्रक्रियात्मक बदलाव समाहित किये, जैसे, आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए पैन के साथ आधार की लिंकिंग को अनिवार्य बनाना और 1 जुलाई, 2017 से पैन के लिए आवेदन करते वक्त आधार का उल्लेख अनिवार्य करना।

9. बेहतर करदाता सेवाएँ देने और करदाताओं एवं अधिकारियों के बीच भौतिक संपर्क को न्यूनतम करने के लिए एक करदाता सेवा मॉड्यूल, आयकर सेतु को 19 जुलाई, 2017 को शुरू किया गया।

मुख्य प्रत्यक्ष कर सुधार :

ए. पूर्वप्रभावी संशोधनों के कारण उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में, एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की गयी। जहाँ अप्रत्यक्ष स्थानांतरण से संबंधित प्रावधानों में पूर्वप्रभावी संशोधन के कारण आय को 1 अप्रैल 2012 से पहले माना गया था, वहीं मूल्यांकन अधिकारी समिति से अनुमोदन के बिना आगे नहीं बढ़ सकता था।

बी. न्यायमूर्ति एपी शाह समिति की संस्तुति पर 'रेड कार्पेट' नीति को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण निर्णय 1 अप्रैल 2015 से पूर्व भारत में व्यवसाय/स्थायी प्रतिष्ठान नहीं रखने वाले एफआईआई/एफपीआई को न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के दायरे से बाहर रखना था।

सी. 2017 के बजट में 50 करोड़ रुपये से कम कारोबार वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 25% कर दी गयी, जिसका लाभ 96% टैक्स फाइलिंग कंपनियों को हुआ। 2018 के वित्त विधेयक में 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली कंपनियों को यह लाभ देने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पूरे वर्ग को कवर किया गया है, जिनकी इस श्रेणी के तहत लगभग 99% कंपनियाँ हैं।

डी. उद्योग में विश्वास बहाल करने और एक निवेशक-अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सामान्य परिहार निरोधी नियमों (जीएएआर) का दो साल तक स्थगन किया गया। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2018 तक के निवेश सौदे जीएएआर के अधीन नहीं थे।

10. विवाद समाधान

5 लाख रुपये तक की वार्षिक करयोग्य आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं को पूर्ण कर छूट मिलेगी और इसलिए उन्हें कोई आयकर देने की आवश्यकता नहीं होगी। परिणामस्वरूप, 6.50 लाख रुपये तक की सकल आय वाले व्यक्तियों को भी भविष्य निधि, निर्दिष्ट बचत योजनाओं, बीमा आदि में निवेश करने पर कोई आयकर देने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। यह स्व-नियोजित, लघु व्यवसाय, छोटे व्यापारी, वेतनभोगी, पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों से बने मध्यम वर्ग के 3 करोड़ करदाताओं को 18,500 करोड़ रुपये का कर लाभ प्रदान करेगा। (फरवरी 2019 बजट भाषण)।

ए. उच्चस्तरीय आकलन के निस्तारण के क्रम में करदाताओं की शिकायतों से निपटने के लिए एक कानूनी समिति का गठन किया गया। इसके अलावा, राजस्व विभाग ने अपील के अंतिम चरण तक अधिकतम 20% कर मांग पर जोर देने के लिए बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी किये।

बी. वित्त अधिनियम 2016 ने कर प्रशासन को विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) के आदेश के खिलाफ अपील करने से रोकने के लिए कानून में संशोधन किया, जिससे डीआरपी आदेश निर्णायक हो गया।

सी. 2015 के वित्त अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कानून के समान प्रश्नों पर राजस्व विभाग द्वारा अपील की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए एक नया प्रावधान शामिल किया।

डी. राजस्व विभाग ने कानून के मूल प्रश्न उठने की स्थिति में उच्च न्यायालयों जैसे उच्च अपीलीय फोरम में अपील दाखिल करने के लिए न्यायिक आयुक्त द्वारा पालित की जाने वाली प्रक्रिया की समीक्षा के लिए चेयरपर्सन रानी सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, परिणामस्वरूप वादी के रूप में सरकार की वृहत्तर जवाबदेही बनी।

11. अप्रत्यक्ष कर एवं जीएसटी

ए. जीएसटी ने भारतीय अप्रत्यक्ष कर परिदृश्य का पुनर्गठन किया है जिससे पहले केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा लगाये गये 17 मौजूदा अप्रत्यक्ष करों और 23 उपकरों को एक कर में समावेशित

हो गये हैं।

बी. जीएसटी व्यवस्था की पथ-प्रदर्शक विशेषताओं में से एक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) तंत्र है। इसने पूरी आपूर्ति श्रृंखला को कर तटस्थ बनाकर उद्योग को लाभान्वित किया है।

सी. जीएसटी व्यवस्था की एक अन्य प्रमुख विशेषता माल के सड़क परिवहन को आसान बनाने के लिए ई-वे बिल की शुरुआत है। 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल की ढुलाई पर एक ई-वे बिल सृजित किया जाना है।

डी. आम आदमी पर बोझ को कम करने के लिए, अपनी 23वी बैठक में, जीएसटी परिषद ने बड़े पैमाने पर दैनिक उपभोग वाले 178 वस्तुओं पर कर की दर 28% से घटाकर 18% कर दी। कई वस्तुओं को 5% के सबसे निचले कर श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा, जनवरी 2019 में, सरकार ने 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी में कमी को अधिसूचित किया।

ई. सरकार ने अब आयकर विभाग को और अधिक करदाता-उन्मुख बनाने के लिए एक पथ-प्रदर्शक, प्रौद्योगिकी सघन परियोजना को मंजूरी दी है। सभी रिटर्न चौबीस घंटे में संसाधित किये जायेंगे और रिफंड इसके साथ ही जारी किये जायेंगे। (फरवरी 2019 बजट भाषण)।

एफ. केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को मिलाकर बनी जीएसटी परिषद ने जीएसटी दरों को सामूहिक रूप से जीएसटी-पूर्व दरों से कम कर दिया। तब से, जीएसटी उपभोक्ताओं को सालाना लगभग 80,000 करोड़ रुपये की राहत देते हुए निरंतर घटती रही है। गरीब और मध्यम वर्ग के दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुएँ अब 0% या 5% कर श्रेणी में हैं। सिनेमा के दर्शक, जो 50% तक के कई कर चुकाते थे, अब अधिकांशत: 12% के निम्न कर का भुगतान कर रहे हैं।

अध्याय 5 : आधार, विमुद्रीकरण और डिजिटाइजेशन

परिणाम

1. आधार के माध्यम से, भारत में बायोमेट्रिक रूप से सत्यापन योग्य पहचान है। 'आधार बीज' नकली और दोहराव वाले लाभार्थियों की समस्या को कम करने में मदद कर रही है। यह वैध लाभार्थी की पहचान में निषेध के पैमाने को और अधिक पारदर्शी बना रहा है।
2. विमुद्रीकरण-बाद की अवधि (9 नवंबर 2016 – 31 मार्च 2017) के दौरान, सरकार ने पूर्ववर्ती वर्ष की समान सापेक्षिक अवधि की तुलना में 33 लाख रुपये का अतिरिक्त आयकर रिटर्न (आईटीआर) प्राप्त किया था।
3. विमुद्रीकरण के समय, डिजिटल भुगतान के लिए संक्रमण के लिए परिस्थितियाँ तैयार थीं। स्मार्ट फोन और फीचर फोन की बढ़ती पैठ ने अधिकांश भारतीयों के लिए डिजिटल भुगतान को सुलभ बना दिया।
4. नवोन्मेषियों ने विमुद्रीकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये अवसर का उपयोग भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) जैसे नये अप्लिकेशन लॉन्च करने के लिए किया, जिससे उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान का उपयोग करना आसान हो गया।

5. दिसंबर 2018 तक, प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों की संख्या 34 करोड़ रही, जिनमें से 72 प्रतिशत से अधिक अब खाता स्वामी के आधार नंबर से जुड़े हुए हैं, जिससे नकद लाभ अब सीधे वैध लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित किये जा सकते हैं। । जैसे-जैसे आधार संख्या और बैंक खातों के बीच लिंकिंग और पूरी हो रही है, धन के पथांतरण की समस्या कम होती जा रही है। पीएमजेडीवाई की सफलता ने सुनिश्चित किया कि विमुद्रीकरण की घोषणा के समय 98% परिवारों के पास कम से कम एक बैंक खाता था।

6. लोक कल्याण सेवाओं की डिलीवरी में सुधार के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की शुरुआत की गयी। जनवरी 2019 तक, इसके दायरे में 55 मंत्रालयों की 437 योजनाएँ आ गयीं। 2014-15 से लाभार्थियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। 2018-19 में डीबीटी के 125.4 करोड़ लाभार्थी हैं।

7. जीईएम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) ने सभी सरकारी खरीद को एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर ला दिया है और इस प्रक्रिया में, 1860 से चले आ रहे आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी), 2017 में बंद हो गया। जनवरी 2019 तक, जीईएम पोर्टल पर 7,56,533 उत्पाद और 4164 सेवाएँ उपलब्ध हो गयी हैं।

8. भारत विमुद्रीकरण के बाद एक अल्प-नकदी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ गया है।

9. भारत ने नकदीरहित लेनदेन में काफी प्रगति की है। इस तरह का लेन-देन, मूल्य के संदर्भ में, 2012-13 में 1329 ट्रिलियन रुपये से 27% बढ़कर 2014-15 में 1682 ट्रिलियन रुपये होने के बाद 2016-17 में 36% छलांग लगाकर 2282 ट्रिलियन रुपये हो गया। 2014-15 और 2016-17 के बीच 36% की वृद्धि जीडीपी में 22% की सापेक्षिक वृद्धि की तुलना में 1.6 गुना अधिक थी।

10. 8 नवंबर, 2016 को जीडीपी की लगभग 12 प्रतिशत नकदी प्रचलन में थी, जबकि मार्च 2018

में यह लगभग 10.3 प्रतिशत थी। इसका अर्थ है कि प्रचलन में 3 लाख करोड़ रुपये नकदी की कमी आयी।

11. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अपने वार्षिक खातों में बताया है कि 30.6.2017 तक 15.28 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य के निर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) वापस जमा कर दिये गये हैं।

12. 2019 के अंतरिम बजट में, पीयूष गोयल ने कहा कि :

ए. काला धन कानून, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम और विमुद्रीकरण के रूप में सरकार द्वारा पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान उठाये गये काला धन विरोधी उपाय लगभग 1,30,000 करोड़ रुपये की अघोषित आय को कर दायरे में लाये हैं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 50,000 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्ती और कुर्की हुई, और बड़ी नकदी मुद्रा के धारकों को उनकी कमाई के स्रोत का खुलासा करने के लिए बाध्य हुए।

बी. इस अवधि के दौरान, 6,900 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति और 1,600 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति कुर्क हुई।

सी. अधिक से अधिक 3,38,000 शेल कंपनियों का पता लगाया जा चुका है और उन्हें विपंजीकृत किया गया है और उनके निदेशकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

डी. 2017-18 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 18% की वृद्धि और वित्त वर्ष 2017-18 में 1.06 करोड़

दिसंबर 2018 तक, प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों की संख्या 34 करोड़ रही, जिनमें से 72 प्रतिशत से अधिक अब खाता स्वामी के आधार नंबर से जुड़े हुए हैं, जिससे नकद लाभ अब सीधे वैध लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित किये जा सकते हैं। । जैसे-जैसे आधार संख्या और बैंक खातों के बीच लिंकिंग और पूरी हो रही है, धन के पथांतरण की समस्या कम होती जा रही है। पीएमजेडीवाई की सफलता ने सुनिश्चित किया कि विमुद्रीकरण की घोषणा के समय 98% परिवारों के पास कम से कम एक बैंक खाता था।

लोगों के पहली बार आयकर रिटर्न दाखिल करने से कर आधार में वृद्धि मुख्यत: विमुद्रीकरण के कारण हुई है।

13. सीपीग्राम्स (केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के अंतर्गत एक पोर्टल है। यह देखने लायक है कि बीस मंत्रालयों/विभागों के खिलाफ शिकायतों का विश्लेषण कैसे निर्देशित किया गया और यह डिजिटलीकरण के माध्यम से कैसे समाधित किया गया। उदाहरण के लिए विचार करें,

ए. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। उन्तीस प्रतिशत शिकायतें एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति में कदाचार और भ्रष्टाचार के बारे में थीं। विश्लेषण का नतीजा रीफील्ड एलपीजी सिलेंडरों की ट्रैकिंग, बुकिंग और वितरण के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल के रूप में सामने आया और इसे 2015 में पेश किया गया था। इस डिजिटल प्रत्युत्तर के बाद, 2016-17 में कदाचार और भ्रष्टाचार की शिकायतें 29 प्रतिशत से घटकर 13 प्रतिशत तक आ गयीं।

बी. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के लिए, 26 प्रतिशत शिकायतें ठेके देने में कदाचार और भ्रष्टाचार के बारे में थीं। इसके परिणामस्वरूप 2016 में, एक ई-मापन पुस्तिका पेश की गयी, जिसके उपयोग से, ठेकेदार/इंजीनियर जियोटैगिंग के साथ-साथ पुस्तक को वास्तविक समय में भर सकते थे। इस डिजिटल प्रत्युत्तर के साथ, कदाचार और भ्रष्टाचार की शिकायतें घटकर 23 प्रतिशत रह गयीं।

सी. रक्षा विभाग (रक्षा मंत्रालय का अंग) के लिए, 38 प्रतिशत शिकायतें रक्षा अधिकारियों के भ्रष्टाचार या निष्क्रियता के बारे में थीं और डिजिटलीकरण के बाद, यह घटकर 20 प्रतिशत रह गयीं।

डी. न्याय विभाग के लिए, 15 प्रतिशत शिकायतें निर्णय लागू कराने और मामले को आगे बढ़ाने के लिए मांगी जाने वाली रिश्वत के बारे में थीं। डिजिटलीकरण और ई-कोर्ट परियोजना के साथ,

यह घटकर 13 प्रतिशत रह गयीं।

सुधार

14. मोदी सरकार ने 2016 में धन विधेयक के रूप में संसद के माध्यम से आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्ष्यित डिलीवरी) अधिनियम, 2016 को लागू कर इस योजना की विधिक स्थिति पर गतिरोध को तोड़ दिया। इसने आधार और आधार के डेटाबेस के संरक्षक भारतीय विशिष्ट पहचान विकास प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को महत्वपूर्ण वैधता प्रदान की।
15. भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 1000 और 500 रुपये मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों की कानूनी निविदा स्थिति को कई उद्देश्यों से रद्द करने का निर्णय लिया : (i) काले धन को बाहर निकालना, (ii) नकली भारतीय मुद्रा नोटों का उन्मूलन (एफआईसीएन), (iii) आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद के वित्तपोषण की जड़ पर प्रहार करना, (iv) कर आधार और रोजगार का विस्तार करने के लिए गैर-औपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक अर्थव्यवस्था में बदलना और (v) भारत को कम-नकदी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भुगतान के डिजिटलाइजेशन को व्यापक रूप से बढ़ावा देना।
16. जमा किये गये एसबीएन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संभवतः अस्पष्ट/काले धन का प्रतिनिधित्व कर सकता है। 31 जनवरी 2017 को 'ऑपरेशन क्लीन मनी' लॉन्च किया गया था।
17. यहाँ तक कि ठीक से पहचाने गये लाभार्थियों को वे लाभ नहीं मिल रहे हैं, जिनके वे पात्र हैं क्योंकि इनमें से कुछ हिस्सा चोरी जा रहा है। यही वह जगह है जहाँ प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)-आधार-मोबाइल फोन नंबर, या जेएएम त्रिमूर्ति परिदृश्य में आती है।
18. बैंकिंग, आधार, मोबाइल टेलीफोनी या जिसे हम यहाँ 'बीएएम त्रिकोण' कहते हैं, के बीच लिंकेज। आधार महत्वपूर्ण प्रमाणीकरण प्रदान करता है जो मोबाइल टेलीफोनी के साथ बैंकिंग

जगत को जोड़ना संभव बनाता है। जेएएम त्रिमूर्ति - जो जन-धन खातों, आधार और मोबाइल फोन के बीच लिंकेज को संदर्भित करता है- एक उपसमुच्चय है जो बीएएम त्रिभुज और इसके तंत्र के तेजी से विस्तार के अवसर और ताकत के भीतर रहता है।

19. आरबीआई के नियम अब बैंकों को आखिरी छोर तक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए व्यवसाय संवाददाताओं (बीसी) के साथ काम करने की अनुमति देते हैं। अब बैंकों से जुड़े पेट्रोल पंप और किराना स्टोर जैसे बीसी एजेंट और इंडिया स्टैक की 'प्रेजेंस-लेस' परत द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाली भुगतान समाधान प्रणाली, किसी भी ग्राहक को बहुत कम लागत पर बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ देने में सक्षम हैं जिसकी टेलीकॉम नेटवर्क तक पहुँच है।

20. इंडिया स्टैक की दृष्टि से निर्देशित, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने उत्प्रेरक के रूप में और आरबीआई ने सुगमकर्ता के रूप में आधार-सक्षम भुगतान समाधानों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। भीम, यूपीआई और भारत बिल पे, इंडिया स्टैक की ’कैशलेस लेयर' का हिस्सा हैं और मोदी सरकार द्वारा एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में सजित किये गये थे। डिज़ाइन के अनुसार, वे एक दूसरे से जुड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं, जो किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के साथ लेन-देन करने की अनुमति देते हैं, भले ही वे एक ही बैंक से संबंधित न हों।

21. इलेक्ट्रॉनिक भुगतान वित्तीय लेनदेन के लिए एक डिजिटल पदचिह्न बनाते हैं, जिसमें व्यक्तिगत ग्राहकों के खातों में पैसे कैसे आते और बाहर निकलते हैं, इस पर मूल्यवान डेटा शामिल होता है। इन पैटर्न को मान्यता देते हुए बैंकों को क्रेडिट स्कोर या आनुसांगिक आधार की बजाय भुगतान इतिहास और उनके खुदरा एवं छोटे व्यावसायिक ग्राहकों के नकदी प्रवाह रिकॉर्ड के आधार पर क्रेडिट देने की अनुमति देनी चाहिए। यह अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में फँसे हुए लाखों लोगों को –जोखिम शमन तरीके- से ऋण वितरित करने की संभावना को खोलेगा।

अध्याय 6 : बैंकिंग क्षेत्र

परिणाम

1. दिसंबर 2018 के अंत तक, पीएमजेडीवाई (प्रधानमंत्री जन धन योजना) खातों की संख्या 34 करोड़ थी।
2. गाँवों में बैंकिंग केंद्रों की कुल संख्या मार्च 2010 में 67,694 से बढ़कर सितंबर 2017 में 5,60,910 हो गयी। तदनुसार बचत बैंक जमा खाते 7.3 करोड़ से बढ़कर 52.2 करोड़ हो गये हैं।
3. दिवाला कानून ने बैंकर और साथ ही साथ दोषी कंपनी के प्रवर्तकों के हाव-भाव बदल दिये।
4. भारत में बैंकों के पास अब पुनर्गठन करते समय कम से कम 2000 करोड़ रुपये मूल्य के सभी बड़े ऋणों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे एनपीए को 180 दिन के भीतर समाधित कर लेना चाहिए जिसमें विफल रहने पर वह ऋण खाता आईबीसी अदालत को संदर्भित हो जायेगा।
5. बैंकों को सभी बड़े ऋणों को 15 महीने या पाँच तिमाहियों में साफ करना ही होगा।
6. सरकार भारतीय बैंकिंग उद्योग की संपत्तियों में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा रखने वाले सार्वजनिक बैंकों में चरणबद्ध तरीके से 2.11 ट्रिलियन रुपये की पूँजी डाल रही है। 1985-86 और 2016-17 के बीच, पिछले 31 वर्षों में सरकार ने सार्वजनिक बैंकों में काफी कम 1.5 ट्रिलियन रुपये डाले हैं।

7. नये भुगतान बैंक : 19 अगस्त 2015 को, आरबीआई ने भुगतान बैंक (पीबी) की स्थापना के लिए ग्यारह संस्थाओं को सैद्धांतिक अनुमति दी। अप्रैस 2016 से अप्रैल 2017 के बीच 7 पीबी को लाइसेंस जारी किये गये। पहले पीबी ने नवंबर 2016 में परिचालन शुरू किया जबकि 5 अन्य ने जून 2017 तक कार्य शुरू किया, और सभी सातों के शीघ्र ही क्रियाशील होने की आशा है।

8. यूनिवर्सल बैंक : 2 अप्रैल, 2014 को, आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंक स्थापित करने के लिए 2 निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को 'सैद्धांतिक' अनुमति प्रदान की। एक यूनिवर्सल बैंक देशभर में बिना किसी सीमा के विवेकपूर्ण ढंग से जमा लेना और क्रेडिट परिचालन जैसे सभी बैंकिंग परिचालन कर सकता है।

सुधार

9. फरवरी 2014 में, आरबीआई ने मंदीग्रस्त कंपनियों के प्रबंधन में परिवर्चन की अनुमति दी थी। इसके पीछे शेयरधारकों (ऋणदाताओं को नहीं) को पहले नुकसान सहने और प्रवर्तकों को खुद का पैसा ज्यादा दाँव पर लगाने को बाध्य करना था।

10. 2015 की दूसरी छमाही में कथित परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा, या एक्यूआर के साथ सफाई की प्रक्रिया शुरू हुई जिसके अंतर्गत आरबीआई निरीक्षकों ने सभी बैंकों के खातों की जाँच की और खराब परिसंपत्तियों की पहचान की। बैंकरों को मार्च 2017 तक सभी खराब परिसंपत्तियों की सफाई और उनके लिए प्रावधान करने के लिए निर्देशित किया गया। और 12 फरवरी 2018 की

सरकार ने केंद्रीय बैंक को खराब ऋणों से कड़ाई से निपटने के लिए बैंकों पर दबाव बनाने का अधिकार देते हुए बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करने के लिए 2017 में एक अध्यादेश जारी किया। इसने आरबीआई को बैंकों को ऋण डिफाल्टरों के खिलाफ आईबीसी की सहायता लेने के लिए निर्देशित करने को अधिकृत किया। यह अध्यादेश कॉरपोरेट जगत के सामने यह प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक था कि सरकार इस कदम का समर्थन कर रही है।

आधी रात का आरबीआई का निर्देश अंतत: इसे खत्म कर सकता है।

11. अगस्त 2015 में, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इंद्रधनुष योजना की घोषणा की, जिसमें उच्च-स्तरीय नियुक्तियों, पूँजीकरण, तंत्र में दबाव और सरकार संचालित बैंकों में जवाबदेही एवं सुशासन जैसे मुद्दों के समाधान का वादा किया गया।

12. मई 2016 में, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) 2016 पारित की गयी थी, जो हमेशा के लिए दिवाला समाधान के लिए कानूनी ढाँचे में बदलाव का वादा करता है। यह नवंबर 2016 में अधिसूचित किया गया; कुछ ही सप्ताह के भीतर, दिवाला पिटने का पहला मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में स्वीकार किया गया।

13. 2016 से अंतर-बैंक लेन-देन को सुगम बनाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा विकसित इंस्टैंट रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो बैंकों के बीच धन के तत्काल अंतरण के लिए किया जा सकता है। यूपीआई का औसत राशि आकार 1000 रुपये है जबकि आईएमपीएस के लिए 8000 रुपये और क्रेडिट कार्डों के लिए 3000 रुपये है और निकट भविष्य में इसके घटकर दो अंकों तक आ जाने की संभावना है। एनपीसीआई द्वारा विकसित और यूपीआई पर आधारित मोबाइल ऐप्प भारत इंटरफेस फॉर मनी या भीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया।

14. सरकार ने केंद्रीय बैंक को खराब ऋणों से कड़ाई से निपटने के लिए बैंकों पर दबाव बनाने का अधिकार देते हुए बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करने के लिए 2017 में एक अध्यादेश जारी किया। इसने आरबीआई को बैंकों को ऋण डिफाल्टरों के खिलाफ आईबीसी की सहायता लेने के लिए निर्देशित करने को अधिकृत किया। यह अध्यादेश कॉरपोरेट जगत के सामने यह प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक था कि सरकार इस कदम का समर्थन कर रही है।

15. फँसी परिसंपत्तियों को निपटाने के लिए सभी मौजूदा ढाँचे को हटा लिया गया और इनकी निगरानी करने वाले संस्थागत तंत्र ज्वाइंट लेंडर्स फोरम (जेएलएफ) को भंग कर दिया गया।

16. अन्य चीजों के अलावा कॉरपोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग (सीडीआर), स्ट्रैटेजिक डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग (एसडीआर) और स्कीम फॉर सस्टेनबल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस असेट्स (एस4ए) जैसे समाधान प्लेटफॉर्मों ने बैंकों के लिए खराब ऋणों की सफाई का काम छोड़ दिया। अब सरकार के समर्थन से आरबीआई यह काम करने लगी है।

17. आरबीआई ने 2017 में बैंकों को दो चरणों में 39 बैड एकाउंटों को आईबीसी में ले जाने को बाध्य किया, जो कुल मिलाकर उद्योग की खराब परिसंपत्तियों में लगभग 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखते थे।

18. वर्तमान सरकार इस बात की इच्छुक है कि बैंकिंग सुधार और पुनर्पूंजीकरण को हाथों-हाथ किया जाना चाहिए।

19. सरकार ने पीएसबी के लिए 'उन्नत पहुँच एवं सेवा उत्कृष्टता' का लक्ष्य रखा और इसे हासिल करने के लिए छह आधार तय किये : ग्राहक अनुक्रियता, जवाबदेह बैंकिंग, ऋण उठाव, वित्तीय समावेशन को गहरा करना, डिजिटलीकरण और कर्मियों का विकास।

अध्याय 7 : दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी)

परिणाम

1. भारत 2010 में 'रिज़ॉल्विंग इन्सॉल्वेंसी' में 138वें स्थान पर था, जबकि 2018 में समान मानक पर इसकी रैंक बढ़कर 103 स्थान तक आ गयी।
2. एनसीएलटी द्वारा स्वीकृत दस समाधान योजनाओं में दावों का कुल मूल्य लगभग 5524 करोड़ रुपये, परिसमापन मूल्य का कुल मूल्य 1430 करोड़ रुपये और कुल प्राप्ति की उम्मीद 1854 करोड़ रुपये है (वसूली का औसत प्रतिशत 34% के बराबर और औसत वसूली 41% के बराबर है।)
3. आईबीसी से पहले, पुनर्गठन के लिए अनुशंसित मामलों का औसत काल 4 से 8 साल के बीच होता था और परिसमापन के लिए अनुशंसित मामलों का काल और अधिक होता था। वर्तमान कानून समाधान के लिए अधिकतम 270 दिनों की अनुमति देता है – प्रारंभ में 180 दिन और 90 दिनों का अतिरिक्त समय।
4. आईबीसी ने इसे ऋणदाता अनुकूल कानून बनाते हुए 'कब्जे में कर्जदार' व्यवस्था से 'नियंत्रण में ऋणदाता' व्यवस्था का दौर शुरू किया।

5. आईबीसी के अधिनियमित होने के 6 महीने से भी कम समय में, अधीनस्थ कानून को अंतिम रूप दिया गया था और वर्ष 2016 के अंत से पहले कानून के कॉर्पोरेट दिवाला हिस्से का बड़े पैमाने पर परिचालन किया। यह सब 2 साल से भी कम समय में हुआ।

6. नवंबर 2017 के अंत तक, आईबीसी के तहत 2434 मामले दर्ज किये गये और कंपनियों के परिसमापन के 2304 मामले विभिन्न उच्च न्यायालयों से स्थानांतरित किये गये। फरवरी 2018 के अंत तक, एनसीएलटी द्वारा संहिता के तहत 575 आवेदन स्वीकार किये गये थे, जिनमें से वित्तीय कर्जदाताओं ने 180, परिचालन कर्जदारों ने 302, और कंपनियों ने 92 आवेदन दाखिल किये थे।

7. फरवरी 2018 तक 1324 पेशेवरों को दिवालिया पेशेवरों के रूप में और 72 को दिवाला पेशेवर की इकाई के रूप में आईबीबीआई में पंजीकृत किया गया है। दिसंबर तक दायर मामलों में लगभग 1.28 लाख करोड़ रुपये की चूक राशि शामिल थी। कुल चूक राशि का 45% स्टील सेक्टर का है।

8. आईबीसी के पास अपनी विशिष्ट विशेषताओं के बल पर अन्य न्यायाधिकार क्षेत्रों में कुछ सर्वश्रेष्ठ दिवाला तंत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। इसकी सफलता भारत को दिवालापन को हल करने के लिए न्यायाधिकार क्षेत्र के एक आकर्षक विकल्प के रूप में प्रेरित कर सकती है।

सुधार

9. दिवालिया कानून सुधार समिति अगस्त 2014 में गठित की गयी थी, जिसने अपनी अंतिम रिपोर्ट नवंबर 2015 में दाखिल की थी। भारतीय संसद ने मई 2016 में आईबीसी को अधिनियमित किया था।

10. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) को दिवाला मामलों की निगरानी प्रदान करने के लिए सहायक प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया था। अदालत की भूमिका काफी कम हो गयी थी।

आईबीसी से पहले, पुनर्गठन के लिए अनुशंसित मामलों का औसत काल 4 से 8 साल के बीच होता था और परिसमापन के लिए अनुशंसित मामलों का काल और अधिक होता था। वर्तमान कानून समाधान के लिए अधिकतम 270 दिनों की अनुमति देता है – प्रारंभ में 180 दिन और 90 दिनों का अतिरिक्त समय।

11. दिवाला पेशेवरों और दिवाला समाधान/परिसमापन प्रक्रिया के विनियमन के लिए एक नया नियामक - दि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई) गठित किया गया। समाधान और परिसमापन प्रक्रियाओं के लिए सख्त समय सीमाएँ शुरू की गयीं, जो अंग्रेजी कानून के तहत प्रदान की गयी सीमा से भी कम है।
12. आईबीसी के तहत एनसीएलटी की ग्यारह पीठों (नयी दिल्ली में एक प्रधान पीठ और एनसीएलटी की नयी दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में क्षेत्रीय पीठें) की स्थापना की गयी और उन्हें सहायक प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया। आईबीबीआई की स्थापना अक्टूबर 2016 में हुई थी और कुछ ही दिनों में आईबीबीआई द्वारा तीन दिवाला पेशेवर एजेंसियों को पंजीकृत किया गया था।
13. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड को आईबीबीआई द्वारा पहली सूचना यूटिलिटी के रूप में लाइसेंस दिया गया था।
14. बैंकों को 12 सबसे बड़े एनपीए (उनके खातों में कुल एनपीए के लगभग 25% हिस्सा) को एनसीएलटी में ले जाने और फाइल करने के लिए अन्य बड़े खातों को चिह्नित करने के लिए निर्देशित करने में भारतीय रिजर्व बैंक को सक्षम बनाने के लिए सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन किया। यह आवश्यक था क्योंकि मार्च 2017 में पुनर्गठित ऋणों के रूप में एनपीए समेत बैंकिंग प्रणाली में कुल फँसी परिसंपत्ति कुल अग्रिम के 14-15% के खतरनाक स्तर तक पहुँच गयी थी।
15. आईबीसी का सम्मान करने के लिए, आरबीआई ने पहले की सभी न्यायालय से बाहर की

पुनर्गठन योजनाओं (सीडीआर, जेएलएफ, एसडीआर, एस4ए, लचीला पुनर्गठन आदि) को निरस्त कर दिया और एक अनौपचारिक ढाँचे के माध्यम से दिवाला निस्तारण के लिए एक नया ढाँचा प्रदान किया, जिसकी आवश्यकता क्रेडिट मूल्यांकन में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को और ज्यादा शामिल करने; एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान डिफ़ॉल्ट होने पर आईबीसी को खाता संदर्भित करने की स्थिति में; और 180 दिनों के भीतर समाधान योजना को लागू करने (कुल 20 बिलियन रुपये या इससे अधिक के खाते वाले), या फिर 15 दिनों के भीतर आईबीसी को संदर्भित करने में होती है। आरबीआई ने विवेकपूर्ण मानदंडों के लिए दिशानिर्देशों को भी संशोधित किया।

16. आईबीसी में पहली बार संशोधन इसके कार्यान्वयन से एक वर्ष से भी कम समय के भीतर किया गया था। सरकार ने डिफाल्टिंग प्रवर्तकों को फँसी परिसंपत्तियों का नियंत्रण वापस पाने से रोकने के लिए प्रावधान पेश किये। दुनिया में कहीं भी इस तरह का प्रतिबंध मौजूद नहीं है।

17. आईबीबीआई ने एक खुला द्वार नीति अपनायी ताकि यह बाजार के खिलाड़ियों के लिए सुलभ रहे। आईबीसी के तहत हुए अनुभवों और नये विकास क्रम का विश्लेषण लगभग दैनिक आधार पर किया गया था।

अध्याय 8 : राजकोषीय नीति

परिणाम

1. भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी), जो 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5 प्रतिशत के अरक्षणीय स्तर पर पहुँच गया था, बाद के वर्षों में नाटकीय रूप से कम हो गया है। मुद्रास्फीति, जिसका औसत 2012 में लगभग 10 प्रतिशत था, तब से अब तक सुदीर्घकालीन रूप से गिरावट आयी है, और पिछले चौबीस महीनों में औसतन 4 प्रतिशत रही है।
2. पिछले पाँच वर्षों में भारत के व्यापक आर्थिक बुनियादी आधारों में नाटकीय सुधार का अर्थ है कि भारत ने 2013 में 'दुर्बल पाँच' क्लब का सदस्य होने से लेकर बाद के वर्षों में उभरते बाजार जगत के भीतर एक 'सुरक्षित आश्रय' के रूप में देखे जाने तक तेजी से संक्रमण किया।
3. जीएसटी : पूरे भारत में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए आम बाजार सृजित करने से जीएसटी का मूल्य उत्पन्न होता है। इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण आवंटन दक्षता एवं उत्पादकता में वृद्धि का लाभ नीचे तक जाने की उम्मीद है, क्योंकि परिवहन समय घट जाता है और लागत में कमी आती है, उपयोग स्तर बढ़ता है, और निवेश की अगली खेप विभिन्न राज्यों के कर जाल के शोषण से प्रभावित नहीं होती है, बल्कि इसकी बजाय व्यापक आर्थिक और दक्षता आधारों से प्रेरित होती है।
4. सभी राज्यों में करों के तर्कसंगत हो जाने के साथ, विभिन्न राज्यों को अब निवेश के सीमांत रुपये

जीएसटी : पूरे भारत में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए आम बाजार सृजित करने से जीएसटी का मूल्य उत्पन्न होता है। इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण आवंटन दक्षता एवं उत्पादकता में वृद्धि का लाभ नीचे तक जाने की उम्मीद है, क्योंकि परिवहन समय घट जाता है और लागत में कमी आती है, उपयोग स्तर बढ़ता है, और निवेश की अगली खेप विभिन्न राज्यों के कर जाल के शोषण से प्रभावित नहीं होती है, बल्कि इसकी बजाय व्यापक आर्थिक और दक्षता आधारों से प्रेरित होती है।

को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता होगी – अपने क्षेत्र में करों कम करके नहीं (यानी, नीचे जाने की स्पर्धा), वरन स्वयं को और अधिक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाकर (यानी शीर्ष पर जाने की स्पर्धा)।

5. सार्वजनिक ऋण (केंद्र+राज्य) को जीडीपी के 60 प्रतिशत तक लाने की एफआरबीएम समिति की संस्तुति के हिस्से के रूप में केंद्र अपने ऋण (वर्तमान में जीडीपी का 48 प्रतिशत) को 40 प्रतिशत तक लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

6. केंद्र ने राजकोषीय संघवाद पर ठोस शुरुआत की है। केंद्र द्वारा व्यय जोखिम अंक में कमी के लिए समायोजन किये जाने के बाद भी राज्यों को शुद्ध कर राजस्व अनुमानित रूप से जीडीपी के 0.4 प्रतिशत तक बढ़ा है।

सुधार

7. एक लचीले मुद्रास्फीति दौर की ओर बढ़ने के लिए 2016 में आरबीआई अधिनियम को संशोधित किया गया था, और मौद्रिक नीतिगत निर्णयों को निष्पादित करने के लिए तीन बाहरी सदस्यों समेत छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का गठन किया गया।

8. फँसी परिसंपत्तियों के समाधान और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए खातों को दिवालिया बनाने को निर्देशित करने की आरबीआई की क्षमता, और सरकार का बड़ा पुनर्पूंजीकरण पैकेज, एक सुसंगत ढाँचा स्थापित किया गया है।

अध्याय 9 : व्यापार सुगमता

परिणाम

1. विश्व बैंक द्वारा जारी 2018 के लिए व्यापार सुगमता रिपोर्ट में भारत ने सूचकांक के इतिहास में 30 अंकों की अब तक की सबसे बड़ी छलाँग लगायी (2017 की रिपोर्ट में 130वें से 2018 में 100वें स्थान तक)। 2019 में, भारत फिर से 23 अंकों की छलांग लगाकर 77वें स्थान पर पहुँच गया।
2. देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की आमद में उछाल आया है। भारत 2014 से 11 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करते हुए सबसे पसंदीदा एफडीआई स्थलों में से एक बन गया है और अगले पाँच वर्षों में जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है।
3. भारत का दूर-से-आगे का अनुपात, जो बताता है कि देश की आर्थिक प्रथाएँ सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के समान हैं, दस में से नौ श्रेणियों में सुधरा है। भारत शीर्ष पाँच सुधराकर्ताओं में से एक के रूप में उभरा है।
4. देरी और सौदों की लागत जीएसटी के क्रियान्वयन, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण, बेहतर बुनियादी ढाँचा, ई-पेमेंट सिस्टम आदि द्वारा घट गयी है।
5. विश्व बैंक की नवीनतम एलपीआई (लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स) रिपोर्ट में, भारत कुल 160 देशों में 2014 में 54वें स्थान से 2018 में 44वें स्थान पर पहुँच गया।

6. चौदह वर्षों में पहली बार भारत के संप्रभु बांड पर रेटिंग बीएए3 से बढ़ाकर बीएए2 किया जाना सरकार के आर्थिक और संस्थागत सुधारों का प्रमाण है।

सुधार

7. 2017 तक, सरकार ने पहले ही 122 सुधारों को लागू कर दिया था और अब यह 90 और व्यापार सुगमता सुधार शुरू करने वाली है।
8. आने वाले वर्षों में, जीएसटी व्यावसायिक घरानों के लिए अनुपालन की लागत में कमी लायेगा। एक एकीकृत कर प्रणाली ने कर प्रक्रियाओं को सरल बनाया है जो लॉजिस्टिक्स, समय और लागत को कम करके राज्य की सीमाओं के पार व्यापार को बढ़ावा देगा।
9. दिवाला एवं दिवालिया संहिता 2016 का पारित होना। संहिता दिवालापन को हल करने के लिए 180 दिन की समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करती है। पूरे देश में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की ग्यारह पीठें, 977 दिवाला पेशेवर, तीन आईपीए और दो आईपीई परिचालन में हैं। नई दिवाला नीति के तहत एक व्यवसाय का परिसमापन करने में लगने वाला समय काफी घट जायेगा।
10. आसान ठेका प्रवर्तन के लिए, मध्यस्थता कार्यवाही में लगने वाले समय और आधार, जिस पर ठेके को चुनौती दी जा सके, को कम करने के लिए मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम में संशोधन किया गया।
11. 2017 में लागू रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 ने वाणिज्यिक और

विश्व बैंक द्वारा जारी 2018 के लिए व्यापार सुगमता रिपोर्ट में भारत ने सूचकांक के इतिहास में 30 अंकों की अब तक की सबसे बड़ी छलाँग लगायी (2017 की रिपोर्ट में 130वें से 2018 में 100वें स्थान तक)। 2019 में, भारत फिर से 23 अंकों की छलांग लगाकर 77वें स्थान पर पहुँच गया।

आवासीय अचल संपत्ति परियोजनाओं, जहाँ जमीन 500 वर्ग मीटर से अधिक है, या आठ अपार्टमेंट हैं, के लिए लॉन्च करने से पहले रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण में पंजीकरण कराने को अनिवार्य बना दिया है। यह खरीदारों का विश्वास बढ़ाकर लंबे समय में उपभोक्ता मांग बढ़ायेगा।

12. सूक्ष्म उद्यमों के लिए मुद्रा योजना एक सरकारी योजना है जो आर्थिक विकास का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर इन इकाइयों को सशक्त बनाती है।
13. अदालती मामलों की निगरानी के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक ग्रिड डेटा पेश किया गया है।
14. मध्यस्थता कार्यवाही में लगने वाले समय और आधार, जिस पर ठेके को चुनौती दी जा सके, को कम करने के लिए मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम में संशोधन किया गया। वाणिज्यिक विवादों को सुलझाने के समय और लागत को कम करने और व्यवसाय अनुकूल वातावरण बनाने के लिए जिला स्तर पर बहुत जल्द ही व्यावसायिक अदालतों की स्थापना की जानी है।
15. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के साथ पंजीकरण को सभी भौतिक स्पर्श बिंदुओं को समाप्त करके वास्तविक समय का बनाया गया है।
16. ईएसआईसी और ईपीएफओ के साथ पंजीकरण के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में बैंक खाता खोलने की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है।
17. सरकार ने नये व्यवसायों के लिए एक स्थायी खाता संख्या (पैन) और कर खाता संख्या (टैन) प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया का विलय कर दिया है।
18. सेबी द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रपत्रों का विवेकीकरण और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) मानदंडों का सरलीकरण किया गया है।
19. बिल्डिंग परमिट प्राप्त करने के लिए कई शहरों में ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया

गया है।

20. बंदरगाहों पर माल की तेज और कठिनाई मुक्त निकासी के लिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने व्यापार सुविधा के लिए एकल खिड़की इंटरफ़ेस (स्विफ्ट) का क्रियान्वयन किया है। एक अत्याधुनिक जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) ने छह साझीदार सरकारी एजेंसियों - भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), पशु संगरोध निरीक्षण सेवा (एक्यूआईएस), पादप संगरोध निरीक्षण सेवा (पीक्यूआईएस), ड्रग नियंत्रक और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो - को एकीकृत किया है। शेष साझेदार सरकारी एजेंसियों (पीजीए) को एकीकरण भी प्रगति पर है।

21. अधिकांश प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर 24X7 ऑनलाइन निकासी की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। ई-संचित नामक सीमा शुल्क कागजविहीन प्रसंस्करण ऐप्लिकेशन पर दस्तावेजों के थोक अपलोड के लिए एक ऐप्लिकेशन प्रोग्रामैटिक इंटरफ़ेस (एपीआई) विकसित करने पर एक चर्चा चल रही है।

22. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के लिए हर वर्ष एक व्यापक 'व्यवसाय सुधार कार्ययोजना' (2015 में पहली बार लॉन्च) जारी करने के लिए विश्व बैंक समूह के साथ भागीदारी की है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में व्यापार सुगमता परियोजनाओं से भारत से सबक लेना है। लागू सुधारों की वास्तविक समय की ट्रैकिंग और निगरानी भी डीआईपीपी द्वारा की जाती है।

23. निति आयोग जैसी संस्थाओं ने राज्यों की भूमिका की सही पहचान की है और सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिए सही मिश्रण के रूप में एक प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की पैरवी की है।

अध्याय 10 : रियल एस्टेट

परिणाम

1. रियल एस्टेट सेक्टर अब अधिक औपचारिक, मानकीकृत बन रहा है और उछाल की स्थिति में जा रहा है। सात प्रमुख शहरों में 300 बिल्डरों के बीच क्विकर होम्स के एक हालिया सर्वेक्षण में, पुनरुद्धार महसूस किया जा रहा है। सर्वेक्षण में शामिल लगभग 82 प्रतिशत बिल्डरों ने रेरा द्वारा लाये जा रही पारदर्शिता और एफडीआई में तेजी के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
2. 2018 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, रियल एस्टेट क्षेत्र में 2017 की पहली छमाही में कुल 25.7 करोड़ डालर का एफडीआई हुआ है, जो कि पूरे 2016 के दौरान के कुल एफडीआई के दोगुना से अधिक है।
3. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बेनामी सौदों पर अंकुश लगाने के लिए चौबीस 'बेनामी निषेध इकाइयों (बीपीयू)' की स्थापना की है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, आयकर जाँच निदेशालय ने 23 मई 2017 तक 400 से अधिक बेनामी सौदों की पहचान की है।
4. आयकर (आईटी) विभाग के अधिकारियों ने दावा किया कि 'कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 530 करोड़ रुपये से अधिक के कुल मूल्य के साथ चालीस मामलों में अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है।' यही नहीं, आईटी विभाग बेनामी अधिनियम

के प्रावधानों के तहत 30 लाख रुपये से अधिक के सभी संपत्ति पंजीकरण की कर प्रोफाइल के मिलान की दिशा में भी काम कर रहा है।

5. राज्यसभा में प्रस्तुत एक जवाब में, वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि आईटी विभाग ने 1,200 से अधिक मामलों में अनंतिम रूप से 39 अरब रुपये से अधिक की बेनामी संपत्ति कुर्क की है। इसने फरवरी 2018 के अंत तक 1,600 से अधिक बेनामी सौदों की भी पहचान की है, जिसमें से 1,500 से अधिक मामलों में बेनामी संपत्तियों की अनंतिम कुर्की के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे।
6. फरवरी 2019 के अंतरिम बजट भाषण में, पीयूष गोयल ने कहा कि 6,900 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति कुर्क की गयी है।
7. रेरा ने भारतीय रियल एस्टेट उद्योग को पहला नियामक दिया है।
8. आमतौर पर, प्रवर्तक चूक के लिए घर खरीदारों पर दंडात्मक धाराएँ लगाते हैं जबकि समान चूक के लिए प्रवर्तकों पर अंकुश नहीं होता। अब, रेरा के तहत मॉडल किराया समझौते के पर्चे के साथ, अधिक संतुलित समझौते संभव होंगे।
9. खरीदारों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से एक अन्य प्रावधान संरचनात्मक खामियों पर पाँच साल की वारंटी है, जिसे बिल्डर द्वारा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता होगी। कानून के अनुसार, खरीदारों से अब बिल्ट-अप या सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल पर शुल्क नहीं लिया जा सकता है। इन्हें केवल कारपेट एरिया पर ही शुल्क देना है।
10. खरीदार द्वारा बिल्डिंग फर्मों को भुगतान की जा सकने वाली अधिकतम राशि पर सीमा - उनकी संपत्ति पर कब्जे के लिए समग्र लागत का 10 प्रतिशत – तय की गयी है। पहले, डेवलपर्स कुछ भी निर्मित किये बिना भारी भुगतान की मांग करने के लिए स्वतंत्र थे।
11. रेरा के प्रभावी होने के साथ, उपभोक्ताओं के लिए एक और राहत उनके रियल एस्टेट निवेश से

> ***फरवरी 2019 के अंतरिम बजट भाषण में, पीयूष गोयल ने कहा कि 6,900 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति कुर्क की गयी है।***

जुड़ी पीड़ा और शिकायतों को दूर करने के लिए आधिकारिक अथॉरिटी का होना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून का उल्लंघन को हल्के ढंग से नहीं लिया जाता है, उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कठोर मौद्रिक दंड (परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तक) और कारावास निर्धारित किया गया है।

12. बीमा कंपनियों ने अविश्वसनीय स्वामित्व अधिकार के कारण भूमि सौदों को कवर नहीं किया और यहाँ तक कि अदालतों ने भी सरकारी रिकॉर्ड पर निर्णायक के रूप भरोसा नहीं किया। परंतु रेरा सभी परियोजनाओं के लिए स्वामित्व अधिकार और निर्माण बीमा प्राप्त करना डेवलपर के लिए अनिवार्य बनाता है। बीमा का लाभ बिक्री के समय खरीदार को दिया जाना है।

13. आर्थिक सर्वेक्षण, 2018 का अनुमान है कि रेरा के लागू होने से, जवाबदेही पूरे रियल एस्टेट मूल्य श्रृंखला में उच्च विकास लायेगी, जबकि अनिवार्य प्रकटीकरण और पंजीकरण पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे।

सुधार

14. भारत सरकार ने नीतिगत लक्ष्य निर्धारित करने के लिए ‘सभी के लिए आवास’ और ‘स्मार्ट सिटी’ के लिए योजनाएँ शुरू की हैं। दो महत्वपूर्ण कानून पारित किये गये हैं : रियल एस्टेट सौदों के विनियमन के लिए रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) और कार्यान्वयन के लिए नियमों के साथ बेनामी संपत्ति सौदा निषेध अधिनियम, 1988 (बेनामी अधिनियम)।

15. बेनामी सौदा (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 1 नवंबर 2016 से लागू हुआ। ‘बेनामी सौदा

निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2015’ शीर्षक से इसकी अट्ठाइसवीं रिपोर्ट में इस कानून का विस्तृत अध्ययन किया गया।

16. 2016 में पारित, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) (रेरा) भारत में 80,000 से अधिक पंजीकृत बिल्डरों को अपने दायरे में लाना चाहता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दोनों हितधारकों के बीच समान स्तर है। यह अंतिम मूल्य निर्धारण, परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता के मामले में बिल्डरों को अधिक जवाबदेह बनाकर रियल्टी क्षेत्र को विनियमित करने के लिए आया है।

17. प्रत्येक रियल एस्टेट परियोजना (जहाँ विकसित किया जाने वाला कुल क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से अधिक है या किसी भी चरण में आठ से अधिक अपार्टमेंट विकसित किये जाने का प्रस्ताव है) के लिए अपने संबंधित राज्य प्राधिकरण के साथ पंजीकरण करने की अनिवार्य आवश्यकता है। पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय, प्रवर्तकों को परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए, भूमि की स्थिति, प्रवर्तक का विवरण, अनुमोदन, पूरा होने का समय आदि। पंजीकरण पूरा हो जाने और अन्य अनुमोदन (निर्माण संबंधी) मिलने के बाद ही परियोजना का विपणन किया जा सकता है। अब, सभी आवश्यक मंजूरियों को पहले प्राप्त किये बिना आवास इकाइयों की पूर्व-बिक्री या बिक्री कड़ाई से निषिद्ध है।

18. डेवलपर्स को एक आरक्षित खाता रखना चाहिए। भवन डेवलपर के लिए एक विशिष्ट भवन परियोजना की पूर्णता के लिए भुगतान किये गये सभी फंड का न्यूनतम 70 प्रतिशत राज्य-पर्यवेक्षित बैंक खाते में जमा करने को रेरा आवश्यक बनाता है, जिसे डेवलपर्स केवल उस भवन परियोजना की विशिष्ट लागतों को पूरा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं – इस फंड को कहीं अन्यत्र खर्च नहीं किया जा सकता।

19. प्रवर्तकों को बिल्डरों द्वारा जारी परियोजनाओं के लिए मूल अनुमोदित योजनाओं को प्रस्तुत

करना होगा, साथ ही परियोजना की प्रगति के साथ फंड उपयोग के संबंध में जानकारी नियामक को सावधि प्रस्तुत करनी होगी। इन प्रस्तुतियों को परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए घर खरीदारों को सक्षम करने के लिए रेरा की नियामक वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है।

20. प्रवर्तकों को भूमि पर अपने स्वामित्व अधिकार और हितों पर एक सकारात्मक वारंटी बनाने की भी आवश्यकता होती है, जो बाद में स्वामित्व अधिकार में किसी भी त्रुटि का पता चलने पर घर खरीदारों द्वारा उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें परियोजनाओं के स्वामित्व और निर्माण का बीमा लेना आवश्यक है, जिनकी प्राप्तियाँ बिक्री समझौते के निष्पादन पर आवंटी को मिलेंगी। सभी पंजीकृत परियोजनाओं के सभी विवरण, बिल्डरों के ट्रैक रिकॉर्ड, मुकदमेबाजी और अन्य महत्वपूर्ण विवरण सार्वजनिक उपयोग के लिए एक वेबसाइट पर रखे जाने हैं।

21. डेवलपर्स या प्रवर्तक आवासीय परियोजनाओं के न्यूनतम दो-तिहाई आवंटियों की लिखित सहमति के बिना एक अपार्टमेंट की अनुमोदित योजना को बदल नहीं सकते हैं। इसके अलावा, यदि डेवलपर वेबसाइट पर उल्लिखित समयसीमा को पूरा करने में विफल रहता है, तो वे घर खरीदारों को ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं।

22. रेरा प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ऑनलाइन पंजीकरण होना अनिवार्य बनाता है।

अध्याय 11 : सागरमाला और नीली अर्थव्यवस्था

परिणाम

1. 1. 2015 से 2025 तक की अवधि के दौरान चरणबद्ध क्रियान्वयन के लिए सागरमाला योजना के तहत, लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश पर 415 परियोजनाएँ चिह्नित की गयी हैं।

#	Project Theme	No. of Projects	Project Cost (Rs. Cr)
1	पत्तन आधुनिकीकरण	189	142,828
2	कनेक्टिविटी उन्नयन	170	230,576
3	पत्तन संबद्ध उद्योगीकरण	33	420,881
4	तटीय सामुदायिक विकास	23	4216
	कुल	415	798,500

2. कार्गो आवागमन में वृद्धि और रो-रो सेवा का विस्तार सागरमाला ने 89 परियोजनाओं की पूर्णता देखी है, यहाँ तक कि यह भारत में 400 से अधिक और जहाजियों के साथ आगे बढ़ती है, जो 42.3% की एक अभूतपूर्व वृद्धि है।
3. छह नये बंदरगाह स्थलों की पहचान की गयी है : वधावन, एनायम, सागर द्वीप, पारादीप आउटर

हार्बर, सिरकाज़ी और बेलेकेरी।

4. भारतीय राष्ट्रीय विदेशी निवेश नीति जहाजरानी में स्वचालित मार्ग द्वारा 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का समर्थन करती है,

5. हल्दिया से वाराणसी तक एनडब्लू-1 की नौपरिवहन क्षमता बढ़ाने के लिए जल मार्ग विकास परियोजना का क्रियान्वयन, एनडब्लू-4 के मुक्तयाला से विजयवाड़ा खंड में तैरते टर्मिनल का निर्माण और रो-रो (रोल-ऑन / रोल-ऑफ) सुविधाओं का विकास और आठ नये एनडब्लू पर काम की शुरुआत शुरू करना, कार्रवाई के नए क्षेत्रों में से कुछ हैं।

6. घोघा-दाहेज चरण 1 का उद्घाटन अक्टूबर 2017 में पीएम द्वारा किया गया था। यह काम्बे की खाड़ी में भावनगर जिले में घोघा और भरूच में दाहेज के बीच एक नौका सेवा है। नौका सेवा से दोनों शहरों के बीच की दूरी सड़क द्वारा 310 किमी से घटकर 30 किमी रह जायेगी।

7. नवंबर, 2017 में तटीय शिपिंग के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) द्वारा 2.3 लाख टन की एक खेप भेजी गयी थी, जो विजाग बंदरगाह से रवाना हुई था और कोच्चि, मुंबई और अहमदाबाद के लिए निर्दिष्ट थी। इस परियोजना से 2025 तक लगभग 40,000 करोड़ रुपये वार्षिक की कुल लागत बचत का अनुमान है।

8. नये बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने और समुद्र और राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा तटीय कार्गो और यात्रियों की आवाजाही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब तक 586 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ 31 परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है।

9. जहाजरानी मंत्रालय के अधीन मिनीरत्न पीएसयू कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने कोचीन बंदरगाह पर 970 करोड़ रुपये की लागत से एक अंतरराष्ट्रीय जहाज मरम्मत केंद्र स्थापित की है।

10. विशाखापत्तनम में प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेरिटाइम ऐंड शिप के भवन की स्थापना

> ***नवंबर, 2017 में तटीय शिपिंग के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) द्वारा 2.3 लाख टन की एक खेप भेजी गयी थी, जो विजाग बंदरगाह से रवाना हुई था और कोच्चि, मुंबई और अहमदाबाद के लिए निर्दिष्ट थी। इस परियोजना से 2025 तक लगभग 40,000 करोड़ रुपये वार्षिक की कुल लागत बचत का अनुमान है।***

के साथ इस क्षेत्र में कौशल विकास के बारे में प्रधानमंत्री के विचार सच हो सकते हैं। केंद्र में एक बिंदु पर 10,500 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की क्षमता होगी। सरकार ने एकमुश्त भुगतान के रूप में पहले ही 100 करोड़ रुपये का योगदान कर दिया है। सीईएमएस की अनुमानित लागत 766 करोड़ रुपये है; जिसमें से 87 प्रतिशत अनुदान सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान दिया जा रहा है, जो केंद्र के लिए प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता भी प्रदान कर रही है। इसी तरह कौशल उन्नयन के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई में एक केंद्र भी बन रहा है। यह एपेक (एंटवर्प/फ़्लैंडर्स पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर), बेल्जियम के सहयोग से है।

11. सागरमाला कार्यक्रम के राष्ट्रीय दृष्टिकोण योजना के अनुसार, सड़क द्वारा माल परिवहन की लागत 2-3 रुपये प्रति टन किमी और रेल द्वारा यह 1.2-1.5 रुपये प्रति टन किमी है। इन दो माध्यमों के विपरीत, तटीय शिपिंग द्वारा परिवहन की लागत 0.20-0.30 रुपये प्रति टन किमी है।

सुधार

12. सरकार भारतीय तटों पर व्यापार की बिना शर्त छूट पर विचार कर सकती है, भले ही वह पाँच साल की छोटी अवधि के लिए हो।
13. रो-रो जहाजों (रोल-ऑन और टोल-ऑफ) जैसे विशिष्ट प्रकार के समुद्री जहाजों पर व्यापार की छूट के बारे में जहाजरानी मंत्रालय की 2 सितंबर 2015 की अधिसूचना का व्यापक रूप से स्वागत किया गया था।
14. भारत के समुद्र तट और समुद्री क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 14 अप्रैल 2016

को जारी की गयी राष्ट्रीय दृष्टिकोण योजना (एनपीपी) को अंतिम रूप दे दिया गया है।

15. भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों के बीच तटीय शिपिंग पर समझौते का परिचालन शुरू करने के लिए नयी दिल्ली में 15 नवंबर 2015 को एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर हस्ताक्षर किये हैं।

16. घरेलू जहाज निर्माण क्षेत्र का समर्थन करने के क्रम में, दिसंबर 2015 में एक नयी नीति - भारतीय शिपयार्ड के लिए जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति - को मंजूरी दी गयी थी। नीति 4000 करोड़ रुपये के बजट के साथ 2016-17 से 2025-26 की समय सीमा पर केंद्रित है।

17. 2025 के बाद, भारतीय-निर्मित जहाज के लिए आगे बढ़ना अनिवार्य होगा। चूँकि नयी नीति में भारतीय अग्रणी जलपोतों में प्रयुक्त बंकर ईंधन पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का विचार किया गया है; तटीय माल ले जाने वाले तटीय जहाजों के लिए कार्गो-संबंधित और पोत-संबंधी शुल्क पर 40 प्रतिशत की छूट होगी। वाहन के तटीय परिवहन के लिए रो-रो जहाजों के लिए पोत-संबंधी शुल्कों और कार्गो-संबंधित शुल्कों पर छूट के लिए नये प्रावधान भी पेश किये गये हैं।

18. ऑटोमोबाइल उद्योग को कई प्रोत्साहनों के साथ तटीय शिपिंग के चयन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें रो-रो जहाजों के लिए व्यापार की छूट, दो साल के लिए रो-रो जहाजों के लिए छूट 40 प्रतिशत से बढ़ा कर 80 प्रतिशत तक करना शामिल है।

अध्याय 12 : शहरी भारत का कायाकल्प

परिणाम

1. मोदी सरकार की अपने शहरी मिशनों और योजनाओं में 12,37,329 करोड़ रुपये की सतत प्रतिबद्धता है। नया मंत्र सबका साथ सबका विकास के रूप में व्यक्त किया गया था। इस वादे का एक प्रमुख जोर भारतीय नागरिकों को जीवन सुगमता प्रदान करना था।
2. 2014-18 के बीच, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.53 करोड़ घर बनाये गये हैं।
3. स्वच्छ भारत मिशन के तहत, 4124 शहरों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है, और 60 प्रतिशत से अधिक नगरपालिका वार्डों में 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर ठोस कचरा संग्रह व्यवस्था है।
4. स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें 2, 03,979 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। 98 स्मार्ट शहरों ने पहले ही एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) स्थापित कर लिया है और मिशन ने मार्च 2018 तक 10,459.2 करोड़ रुपये के फंड जारी कर दिये हैं।
5. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.53 करोड़ घर बनाये गये हैं। (दिसंबर 2018)
6. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मिशनों/योजनाओं/परियोजनाओं की कुल लागत और जारी फंड (करोड़ रुपये में)

मिशन/परियोजना का नाम	कुल लागत	केंद्र सरकार का हिस्सा	जारी हो चुकी केंद्रीय सहायता
कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन (अमृत)	1,00,000	50,000	8765
स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम)	2,04,000	48,000	9939
स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)	62,009	14,600	6290
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (पीएमएवाई-यू)	7,00,000	1,80,000	13,560
दीनदयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)	-	1517	1517
विरासत शहर विकास एवं विस्तार योजना (हृदय)	-	500	281
मेट्रो रेल परियोजनाएँ	1,71,320	1,13,768	47,749
कुल	12,37,329	4,08,385	88,101

सुधार

7. अतीत में सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को चिन्हित करने वाले साइलो, दोहराव और अपव्यय से मोदी सरकार ने एक निश्चित प्रस्थान किया है। इस तरह, पहला सिद्धांत जो सभी योजनाओं में प्रबलित किया जा रहा है, वह है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से वित्त पोषण का उसी स्थान पर कार्यान्वित की जा रही अन्य योजनाओं के वित्तपोषण के साथ संमिलन, साथ ही साथ स्वास्थ्य, ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्रों में फैली सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का शहरी मिशन में अंतरग्रंथन करना। इसके अलावा, मंत्रालय छोटी पायलट योजना हृदय को छोड़कर सभी योजनाओं में राज्य सरकारों के साथ भागीदारी में काम कर रहा है।

8. ‘सभी के लिए आवास’ मिशन (प्रधानमंत्री आवास योजना या पीएमएवाई) लैंगिक सशक्तीकरण को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए घर की महिला के नाम या साझे में पंजीकृत संपत्ति के स्वामित्व अधिकार के साथ 2022 तक हर भारतीय को अपना स्वयं का घर बनाने का अधिकार देता है। 1.2 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया जाना है और लाभार्थियों को दिया जाना है, और यह विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से किया जा रहा है, ‘क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी स्कीम’ से, जो निजी क्षेत्र से खरीदी गयी इकाइयों के लिए आवास ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान करता है, ‘साझेदारी में किफायती आवास’, जिसके तहत डेवलपर आवास इकाइयों के निर्माण के लिए प्रति लाभार्थी एक निश्चित सब्सिडी राशि का उपयोग कर सकता है। ‘यथास्थान झुग्गी पुनर्वास’ डेवलपर को स्थानीय निवासियों के लिए बहु-मंजिला आवासीय ब्लॉक बनाकर मुक्त की गई भूमि का मौद्रीकरण करने की अनुमति देता है। ‘लाभार्थी नीत निर्माण’ विकल्प नवविवाहित जोड़ों के लिए पृथक कमरे के बिना भीड़ भरे घरों में रहने वालों को एक नया कमरा जोड़कर अपने घरों का विस्तार करने की अनुमति देता है।

9. सरकार ने यह भी माना है कि शहरी प्रवासी को लचीले आवास विकल्पों की आवश्यकता होती है क्योंकि वह गतिशीलता और आजीविका विकल्पों के अनुसार किसी अन्य शहर में स्थानांतरित होने का विकल्प बनाये रखना चाहता है। इस प्रकार, आवास मंत्रालय युवा और आकांक्षी भारतीयों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नयी किराया आवास नीति तैयार कर रहा है।

10. स्मार्ट सिटीज मिशन ‘लाइटहाउस’ शहरों का निर्माण करेगा जो शहरी क्षेत्र के लिए नवाचार प्रयोगशालाओं की तरह हैं और यह उन अवधारणा-प्रमाण प्रारूपों और सर्वोत्तम प्रथाओं का निर्माण करेगा जिससे देश के आसपास के अन्य शहर सीखेंगे। इस योजना में शहर के भीतर आवश्यकता के आधार पर चयनित विशिष्ट क्षेत्रों के उन्नयन की परिकल्पना की गयी है, ताकि

एक क्षेत्र में सफलता को भविष्य में अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाया जा सके। इस प्रस्ताव में एकीकृत योजनाएँ शामिल हैं, जहाँ शहर के सभी विभाग एक साथ एक एकीकृत दृष्टि तैयार करते हैं और समग्र समाधानों का प्रस्ताव करते हैं, जो उन सभी योजनाओं और निवेशों को समाहित करते हैं जिन्हें क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों और विभागों द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

11. स्मार्ट शहरों द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) स्थापित करने की उम्मीद है, जो परियोजनाओं के जीवन चक्र को लागू करने और प्रबंधित करने के लिए अनिवार्य हैं।

12. आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सिटी लिवेबिलिटी मानक और एक सूचकांक बनाया है जो प्रत्येक स्मार्ट सिटी के प्रदर्शन को 79 संकेतकों और 15 अलग-अलग आयामों में मापेगा।

13. 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने और भारतीयों को 100 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रदान करने के दुस्साहसी लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। पूरी योजना स्वच्छाग्रह जैसी अवधारणाओं

'सभी के लिए आवास' मिशन (प्रधानमंत्री आवास योजना या पीएमएवाई) लैंगिक सशक्तीकरण को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए घर की महिला के नाम या साझे में पंजीकृत संपत्ति के स्वामित्व अधिकार के साथ 2022 तक हर भारतीय को अपना स्वयं का घर बनाने का अधिकार देता है। 1.2 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया जाना है और लाभार्थियों को दिया जाना है, और यह विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से किया जा रहा है, 'क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी स्कीम' से, जो निजी क्षेत्र से खरीदी गयी इकाइयों के लिए आवास ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान करता है, 'साझेदारी में किफायती आवास', जिसके तहत डेवलपर आवास इकाइयों के निर्माण के लिए प्रति लाभार्थी एक निश्चित सब्सिडी राशि का उपयोग कर सकता है। 'यथास्थान झुग्गी पुनर्वास' डेवलपर को स्थानीय निवासियों के लिए बहु-मंजिला आवासीय ब्लॉक बनाकर मुक्त की गई भूमि का मौद्रीकरण करने की अनुमति देता है। 'लाभार्थी नीत निर्माण' विकल्प नवविवाहित जोड़ों के लिए पृथक कमरे के बिना भीड़ भरे घरों में रहने वालों को एक नया कमरा जोड़कर अपने घरों का विस्तार करने की अनुमति देता है।

के माध्यम से अभियान में हर शहरी निवासी को शामिल करने के लिए डिज़ाइन की गयी है। जागरूकता उत्पन्न करने और प्रत्येक व्यक्ति को शामिल करने से, एसबीएम एक जनांदोलन – जनता का आंदोलन - बन गया है। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) का लक्ष्य सभी 4041 वैधानिक शहरों और कस्बों में रहने की स्वच्छ स्थिति प्रदान करना है।

14. कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) का लक्ष्य सभी 500 श्रेणी -1 शहरों के लिए पानी की आपूर्ति, सीवरेज, तूफान-जल निकासी और फुटपाथ और साइकिल ट्रैक प्रदान करना है।

15. विरासत कायाकल्प और अवसंरचना विकास एवं संवृद्धि योजना (हृदय) बारह शहरों में पर्यटन के लिए सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार करती है।

अध्याय 13 : सड़क

परिणाम

1. 1951 में 4 लाख किमी से बढ़कर 2017 में 56 लाख किमी से अधिक का भारत का सड़क नेटवर्क अब वैश्विक स्तर पर अमेरिका के बाद सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। लगभग 1.7 किमी प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि का सड़क घनत्व भी वैश्विक समकक्षों के अनुकूल है।
2. परियोजना का ठेका देने और निर्माण की गति बढ़ रही है और परियोजना की पूर्णता दर 27 किमी प्रति दिन तक पहुँच गयी है।
3. एजाज़ गनी (2016) ने विनिर्माण (औपचारिक क्षेत्र) पर स्वर्णिम चतुर्भुज के प्रभाव की समीक्षा की और पाया कि इसने चतुर्भुज के नोडल बिंदु बनने वाले चार प्रमुख शहरों को छोड़कर, राजमार्ग नेटवर्क (0-10 किमी ज़ोन) से सटे जिलों में महत्वपूर्ण विकास को प्रेरित किया। बड़े अंतर के अनुमानों से पता चलता है कि निर्माण शुरू होने के बाद दशक के दौरान इन जिलों में उत्पादन स्तर 49 प्रतिशत बढ़ा है।
4. ग्रामीण सड़कों (पीएमजीएसवाई) में निवेश के परिणामस्वरूप आर्थिक विकास पर केंद्रित एक

> ***भारत खारदुंग ला से कन्याकुमारी तक और कच्छ से किबिथु तक प्रगति के पथ पर है। नया राजमार्ग विकास कार्यक्रम भारतमाला, महत्वाकांक्षा को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है और तेज विकास को संभव बनाता है।***

हालिया अध्ययन ग्रामीण श्रम (खेतों में काम करने वाले और खेतों से बाहर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने वाले) में महत्वपूर्ण परिवर्तन को इंगित करता है। यह अनुमान लगाया गया था कि नयी सड़कों के कारण कृषि श्रमिकों में 10 प्रतिशत और गैर-कृषि श्रमिकों में 8 प्रतिशत अंक परिवर्तन आया है।

5. यह पाया गया कि एक नयी सड़क अगले दो वर्षों में माध्यमिक विद्यालय नामांकन में 7 प्रतिशत की वृद्धि और शैक्षिक प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार करती है।

6. 2015 में आईएलओ अध्ययन ने भी इसी तरह के सुधारों का दस्तावेजीकरण किया। अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि निकटतम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक पहुँचने के लिए बस्ती के बाहर यात्रा करने वाले छात्रों के लिए सड़कों की पहुँच में सुधार से यात्रा का समय 60-70 प्रतिशत तक कम हो गया। अंत में, अध्ययन में कॉलेजों में महिला नामांकन (दोगुनी) और सड़कों द्वारा उपलब्ध बेहतर संपर्क के बीच एक महत्वपूर्ण सकारात्मक संबंध पाया गया।

7. शिल्पा अग्रवाल (2017) ने रोजगार में 40 प्रतिशत वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यबल उम्र की महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर में 25 प्रतिशत की वृद्धि देखी। निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच पर सकारात्मक प्रभाव देखा गया; संक्रामक रोगों के बेहतर प्रबंधन, और आपात स्थिति में सेवा और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा यात्राओं की आवृत्ति में वृद्धि देखी गयी। सड़क संपर्क ने परिवारों को गाँव के बाहर अस्पतालों में संस्थागत प्रसव का चयन करने में सक्षम बनाया।

8. भारत खारदुंग ला से कन्याकुमारी तक और कच्छ से किबिथु तक प्रगति के पथ पर है। नया

नीति में पूर्वगामी परिवर्तनों के साथ, राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों के लिए आवंटन वित्त वर्ष 14 में 6.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 18.7 बिलियन डॉलर हो गया।

राजमार्ग विकास कार्यक्रम भारतमाला, महत्वाकांक्षा को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है और तेज विकास को संभव बनाता है।

सुधार

9. एक नये मध्यस्थ ढाँचे की पेशकश, जिसमें अन्य छह महीने के अधिकतम विस्तार के साथ बारह महीने के भीतर मध्यस्थता मामलों को हल करने की आवश्यकता होती है।
10. अटकी परियोजनाओं में एकमुश्त ’फंड डालने के लिए एनएचएआई को बाध्य करना और बकाया मुद्दों के त्वरित समाधान को सक्षम करना।
11. इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) को अनिवार्य बनाना, वाह्य सेवाओं (जैसे शौचालय और गैस स्टेशन) के लिए आवश्यक भूमि को राहगीर के अधिकार (आरओडब्लू) से अलग करना या अनुमोदित संरेखण और परियोजना के समापन के लिए ‘छूट-योग्य’ और ‘गैर-छूट योग्य’ जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करना।
12. घोषित नीति के अनुसार, सरकार ने कहा है कि केवल पर्यावरणीय और सामाजिक मंजूरी और 80 प्रतिशत सुरक्षित आरओडब्लू वाली परियोजनाओं को बोली के लिए पेश किया जायेगा।
13. नीति में पूर्वगामी परिवर्तनों के साथ, राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों के लिए आवंटन वित्त वर्ष 14 में 6.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 18.7 बिलियन डॉलर हो गया।
14. भारतमाला को पाँच वर्ष की अवधि में 7 ट्रिलियन रुपये के अनुमानित परिव्यय पर अक्टूबर 2017 में सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। परिव्यय एनटीडीपीसी के अनुमान के अनुरूप है, और केंद्र सरकार 3.8 ट्रिलियन रुपये की फंडिंग करेगी।

अध्याय 14 : बिजली क्षेत्र

परिणाम

1. विश्व बैंक के एक शोध में अनुमान लगाया गया है कि 2014 में, भारत की समस्त जनसंख्या के लगभग 25 प्रतिशत के पास बिजली तक पहुँच नहीं थी। अप्रैल 2018 में, सरकार ने समय सीमा से काफी पहले ही सभी गाँवों के लिए 100% विद्युतीकरण प्राप्त किया।
2. आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 10 अक्टूबर 2017 को, देश के कुल 22.44 करोड़ घरों में से लगभग 18.55 करोड़ घरों में बिजली की पहुँच थी और शेष 3.89 करोड़ तक पहुँच नहीं थी। 10 मई 2018 तक, लगभग 56 लाख घरों को बिजली तक पहुँच मिल गयी, जिससे यह संकेत मिलता है कि 15 प्रतिशत लक्ष्य पहले ही प्राप्त हो चुका है।
3. 2014 से पहले, राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले अधिकांश डिस्कॉम बड़े पैमाने पर नुकसान और निरंतर ऋण स्तरों (उस समय लगभग 4 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान) से परेशान थे। उदय पोर्टल के डेटा से संकेत मिलता है कि अब तक (10 मई 2018 तक की जानकारी): (i) डिस्कॉम के कुल ऋण का लगभग 87 प्रतिशत, कुल मिलाकर 2.32 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पुनर्गठन किया गया है; (ii) एटीएंडसी की क्षति 21.4 प्रतिशत (राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का औसत जिसके लिए डेटा उपलब्ध है) तक घट गयी है; (iii) एसीएस-एआरआर का

अंतर घटकर 0.2 रुपये/ यूनिट (2015-16 में 0.60 रुपये/यूनिट से) तक हो गया है और (iv) पच्चीस राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों ने शुल्क स्तरों के संशोधन को मंजूरी दी। हालाँकि यह योजना अभी पूरी नहीं हुई है, परंतु यह देश में एक स्वच्छ और कुशल वितरण क्षेत्र के लिए एक ठोस आधार बनाने में काफी सफल रही है।

4. भारत अब अपनी लगभग सभी बिजली जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। व्यस्त घंटों के दौरान भी, देश अब अपने सभी व्यस्त घंटों की मांग की आपूर्ति करने में सक्षम है।

सुधार

5. पदभार संभालने के कुछ समय बाद, सरकार ने समयबद्ध तरीके से सभी के लिए 24x7 विश्वसनीय बिजली प्रदान करने के अपने इरादे की घोषणा की (मार्च 2019 तक)। इसके बाद, बिजली क्षेत्र को मथने और ओवरहाल करने के लिए सुधारों की एक पूरी श्रृंखला आयी। इन उपायों ने क्षेत्र की चुनौतियों के पूरे दायरे को कवर किया: ईंधन की आपूर्ति की कमी को खत्म करने (शक्ति, कोयला उत्पादन को दोगुना करना आदि) के उपाय।

6. सरकार ने दिसंबर 2014 में एक प्रमुख पहल दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। अन्य बातों के अलावा, डीडीयूजीजेवाई ने सभी गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँवों और बस्तियों (100 से ऊपर की आबादी) को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा।

7. उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) नवंबर 2015 में शुरू की गयी थी। समग्र लक्ष्य एटीएंडसी हानियों को 15 प्रतिशत (सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए) तक लाना और

आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 10 अक्टूबर 2017 को, देश के कुल 22.44 करोड़ घरों में से लगभग 18.55 करोड़ घरों में बिजली की पहुँच थी और शेष 3.89 करोड़ तक पहुँच नहीं थी। 10 मई 2018 तक, लगभग 56 लाख घरों को बिजली तक पहुँच मिल गयी, जिससे यह संकेत मिलता है कि 15 प्रतिशत लक्ष्य पहले ही प्राप्त हो चुका है।

एसीएस और एआरआर के बीच के अंतर को समाप्त करना था।

8. बिजली तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, प्रधानमंत्री ने एक और प्रमुख पहल, प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) का शुभारंभ किया। 31 मार्च 2019 तक, ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में सभी घरों को बिजली प्रदान करने के लक्ष्य के साथ सौभाग्य 11 मार्च 2017 को शुरू हुई (असत्यापित रिपोर्टों से पता चलता है कि समयसीमा को कम करके दिसंबर 2018 किया जा रहा है)।

9. डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य, दोनों को लागू करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) को नोडल एजेंसी बनाया गया था।

अध्याय 15 : नमामि गंगे

परिणाम

1. इस कार्यक्रम के तहत 24,672 करोड़ रुपये मूल्य की 254 परियोजनाएँ मंजूर की गयी हैं।
2. 3076 एमएलडी के नये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिए 131 परियोजनाएँ स्वीकृत।
3. अब तक, कम से कम 26 परियोजनाओं की पूर्णता, जिसमें पुराने और गैर-परिचालन बुनियादी ढाँचे का पुनर्वास भी शामिल है, ने 328 एमएलडी की एक उपचार क्षमता और लगभग 2,000 किमी के सीवरेज नेटवर्क को चालू किया है।
4. 16 दिसंबर 2018 को, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज में 175 किमी के सीवरेज नेटवर्क का उद्घाटन किया, जो गंगा में उत्तर प्रदेश के प्रदूषण बोझ के एक-चौथाई के बराबर है। लगभग 855 एमएलडी की नयी क्षमता बनाने के लिए कम से कम 44 अन्य सीवेज अवसंरचना परियोजनाएँ पूर्ण होने के उन्नत चरणों में हैं। इसकी तुलना में, लगभग तीन दशकों में गंगा कार्ययोजना के तहत केवल 1,098 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गयी थी।
5. नदी के किनारे 10, 83,688 घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया और सभी 4465 गाँवों को खुले में शौच से मुक्त बनाया गया। इस प्रयास के परिणाम गंगा के कुछ सबसे प्रदूषित हिस्सों में दिखायी दे रहे हैं। माइक्रोबियल कैरेक्टराइजेशन ऑफ गंगा ’नामक सीपीसीबी रिपोर्ट के अनुसार, 2014 में, कानपुर के बिठूर में फीकल कॉलिफॉर्म का स्तर 2,500 प्रति 100 मिली की अधिकतम

अनुमेय सीमा के मुकाबले 3,500 प्रति 100 मिलीलीटर था। 2017 में, बिठूर में बाएँ तट, मध्य-धारा और दाएँ तट में एकत्र डेटा ने फीकल कॉलिफॉर्म का स्तर क्रमशः 100 मिलीलीटर प्रति 49 प्रति 100 मिली, 49 प्रति 100 मिली और >1600 प्रति 100 मिली तक दिखाया था। इसी तरह का सुधार कन्नौज में राजघाट, रायबरेली में डलमऊ और अन्य स्थानों पर देखा गया।

6. कानपुर में 128 साल पुराने सीसामऊ नाले के सीवेज को हमेशा भैरो घाट से गंगा नदी में बहाया जाता था, जिससे लगभग 140 एमएलडी अनुपचारित पानी गंगा नदी में जाता था। हालाँकि, अब कुख्यात सीसामऊ नाले को मोड़ दिया गया है। लगभग 8 करोड़ लीटर सीवेज को सफलतापूर्वक नेस्तनाबूंद कर लिया गया था।

7. अल्पकालिक गतिविधियों के तहत, कुछ प्रारंभिक स्तर की गतिविधियाँ, जो घाटों और श्मशान के विकास, नदी की सतह की सफाई गतिविधियों आदि को कवर करती हैं, की योजना बनायी गयी है।

8. मध्यम अवधि की गतिविधियों के तहत, मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत किया जायेगा और नये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) स्थापित किये जायेंगे।

9. दीर्घकालिक कार्ययोजना में गंगा नदी की पूर्णता की बहाली और नदी की पारिस्थितिक और भूवैज्ञानिक अखंडता को बनाये रखना शामिल है। नमामि गंगे के तहत, सार्वजनिक-निजी भागीदारी हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल का एक नया तंत्र तैयार किया गया है जिसमें परिसंपत्तियों के दीर्घकालिक (10-15 वर्ष) संचालन और रखरखाव के लिए प्रावधान रखा गया है।

10. गंगा की मुख्य धारा और उसकी सहायक नदियों पर 1109 जीपीआई की पहचान की गयी है। 1109 जीपीआई के निरीक्षण में, 538 गैर-अनुपालन योग्य पाये गये और जिनमें से 358 को बंद करने के निर्देश जारी किये गये हैं और 180 को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।

11. 1353 एमएलडी की उपचार क्षमता स्थापित करने और 436 किलोमीटर सीवेज नेटवर्क बिछाने के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में गंगा की सहायक नदियों के लिए कम से कम 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है। केंद्र का कहना है कि इस दृष्टिकोण ने पहले से ही परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। यह दावा करता है कि 124 स्थानों पर मैनुअल और वास्तविक समय की निगरानी से पता चलता है कि गंगा के साथ संगम होने से पहले रामगंगा और उसकी सहायक नदियों में पानी की गुणवत्ता की प्रवृत्ति में सुधार हुआ है।
12. 2017-18 के लिए गंगा नदी के अपने जैविक जल गुणवत्ता आकलन में सीपीसीबी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि "मुरादाबाद की सहायक नदी रामगंगा डी/एस की जैव जल गुणवत्ता में भारी (2014-16) से अनुगामी वर्ष (2017-18) में मध्यम प्रदूषण तक सुधार हुआ है।" सीपीसीबी रिपोर्ट आगे लिखती है कि "वरुणा नदी की जैविक जल की गुणवत्ता में मानसून (2017-18) के बाद गंभीर से मध्यम प्रदूषण तक सुधार पाया गया।"
13. हाल ही में, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि मार्च 2019 के अंत तक गंगा 70 से 80 प्रतिशत साफ हो जायेगी।

सुधार

14. 7 अक्टूबर 2016 को मोदी सरकार ने गंगा की सफाई के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय प्राधिकरणों को गठित किया।
15. सरकार ने नमामि गंगे नामक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन की घोषणा की। उन्होंने पूर्ववर्ती जल संसाधन मंत्रालय का पुनर्नामकरण जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प (एमओडब्लूआर, आरडी ऐंड जीआर) मंत्रालय के रूप में किया और इसे गंगा और उसकी

सहायक नदियों के संरक्षण, विकास, प्रबंधन और प्रदूषण के उन्मूलन की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी।

16. नमामि गंगे नदी की सफाई का सबसे बड़ा सरकारी अनुदान कार्यक्रम है। 20,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ मई 2015 में शुरू इस कार्यक्रम में अल्पावधि, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक गतिविधियाँ शामिल हैं। राष्ट्रीय गंगा परिषद, राज्य गंगा समितियों और जिला गंगा समितियों से निर्मित एक तीन स्तरीय संस्थागत ढाँचे की स्थापना की गयी है।

17. राज्यों और शहरी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज जैसी जमीनी स्तर की संस्थाओं को शामिल करने के अलावा, और त्रि-स्तरीय परियोजना निगरानी तंत्र (केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर) होने के बावजूद, सरकार ने नमामि गंगे के तहत परियोजनाओं के लिए एक हाइब्रिड वार्षिकी आधारित सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल अपनाया। इस मॉडल के तहत, पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत तक का योगदान सरकार द्वारा निर्माण से जुड़े पड़ावों के माध्यम से किया जायेगा। यह परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करेगा।

18. एकल बिंदु जवाबदेही सुनिश्चित करने और असमन्वय की संभावना को सीमित करने के लिए सरकार ने एक-शहर-एक-ऑपरेटर अवधारणा को भी अपनाया है जिसके तहत एक एकल

नदी के किनारे 10, 83,688 घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया और सभी 4465 गाँवों को खुले में शौच से मुक्त बनाया गया। इस प्रयास के परिणाम गंगा के कुछ सबसे प्रदूषित हिस्सों में दिखायी दे रहे हैं। माइक्रोबियल कैरेक्टराइजेशन ऑफ गंगा 'नामक सीपीसीबी रिपोर्ट के अनुसार, 2014 में, कानपुर के बिठूर में फीकल कॉलिफॉर्म का स्तर 2,500 प्रति 100 मिली की अधिकतम अनुमेय सीमा के मुकाबले 3,500 प्रति 100 मिलीलीटर था। 2017 में, बिठूर में बाएँ तट, मध्य-धारा और दाएँ तट में एकत्र डेटा ने फीकल कॉलिफॉर्म का स्तर क्रमशः 100 मिलीलीटर प्रति 49 प्रति 100 मिली, 49 प्रति 100 मिली और >1600 प्रति 100 मिली तक दिखाया था। इसी तरह का सुधार कन्नौज में राजघाट, रायबरेली में डलमऊ और अन्य स्थानों पर देखा गया।

ऑपरेटर को शहर के संपूर्ण सीवेज बुनियादी ढाँचे के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है।

19. नमामि गंगे, नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को जीवित रखने के लिए अविरलता या निरंतर प्रवाह पर विशेष जोर देता है। केंद्र ने इस वर्ष अक्टूबर में जारी एक अधिसूचना में, पानी की न्यूनतम मात्रा को अनिवार्य किया है कि पवित्र नदी के विभिन्न हिस्सों में वर्षभर पानी की उतनी मात्रा होनी जरूरी है।

20. नये मानदंडों के तहत, नदी के किनारे स्थित पनबिजली परियोजनाओं को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने परिचालन में संशोधन करना होगा। इस बदलाव का बिजली उत्पादन और इस तरह उसके शुल्क पर कोई असर होने की संभावना नहीं है।

अध्याय 16 : स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)

परिणाम

1. भारत का कुल स्वच्छता कवरेज अक्टूबर 2014 में 38.7 प्रतिशत के बराबर था, जो अब लगभग 59 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 98 प्रतिशत है।
2. 2 अक्टूबर 2014 से अब तक (जनवरी 2019) ग्रामीण भारत में 9,20,54,540 घरेलू शौचालय और शहरी भारत में 59,28,977 शौचालय बनाये गये हैं।
3. 5.5 लाख से अधिक गाँवों, 3461 शहरों, 601 जिलों और 28 राज्यों को खुले में शौच के संकट से मुक्त किया गया है। (जनवरी 2019 तक)
4. नमामि गंगे की गंगा सफाई योजना के तहत 4464 गाँवों को खुले में शौच से मुक्त किया गया है।
5. क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) और साथ ही वर्ल्ड बैंक के इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एजेंट्स (आईवीए) जैसी विश्वसनीय एजेंसियों द्वारा किये गये सर्वेक्षण में पाया गया है कि शौचालय तक पहुँच रखने वाले दस ग्रामीण परिवारों में से वास्तव में नौ (90 प्रतिशत) ही इसका उपयोग कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए परिणाम समान हैं। इसी तरह, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की हालिया स्वछता स्थिति रिपोर्ट ने शौचालय स्वामियों द्वारा उसके उपयोग का स्तर 90 प्रतिशत से ऊपर रखा है।
6. कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं हैं। पीएम ने सभी स्कूलों को

शौचालय प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट संदेश दिया और यह सुनिश्चित किया कि एक वर्ष के भीतर लगभग 4.5 लाख ऐसे शौचालय बनाये गये।

7. यूनिसेफ ने भारत में 90% खुले में शौच के लिए जिम्मेदार 12 राज्यों की 550 ग्राम पंचायतों में से बेतरतीब ढंग से चुने गये 10,068 ग्रामीण घरों का प्रतिनिधित्व करने वाले 18,376 उत्तरदाताओं के नमूने पर एक स्वतंत्र सर्वेक्षण किया। परिणामों से संकेत मिलता है कि मोटे तौर पर ओडीएफ गाँवों में घरों को 50,000 प्रति वर्ष का संचयी लाभ होता है और घरों को कुल लाभ औसतन 4.7 गुना से अधिक हो जाता है। लाभ 4 व्यापक मदों के तहत पहचाने जाते हैं :

   a) चिकित्सा लागत में कमी आयी जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय बचत हुई। यह बीमारी प्रकरणों में कमी के कारण चिकित्सीय उपचार पर कम खर्च से बचता है जो प्रति वर्ष प्रति घर औसतन 8024 रुपये बैठता है।

   b) बीमारी से खराब हुए समय और खुले में शौच के लिए जगह तलाशने से बचे समय का मूल्य प्रति वर्ष प्रति घर औसतन 24,646 रुपये बैठता है।

   c) कम मृत्यु दर के कारण बची जिंदगियों के आर्थिक मूल्य के रूप में बची जिंदगी का मूल्य प्रति वर्ष प्रति घर औसतन 17,622 रुपये बैठता है।

   d) घरों के रहवासियों द्वारा निर्मित शौचालयों से संपत्ति मूल्य में औसत वृद्धि के रूप में अनुमानित संपत्ति मूल्य प्रति घर 18,991 रुपये बैठता है। (यह एक एकमुश्त नकद लाभ के रूप में लिया जाता है जिसे 10 साल की अवधि के अंत में माना जाता है)।

8. एक अन्य अध्ययन ने पुष्टि की कि सर्वेक्षण से पहले एक महीने में दस्त का प्रसार लगभग 3500 बच्चों के नमूने में 7 प्रतिशत अंक कम हो गया।

5.5 लाख से अधिक गाँवों, 3461 शहरों, 601 जिलों और 28 राज्यों को खुले में शौच के संकट से मुक्त किया गया है। (जनवरी 2019 तक)

सुधार

9. निर्मल भारत अभियान जैसे पूर्ववर्ती स्वच्छता कार्यक्रमों से एसबीएम इस मायने में अलग है कि न केवल शौचालयों के निर्माण पर, बल्कि शौचालयों के उपयोग में व्यवहार परिवर्तन को सुनिश्चित करने पर भी इसका स्पष्ट जोर है। नीति में बदलाव ने कार्यक्रम के सामुदायिक स्वामित्व को दर्शाते हुए ग्रामीण स्तर पर ओडीएफ निगरानी समितियों, निगरानी समितियों के गठन को आवश्यक बनाया।
10. व्यवहार परिवर्तन अभियान इस अर्थ में नया है कि यह देश के प्रत्येक नागरिक पर स्वच्छता को हमारा नया स्वाभाव बनाने पर जोर देता है।

अध्याय 17 : स्वास्थ्य क्षेत्र

परिणाम

1. 1998-99 में हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-2 अध्ययन और 2015-16 में हुए एनएफएचएस-4 के बीच, कम वजन वाले बच्चों (0-3 वर्ष आयु वर्ग के लिए) का अनुपात 47 प्रतिशत से कम होकर 38.3 प्रतिशत हो गया है, अर्थात लगभग दो में से एक बच्चे से घटकर में लगभग तीन में एक बच्चा। इसी अवधि में अपर्याप्त पोषक तत्वों के सेवन के कारण विकास अवरुद्ध बच्चों के अनुपात में 7.5 प्रतिशत की गिरावट आयी, यानी अनुपात 45.5 प्रतिशत से घटकर 38 प्रतिशत हो गया है।
2. 2015-16 में विकास अवरुद्धता में 10 प्रतिशत की कमी आयी है और गंभीर अपक्षय 1% से बढ़ कर 7.5% हो गया है।
3. भारत ने स्तनपान दर की जल्द शुरुआत में पर्याप्त सुधार किया है, यह एनएफएचएस-3 में 23.4 प्रतिशत से एनएफएचएस-4 में 41.6 प्रतिशत हो गया है।
4. शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 2005-06 में 57 प्रति 1000 जन्म (एनएफएचएस-3) से घटकर 2015-16 (एनएफएचएस-4) में 41 प्रति 1000 जन्म हो गयी।
5. 2014 में प्रारंभ मिशन इंद्रधनुष बच्चों और महिलाओं का प्रतिरक्षण कवरेज को 2013 के 65% से सुधार कर 2020 तक 90% तक करना चाहता है। यह कार्यक्रम अप्रैल 2015 से जुलाई 2017

के बीच चला, जिसमें लगभग 2.55 करोड़ बच्चों और 69 लाख गर्भवती महिलाओं को टीके लगाये गये। इसने पूर्ण टीकाकरण कवरेज में पहले दो चरणों के बाद 2013-14 में 1% कवरेज के मुकाबले 6.7% (ग्रामीण क्षेत्रों में 7.9% और शहरी क्षेत्रों में 3.1%) की वृद्धि का योगदान दिया।

6. दिसंबर 2018 तक 90% पूरी तरह प्रतिरक्षित बच्चों और गर्भवती महिलाओं की कवरेज बढ़ाने के लिए 8 अक्टूबर 2017 को गहन मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। गहन मिशन इंद्रधनुष के दो दौर के बाद, दिसंबर 2017 तक, 30 लाख बच्चों और 6.5 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया था।

7. आयुष्मान भारत के तहत, 2018 और 2022 के बीच 1.5 लाख उप केंद्रों (एससी) को चरणबद्ध तरीके से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (एचडब्लूसी) के रूप में उन्नत किया जायेगा। प्रस्तावित एचडब्लूसी संचारी रोगों और साथ ही साथ एनसीडी के लिए नैदानिक, उपचारात्मक, पुनर्वास और उपशामक सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान करेगा। इसके अलावा, डायग्नोस्टिक्स और दवाएँ मुफ्त दी जायेंगी जिसका ओओपीई को नियंत्रित करने पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। अब तक, जनवरी 2019 तक 6193 एचडब्ल्यूसी चालू हो गये हैं।

8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (आयुष्मान भारत के तहत), का लक्ष्य देश के सबसे गरीब और सबसे कमजोर परिवारों के 10 करोड़ लोगों को अस्पताल में भर्ती होने संबंधी खर्चों के लिए 5 लाख रुपये प्रति वर्ष का वार्षिक कवर प्रदान करना है।

9. जनऔषधि केंद्रों पर उपलब्ध दवाएँ बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड की तुलना में 50-90 प्रतिशत की बचत कराती हैं। मार्च 2014 तक, देश में केवल 8 जनऔषधि स्टोर थे। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत यह संख्या कई गुना बढ़ गयी है क्योंकि 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4844 केंद्र खोले गये हैं (जनवरी 2019 तक)।

10. पीएमबीजेपी योजना के तहत 700 से अधिक दवाएँ और 154 सर्जिकल और उपभोग्य सामग्रियाँ

बहुत कम दर पर प्रस्तुत की जाती हैं, जिसमें एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी-एलर्जी, एंटी-इंफेक्टिव, एंटी-डायबिटिक, कार्डियोवैस्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दवाएँ, मूत्रवर्धक जैसे सभी प्रमुख चिकित्सीय समूह शामिल हैं।

11. चुनिंदा अस्पतालों में अमृत (अफोर्डेबल मेडिसीन्स एंड रिलायबल इम्प्लैंट्स फॉर ट्रीटमेंट) नाम से विशेष स्टोर खोले गये हैं, जो बिचौलियों को खत्म करते हैं और प्रचलित बाजार दरों पर 60 से 90 प्रतिशत तक की छूट के साथ हृदय प्रत्यारोपण समेत कैंसर और हृदय रोगों की दवाएँ प्रदान करते हैं। अमृत स्टोर्स ने 60.49 लाख रोगियों को लाभान्वित किया है और 15.3.2018 तक खरीदारों को कुल 311.99 करोड़ रुपये तक की बचत करने में सक्षम बनाया है।
12. नवंबर 2017 तक, सरकार ने 849 दवाओं की अधिकतम कीमतें तय कर दी थीं। इसके अलावा, अवरुद्ध धमनियों के उपचार के लिए उपयोग किये जाने वाले दवा जारी करने वाले स्टेंट की कीमतें कम करके 30,180 रुपये से 27,890 रुपये कर दी गयी हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि भारत में 6 करोड़ से अधिक मरीज हैं जिनमें से लगभग 5 लाख स्टेंट प्रक्रिया से गुजरते हैं।
13. केंद्र और राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों को 2020-21 तक 10,000 स्नातक और 8058 स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने के लिए उन्नत किया जा रहा है। 2019-20 तक देश के पिछड़े जिलों में 112 सहायक नर्सिंग और मिडवाइफरी स्कूलों और 136 सामान्य नर्सिंग मिडवाइफरी स्कूलों की स्थापना के माध्यम से कुशल नर्सिंग पेशेवरों की अपेक्षित संख्या के निर्माण के लिए प्रयास चल रहे हैं।
14. देश में स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल का उपयोग किया जा रहा है। ई-रक्तकोष, मोबाइल अकादमी, एम-सेशेसन, राष्ट्रीय ई-स्वास्थ्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल, किलकारी और अनमोल (एएनएम ऑनलाइन) जैसे कई ई-स्वास्थ्य पहल शुरू किये गये हैं।

सुधार

15. दिसंबर 2017 में राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) के लॉन्च होने के साथ, मोदी सरकार ने कुपोषण से सफलतापूर्वक निपटने के लिए तिहरा दृष्टिकोण अपनाया। फ्लैगशिप स्कीम को छोटे बच्चों में विकास अवरुद्धता एवं अपक्षय और युवतियों एवं किशोरियों में एनीमिया रोकने के लिए एक बहुउद्देश्यीय व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार किया गया है। एनएनएम के अलावा, सरकार ने स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत की कल्पना करते हुए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। 2022 के लिए 5 से कम उम्र के कम वजन के बच्चों में लगभग 15 प्रतिशत की कमी के साथ-साथ 20-49 वर्ष की आयु की महिलाओं और लड़कियों में एनीमिया के प्रसार में 36 प्रतिशत की कमी का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।
16. मार्च 2018 में शुरू पोषण अभियान ने विकास अवरुद्धता, अपोषण, एनीमिया और कम वजन के साथ जन्म में क्रमश: कम से कम 2%, 2%, 3% और 2% वार्षिक कमी लाने के लिए स्पष्ट रूप से एक समयबद्ध कार्य योजना बना कर कुपोषण के खिलाफ युद्ध को फिर से सक्रिय किया है। यह नवजात के जीवन के प्रारंभिक 1000 दिनों में महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों के चिह्नित पैकेज का वितरण सुनिश्चित करने के लिए हर माँ और बच्चे के विकास की प्रौद्योगिकी आधारित वास्तविक समय में निगरानी प्रदान करता है।
17. स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और राष्ट्रीय स्तनपान प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किया गया है।
18. माताओं के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण, स्तनपान प्रथाओं का प्रसार, स्वच्छता को अपनाना और मजबूत खाद्यान्नों का प्रावधान इस सरकार के एजेंडे में रहा है।
19. 14 साल के लंबे अंतराल के बाद, एनडीए सरकार द्वारा नयी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएपी) 2017 पेश की गयी। नीति विशेष रूप से वंचितों के बचाव के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को

> ***राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (आयुष्मान भारत के तहत), का लक्ष्य देश के सबसे गरीब और सबसे कमजोर परिवारों के 10 करोड़ लोगों को अस्पताल में भर्ती होने संबंधी खर्चों के लिए 5 लाख रुपये प्रति वर्ष का वार्षिक कवर प्रदान करना है।***

बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध संसाधनों के दो-तिहाई से अधिक के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने के लिए एक ढाँचा प्रदान करती है। यह केवल प्रमुख गैर-संचारी रोगों और जराचिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक स्वास्थ्य, उपशामक देखभाल और पुनर्वास संबंधी देखभाल सेवाएँ भी शामिल हैं। यह स्वास्थ्य देखभाल और उपयुक्त स्वास्थ्य मानव संसाधन की उपलब्धता में सुधार के लिए मध्य-स्तरीय सेवा प्रदाताओं, नर्सों, सार्वजनिक स्वास्थ्य कैडर के विकास की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।

20. आयुष्मान भारत प्राथमिक स्तर से तृतीयक देखभाल तक स्वास्थ्य प्रणाली को व्यापक रूप से मजबूत करने का प्रयास करता है, जिससे ऊर्ध्वाधर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से फोकस में उल्लेखनीय बदलाव का संकेत मिलता है।

    ए. इसका पहला आयाम स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचडब्लूसी) के नेटवर्क के माध्यम से अगली पीढ़ी की प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण पर केंद्रित है ताकि अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही बीमारियों का जल्द पता लगाया जा सके।

    बी. कार्यक्रम का दूसरा आयाम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (एनएचपीएम) है, जो माध्यमिक और तृतीयक सुविधाओं में गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की अंतरंग स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बढ़ायेगा।

21. सरकार के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक (एनएमसी) 2017 का उद्देश्य देश में चिकित्सा शिक्षा के प्रशासन में बड़ी कमजोरियों को दूर करना है।

22. पारंपरिक चिकित्सा को शामिल करने के लिए, सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय आयुष मिशन लॉन्च

किया। इस मिशन का उद्देश्य आयुष की प्रभावशीलता को स्थापित करने के लिए सह-स्थान और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और विश्वसनीय साक्ष्य के सृजन सहित लागत प्रभावी आयुष सेवाओं तक पहुँच को व्यापक बनाना है। 2017 में, आयुर्वेद की पंरपरागत प्रणाली और आधुनिक तकनीकों के बीच तालमेल बनाने के लिए, पीएम ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नयी दिल्ली की तर्ज पर पहली बार अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का शुभारंभ किया।

23. 2017 में एक नयी राष्ट्रीय रणनीतिक योजना की शुरुआत के माध्यम से टीबी के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी गयी है। 2025 तक भारत से टीबी के उन्मूलन के लिए सरकार में उच्चतम राजनीतिक स्तरों पर नये सिरे से प्रतिबद्धता आयी है। सप्ताह में तीन बार उपचार का दौर दैनिक निर्धारित-खुराक की दवा के दौर में परिवर्तित हो गया है और 2018-19 के केंद्रीय बजट में टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य प्रदाताओं द्वारा टीबी रोगियों की रिपोर्टिंग नहीं करने को दंडनीय अपराध बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

24. सरकार ने काला जार और लिम्फैटिक फाइलेरिया (एलएफ) जैसी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी को खत्म करने के लिए भी कदम उठाये हैं। सरकार सामूहिक दवा प्रशासन के लिए 60 करोड़ की कुल जनसंख्या के साथ 256 स्थानिक जिलों को लक्ष्यित कर रही है।

25. एनएमसी विधेयक 2017 चिकित्सा शिक्षा का एक समान मानक बनाये रखने, भारतीय संदर्भ के लिए प्रासंगिक पाठ्यक्रम बनाने और खराब डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात में सुधार करने में भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) की अक्षमता सहित प्रणाली में लगातार सड़ांध को दूर करने का प्रयास करता है। बिल का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य नर्सों और सामुदायिक चिकित्सा के स्वास्थ्य कर्मियों को प्रस्तावित एचडब्लूसी का नेतृत्व करसकने वाले मध्य स्तरीय प्रदाताओं

के रूप में उचित प्रशिक्षण देकर स्वास्थ्य पेशेवरों की आपूर्ति को बढ़ाना है।

26. सुपरिचालित स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित करने में चिकित्सा उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, एमओएएफडब्लू ने चिकित्सा उपकरण नियम 2017 को अधिसूचित किया। पहले, केवल 15 श्रेणियों के उपकरण विनियमन के अधीन थे, वह भी दवाओं की छतरी के नीचे। विनिर्माण लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी सुव्यवस्थित किया गया है।

27. केंद्र सरकार द्वारा अपनी तरह के पहले प्रयास में, फरवरी 2018 में स्वास्थ्य परिणाम सूचकांक में प्रदर्शन जारी किया गया। एमओएचएफडब्लू और विश्व बैंक के सहयोग से निति आयोग द्वारा विकसित सूचकांक, राज्यों के समग्र स्वास्थ्य की स्थिति के साथ ही प्रक्रियाओं, शासन और परिणामों में वार्षिक प्रगति को दर्शाता है। सूचकांक के पहले संस्करण में, बड़े राज्यों में केरल, पंजाब और तमिलनाडु शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे, जबकि नवजात मृत्यु दर और 5 अन्य मृत्यु दरों को घटाने के साथ ही टीकाकरण कवरेज और संस्थागत प्रसव बढ़ा कर झारखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर ने 2014-15 की तुलना में 2015-16 में अधिकतम सुधार दिखाया। 14वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए कर कटौती की हिस्सेदारी को विभाज्य पूल के 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। एमओएचएफडब्लू ने एनएचएम के तहत 20 प्रतिशत फंड को स्वास्थ्य परिणाम सूचकांक पर प्रदर्शन के लिए रखा है।

28. भारतीय चिकित्सा परिषद नियमन, 2002 के एक संशोधन ने यह अधिसूचित किया है कि 'प्रत्येक चिकित्सक को जेनेरिक नामों के साथ दवाओं को कानूनी रूप से और अधिमानतः बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए और वह यह सुनिश्चित करेंगे कि दवाओं का तर्कसंगत नुस्खा और उपयोग हो।'

29. जेनेरिक दवाओं पर जोर ने जेब से बाहर निकलते स्वास्थ्य व्यय को कम करने के साथ ही घरेलू

स्वास्थ्य दवा उद्योग को बढ़ावा देने के दोहरे लाभों को सक्षम किया है।

30. फरवरी 2018 में घोषित चिकित्सा शिक्षा से संबंधित कुछ हस्तक्षेप हैं :

a) नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना : 2019-20 तक चरण-I के तहत पहले ही अनुमोदित मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संलग्न 58 नये मेडिकल कॉलेजों को स्थापित करने के लिए चल रही योजना की निरंतरता, और 2021-22 तक चरण-II के तहत मौजूदा जिले/रेफरल अस्पताल के साथ संलग्न 24 नये मेडिकल कॉलेजों का चयन और स्थापना।

b) मेडिकल सीट की वृद्धि : राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना की निरंतरता, जिसके परिणामस्वरूप 2020-21 तक 10,000 स्नातक सीटों और 8058 स्नातकोत्तर सीटों की वृद्धि होगी।

c) नर्सिंग योजना : देश के पिछड़े जिलों में 2019-20 तक 112 सहायक नर्सिंग और मिडवाइफरी (एएनएम) स्कूलों और 136 सामान्य नर्सिंग मिडवाइफरी (जीएनएम) स्कूलों की स्थापना के लिए योजना को जारी रखना और पूरा करना।

अध्याय 18 : उच्च शिक्षा

परिणाम

1. आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर से 10-पॉइंट स्केल पर 8 और इससे अधिक सीजीपीए प्राप्तकरने वाले 1000 स्नातकों के लिए एक विशेष प्रधान मंत्री अनुसंधान अध्येतावृत्ति योजना शुरू की गयी है। ये मेधावी छात्र अध्येतावृत्ति अनुदान के रूप में प्रति माह 70,000 रुपये से 80,000 रुपये पाने के हकदार होंगे।
2. गिआन योजना के तहत, 1800 से अधिक पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी गयी है और लगभग 1000 विदेशी शिक्षकों ने प्रासंगिक पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए भारत के विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों का दौरा किया है। इन पाठ्यक्रमों को रिकॉर्ड किया गया है और उनमें से कुछ को मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है।
3. एक राष्ट्रीय एमओओसी पोर्टल स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयम) बनाया गया है जिसमें इंजीनियरिंग, विज्ञान, गणित, मानविकी और सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, कला एवं मनोरंजन और भाषा में भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के 1600 से अधिक पाठ्यक्रम हैं। ये किसी भी इच्छुक शिक्षार्थी के लिए मुफ्त उपलब्ध हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म पर 39 लाख उपयोगकर्ता पंजीकृत हैं। लगभग 3 वर्षों में 10,000 पाठ्यक्रम और 3 करोड़ उपयोगकर्ता बनाने का लक्ष्य है।

4. ये पाठ्यक्रम 32 डायरेक्ट-टू-होम स्वयंप्रभा चैनलों पर भी उपलब्ध हैं। यूजीसी और एआईसीटीई ने एमओओसी के माध्यम से अर्जित 20% क्रेडिट तक अनुमति देने का नियम बनाया है ताकि छात्रों को देश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक से उनकी पसंद के विषय का अध्ययन करने का अवसर मिले।

5. पिछले साल, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन में 40,000 छात्रों ने भाग लिया था और 598 प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हल करने के लिए 26 हैकाथॉन केंद्र चुने गये थे। इस वर्ष, एक लाख से अधिक छात्रों ने रुचि दिखायी है और 36 घंटे लंबे सॉफ्टवेयर हैकाथॉन के अलावा एक सप्ताह लंबा हार्डवेयर हैकाथॉन होगा। इसमें 26 मंत्रालय और 18 राज्य सरकारें भाग लेंगी और इन्होंने सॉफ्टवेयर हैकथॉन के लिए कुल 340 प्रॉब्लम स्टेटमेंट और हार्डवेयर हैकथॉन के लिए 68 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिये हैं। इस प्रकार, भारतीय हैकथॉन तेजी से दुनिया के सबसे बड़े खुले नवाचार मॉडल में से एक के रूप में विकसित हो रहा है।

सुधार

6. सुधार के लिए प्रमुख जोर मौजूदा अच्छी शिक्षण संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता देने, मान्यता को अनिवार्य बनाने, अंडरपरफॉर्मिंग संस्थानों को विनियमित करने के दौरान अच्छे प्रशासन का समर्थन करने, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को सृजित करने और नवाचार एवं अनुसंधान को समर्थन देने के लिए नये केंद्रीय वित्त पोषित आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर, आईआईआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों को शुरू करने पर रहा है।

7. अन्य पहलकदमियों में कौशल विकास का समर्थन करना, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के माध्यम से नौकरियाँ पैदा करना आदि शामिल है।

8. मान्यता : चूँकि बड़ी संख्या में संस्थान बिना मान्यता के हैं, इसलिए विशेषज्ञों की क्षमता निर्माण के लिए दो-आयामी दृष्टिकोण रहा है ताकि विशिष्ट समयावधि के भीतर दौरे कराये जा सकें और

संस्थानों को परिणाम आधारित प्रणाली का पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। सभी संस्थानों को संस्थान पोर्टल पर मान्यता की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है।

9. स्वायत्तता : श्रेणीबद्ध स्वायत्तता के लिए एक नियमन है, जिसमें श्रेणी-1 में 4 के स्केल पर 3.51 से अधिक सीजीपीए वाले विश्वविद्यालयों को अधिकतम स्वायत्तता प्राप्त होती है, 3.26 सीजीपीए और उससे ऊपर के लोगों को पर्याप्त स्वायत्तता मिलती है और केवल 3.26 सीजीपीए से कम वाले विनियमित किये जायेंगे। एआईसीटीई भी एकल प्रबंधन संस्थानों के लिए श्रेणीबद्ध स्वायत्तता के साथ आ रहा है। नियामक सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों को स्वायत्तता देने पर विचार कर रहे हैं।

10. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएआरडी) ने प्रभावकारी अनुसंधान, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी (इम्प्रिंट) नामक एक उत्प्रेरक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कई नवाचारी अनुसंधान क्षेत्रों को संबोधित किया जा रहा है।

11. अकादमिक नेटवर्क की वैश्विक पहल (गिआन) - नामक योजना एमएचआरडी द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को आकर्षित करने और एक से दो सप्ताह की अवधि के अत्याधुनिक पाठ्यक्रमों का संचालन करने के लिए बनायी गयी है।

12. एआईसीटीई और एमएचआरडी ने राष्ट्रीय स्तर के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को शुरू किया है। विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से प्रॉब्लम स्टेटमेंट एकत्र करके छात्रों को एक चुनौती के रूप में दिया गया है, जो इन समस्याओं को हल करने के लिए अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। विजेता टीमों को इन विचारों को मजबूत समाधानों, जिन्हें बाद में सरकारी विभागों द्वारा अपनाया जा सके, में परिवर्तित करने के लिए फंड दिया जाता है।

13. एआईसीटीई ने कॉलेज में रहते हुए भी स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी खुद की स्टूडेंट स्टार्टअप नीति बनायी है। इसका उद्देश्य छात्रों को दूसरों के लिए

आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर से 10-पॉइंट स्केल पर 8 और इससे अधिक सीजीपीए प्राप्तकरने वाले 1000 स्नातकों के लिए एक विशेष प्रधान मंत्री अनुसंधान अध्येतावृत्ति योजना शुरू की गयी है। ये मेधावी छात्र अध्येतावृत्ति अनुदान के रूप में प्रति माह 70,000 रुपये से 80,000 रुपये पाने के हकदार होंगे।

भी रोजगार के अवसर पैदा करने में योगदान देना है। यह नीति भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 16 नवंबर 2016 को आगंतुक सम्मेलन के दौरान शुरू की गयी थी।

14. एमएचआरडी, एआईसीटीई, डीएसटी (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग), एसडीई (कौशल विकास और उद्यमिता), एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मंझोले उद्यम), निति आयोग, डीबीटी (जैव प्रौद्योगिकी विभाग), डीआईपीपी (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग), एनआरडीसी (राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम) और एनपीआईयू (राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई) जैसे सभी सरकारी विभाग सभी हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए भारत-अंतरराष्ट्रीय नवाचार और स्टार्टअप फोरम (आई3एसएफ) बनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। दक्षिण कोरिया और कनाडा के साथ उनके देशों में भारतीय स्टार्ट-अप के लिए इनक्यूबेटर समर्थन प्रदान करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

15. कौशल विकास : निकट भविष्य में नयी तकनीक के क्षेत्र में आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स), मशीन लर्निंग, एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे अपेक्षित कौशल को पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में और नियमित छात्रों के लिए अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रमों में उद्योग इंटर्नशिप और परियोजनाओं के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है, जबकि नलसाजी, निर्माण, वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत, कंप्यूटर कौशल, कृषि से संबंधित कौशल, स्वास्थ्य से संबंधित कौशल और ऊर्जा से संबंधित कौशल आदि जैसे तकनीकी कौशलों को तकनीकी संस्थानों की कार्यशालाओं और प्रयोगशालाओं की स्थान क्षमता का उपयोग करके पीएमकेवीवाई के तहत स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को प्रदान किया जा

रहा है।

16. तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और कॉलेजों में छात्रों को समृद्ध अनुभव प्रदान करने के लिए एआईसीटीई ने कई अन्य योजनाएँ शुरू की हैं

a) पाठ्यचर्या संशोधन : एआईसीटीई ने सभी कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या को संशोधित करने के लिए आईआईटी और उद्योग के विशेषज्ञों की समितियों का गठन किया। इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री पूरी करने के लिए क्रेडिट की संख्या घटाकर 160 क्रेडिट तक कर दी गयी है, लेकिन नवीनतम पाठ्यक्रमों को सीखने, सीखने के लिए सीखने, अनुभवात्मक सीखने, परियोजना आधारित सीखने और इंटर्नशिप आदि पर जोर दिया गया है। पाठ्यर्या में भारत का संविधान, पर्यावरण अध्ययन और प्राचीन एवं आधुनिक भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनिवार्य पाठ्यक्रम हैं।

b) छात्र प्रेरण कार्यक्रम : पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले छात्रों को पहले वर्ष में 3 सप्ताह के लंबे प्रेरण के दौर से गुजारा जाता है, उन्हें शारीरिक व्यायाम, खेल, योग और वर्तमान रुचि के विभिन्न विषयों पर चर्चा और बहस से गुजरना होगा। मूल्य आधारित नैतिक नागरिकों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर छात्र जनसंख्या को संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

c) शिक्षक प्रेरण कार्यक्रम : पदस्थ शिक्षकों के लिए एक सेमेस्टर लंबा, 8 मॉड्यूल कार्यक्रम तैयार किया गया है। मॉड्यूल में अध्यापन कला, एमओओसी, फ़्लिप्ड कक्षा, मिश्रित शिक्षण, सीखने की शैली, पाठ्यक्रम डिज़ाइन, कक्षाओं में बातचीत, असाइनमेंट एवं प्रश्नपत्र डिज़ाइन और मूल्यांकन विधि आदि की नयी विधियाँ शामिल हैं।

d) शिक्षक विकास कार्यक्रम : शिक्षक को समय-समय पर उभरते क्षेत्रों में पुन: प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रोन्नति के लिए उद्योग इंटर्नशिप

अनिवार्य होगी।

e) छात्रों के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप : सभी छात्रों के लिए दो ग्रीष्मावकाश के दौरान कम से कम 4-6 सप्ताह की ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप या एक पूर्ण सेमेस्टर इंटर्नशिप अनिवार्य होगी। यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को उद्योग की आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से तैयार किया जायेगा।

f) उद्योग संस्थान संपर्क प्रकोष्ठ : प्रत्येक कॉलेज में एक उद्योग संस्थान संपर्क प्रकोष्ठ, जहाँ शिक्षक और छात्र लगातार उपयुक्त पाठ्यचर्या संशोधन के लिए उद्योग के साथ संलग्न हो सकते हैं, होना अनिवार्य किया गया है जिसमें उद्योग से सहायक अध्यापक हों, विशेष व्याख्यान की व्यवस्था कर सकें और उद्योग प्रासंगिक परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।

g) नवाचार प्रयोगशाला/कार्यशाला : प्रत्येक संस्थान को छात्रों को उनके नवाचारी विचारों को प्रतिकृति और उत्पादों में परिवर्तित करने का अवसर देने के लिए एक विशेष स्थान आरक्षित करना चाहिए। यह स्थान कॉलेज के किसी भी छात्र की पहुँच में 24x7 होना चाहिए।

h) उद्यमिता क्लब और इनक्यूबेटर : संस्थानों को इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर बनाने के लिए डीएसटी और निति आयोग में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

i) एआईसीटीई ने सभी कॉलेजों के लिए उन्नत भारत अभियान के तहत कम से कम 5 गाँवों को अपनाना अनिवार्य किया है। यह योजना संसद आदर्श ग्राम योजना से भी जुड़ी हुई है ताकि सांसदों एवं विधायकों द्वारा गोद लिये गये गाँव और कॉलेज बेहतर समन्वय और इन गाँवों के तीव्र विकास के लिए एक साथ काम कर सकें।

j) एआसीटीई ने एकल पुत्री छात्राओं और दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति की स्थापना की है।

k) एआईसीटीई ने प्रति वर्ष 150 पूर्णकालिक राष्ट्रीय डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति की स्थापना की है

1) एआईसीटीई ने छात्र समुदाय को इंटर्नशिप में सहायता प्रदान करने, स्टार्ट-अप में परामर्श देने, रोजगार के अवसर देने और अनुसंधान एवं नवाचार क्षमताओं को विकसित करने के लिए निजी और सार्वजनिक उद्यमों के साथ कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किये हैं।

अध्याय 19 : कृषि एवं किसानों की आय

परिणाम

1. फरवरी 2019 के अंतरिम बजट ने 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले 12 करोड़ किसानों के खातों में 6000 रुपये वार्षिक राशि सीधे हस्तांतरित किये जाने की घोषणा की।
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत दिसंबर 2018 तक 14,24,00,000 लाभार्थियों को शामिल किया गया है।
3. निति आयोग के मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम के बाद, उत्तराखंड, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने अपने पट्टेदारी कानूनों में संशोधन किया है।
4. किसान की आय में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, एमएसपी को ए2 + एफएल (किसानों के अपने पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य) की तुलना में कम से कम 50% अधिक निर्धारित किया गया है। एमएसपी को लागत के 1.5 गुना तक सीमित नहीं किया जा सकता है। यह इससे अधिक हो सकता है लेकिन इसे कम नहीं होने दिया जायेगा। ए2+ एफएल को 50% तक बढ़ाने का आशय है कि फसल उत्पादन में किसान और उसके परिवार का लगने वाले समय का मूल्य नियुक्त श्रम को चुकता की जाने वाली मजदूरी दर की तुलना में 50% अधिक होगा।
5. ई-एनएएम प्लेटफॉर्म पर व्यापार के लिए गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज और मसालों सहित 25 से अधिक फसलों को शामिल किया गया है।

6. ई-एनएएम के प्रत्यक्ष लाभों में शामिल है :

   a) कृषि बाजारों में प्रतिस्पर्धा और दक्षता में सुधार

   b) व्यापारियों के गुट और स्थानीय व्यापारिक समूहों द्वारा कीमतों में तिकड़म का उन्मूलन

   c) उत्पादकों और उपभोक्ताओं के साथ-साथ अधिशेष और घाटे वाले राज्यों के बीच कम कीमत का प्रसार

7. लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ (एसएफएसी) ने 739 एफपीओ (किसान उत्पादक संगठनों) और अन्य एजेंसियों ने देश में 339 एफपीओ को बढ़ावा दिया है।

सुधार

8. छोटे और सीमांत किसानों को एक सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करने के लिए, हमारी सरकार "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)" नामक एक ऐतिहासिक कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले कमजोर भूमिधारक किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता दी जायेगी। यह आय सहायता लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे हस्तांतरित की जायेगी।

9. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू की गयी थी :

   a. प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।

   b. खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।

   c. किसानों को नवाचारी और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

   d. कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना।

छोटे और सीमांत किसानों को एक सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करने के लिए, हमारी सरकार "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)" नामक एक ऐतिहासिक कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले कमजोर भूमिधारक किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता दी जायेगी। यह आय सहायता लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे हस्तांतरित की जायेगी।

10. निति आयोग का मॉडल कृषि भूमि पट्टेदारी अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि पट्टा अवधि समाप्त होने पर, भूमि राजस्व या किसी अन्य सरकारी विभाग के शामिल हुए बिना, भूस्वामी को स्वतः वापस हो जायेगी। पट्टे को आरओआर (अधिकार का रिकॉर्ड) में दर्ज नहीं किया जायेगा क्योंकि पट्टे की किसी भी अवधि के बावजूद भूमि का पट्टा किसी भी संरक्षित किरायेदारी या स्थायी कब्जा अधिकार सृजित नहीं करेगा। यद्यपि पट्टेदार कृषक का अधिकार आनुवांशिक नहीं है, तथापि आपसी सहमति से नवीकरणीय है।
11. निति आयोग का मॉडल कृषि भूमि पट्टे पर देने का कार्य न केवल फसली खेती को कवर करता है, बल्कि डेयरी, पशुपालन, मुर्गी पालन, कृषि-वानिकी, कृषि-प्रसंस्करण आदि जैसी अन्य संबद्ध कृषि गतिविधियों को भी शामिल करता है। यदि भूमि का पट्टा कानूनी रूप में है, तो कृषि और संबद्ध गतिविधियों में सक्रिय पट्टेदार किसान भी किसी जिम्मेदार अधिकारी, पंचायत प्रधान, खंड विकास अधिकारी या बैंक अधिकारी, आदि से सत्यापन करा कर संस्थागत ऋण, बीमा, आपदा राहत और अन्य सहायता सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में केवल अनुसूचित जनजाति ही कृषि भूमि में पट्टे के लिए पात्र होगी।
12. कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (एपीएलएम) अधिनियम 2017 नाम से एक नया मॉडल अधिनियम तैयार किया है और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से भी इसे अपनाने का आग्रह किया है।

13. पीएम ने 14 अप्रैल 2016 को ई-एनएएम (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य देश भर के कृषि बाजारों में विपणन अवसंरचना का कायाकल्प करना और पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और एकीकरण लाना है।

14. केंद्र सरकार हार्डवेयर और संबंधित उपकरण/अवसंरचना स्थापित करने के लिए 75 लाख रुपये प्रति मंडी के साथ राज्यों को सॉफ्टवेयर प्रदान कर रही है। ई-प्लेटफॉर्म पर व्यापार के लिए गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज और मसालों सहित 25 फसलों को शामिल किया गया है। ई-एनएएम, आरईएमएस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन नीलामी के समान है।

292. ई-प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को तीन सुधार करने की आवश्यकता है :

d) राज्य भर में मान्य एकल लाइसेंस

e) बाजार शुल्क का एकल-बिंदु लेवी

f) मूल्य निर्धारण के लिए एक विधि के रूप में इलेक्ट्रॉनिक नीलामी का प्रावधान

15. किसानों को विभिन्न कृषि गतिविधियों में एकसाथ आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, किसान उत्पादक संगठनों को कंपनी अधिनियम के तहत किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) के रूप में मान्यता दी जाती है। इस साल के बजट में एफपीसी द्वारा अर्जित आय पर कुछ छूट दी गयी है। एसएफएसी (लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ) और नाबार्ड को देश में एफपीसी के गठन का कार्य सौंपा गया है।

16. वर्ष 2018-19 के बजट ने किसानों के लिए पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए दो महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। इनमें एमएसपी को पारिवारिक श्रम समेत उत्पादन की लागत से कम से कम 50% अधिक रखना और एमएसपी का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना शामिल है।

अध्याय 20 : मेक इन इंडिया

परिणाम

1. 2018-19 के लिए जीडीपी विकास दर 7-7.5% होने का अनुमान लगाया गया है जो 2013-14 के 6.6% के स्तर से अधिक है। 2013-14 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक -0.1% था और 2017-18 में बढ़कर 4.3% हो गया। एफडीआई आंकड़ा भी अप्रैल-दिसंबर 2017 में दर्ज 37.36 बिलियन डालर के साथ बेहतर दिख रहा है।
2. जनवरी 2018 में दावोस में जारी पीडब्ल्यूसी सीईओ सर्वेक्षण से विदेशी निवेशकों के बीच सकारात्मक धारणा चिह्नित होती है। सर्वेक्षण में शामिल 130 सीईओ में से 57% से अधिक 2018 में विकास के बारे में सकारात्मक थे। सर्वेक्षण ने विश्व के 5 शीर्ष निवेश गंतव्यों के रूप में भारत की रैंक को भी बढ़ाया। अमेरिका, चीन और जर्मनी शीर्ष तीन थे। फ्रांस और भारत क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पर थे। भारत ने कुछ पायदान आगे बढ़ कर शीर्ष 5 स्थान से जापान को बाहर कर दिया।
3. भारत एक्सेलेरेटरों और इन्क्यूबेटरों की संख्या के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है, इनमें से 20% टीयर 2 और 3 शहरों से निकले हैं। 2017 में, भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में 13.7 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया था। फिलहाल, कंपनियों को लॉन्च करने और बंद करने की

स्कोच की रिपोर्ट के अनुसार, 'मार्च 2016 और दिसंबर 2017 के बीच रोजगार सृजन तीन बार छलांग लगा चुका है। कुल 6.8 करोड़ (68 मिलियन) रोजगार सृजित हुए हैं।'

भारत एक्सेलेरेटरों और इन्क्यूबेटरों की संख्या के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है, इनमें से 20% टीयर 2 और 3 शहरों से निकले हैं। 2017 में, भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में 13.7 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया था। फिलहाल, कंपनियों को लॉन्च करने और बंद करने की सामान्य आसानी के साथ-साथ आसान क्रेडिट तक पहुँच भी स्टार्ट-अप के बीच आशावाद को आगे बढ़ाती रहेगी।

सामान्य आसानी के साथ-साथ आसान क्रेडिट तक पहुँच भी स्टार्ट-अप के बीच आशावाद को आगे बढ़ाती रहेगी।

4. दिसंबर 2018 तक, 14,000 स्टार्टअप को मान्यता दी गयी है।

5. अटल इन्क्यूबेशन सेंटर और प्रतिष्ठित इन्क्यूबेशन सेंटरों समेत 80 इन्क्यूबेशन सेंटरों को निति आयोग द्वारा वित्त पोषण के लिए चुना गया है।

6. वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 1,48,503.57 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत राशि और 1,42,009.91 करोड़ रुपये की कुल वितरित राशि के साथ कुल 2,81,08,814 ऋण स्वीकृत किये गये।

7. स्कोच की रिपोर्ट के अनुसार, 'मार्च 2016 और दिसंबर 2017 के बीच रोजगार सृजन तीन बार छलांग लगा चुका है। कुल 6.8 करोड़ (68 मिलियन) रोजगार सृजित हुए हैं।'

8. अ स्टडी 'टुवर्ड्स अ पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया, 15 जनवरी 2018' : रिपोर्ट ने पेरोल डेटा का आकलन करते हुए कहा है कि नौकरियों को स्वस्थ गति से सृजित किये जा रहे हैं। अध्ययन कहता है, 'सभी अनुमानों के आधार पर, चालू वित्त वर्ष में भारत में हर महीने 5.9 लाख (यानी सात मिलियन वार्षिक) का पेरोल सृजित होता है।'

9. भारत एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अधिकतम संयुक्त उपक्रम वाले देशों की सूची में शीर्ष पर है। काउंट आधारित दृष्टिकोण से, पिछले 10 वर्षों के दौरान, भारत में सभी ए ऐंड डी (एयरोस्पेस और रक्षा) संयुक्त उपक्रमों का 31.7% हिस्सा सैन्य एयरोस्पेस खंड सेगमेंट में हुआ, इसके बाद 28.6%

वाणिज्यिक एयरोस्पेस में हुआ।

सुधार

10. स्टार्ट-अप्स : स्टार्ट-अप्स के लिए पूर्ववर्ती कारोबार और अनुभव की आवश्यकता में ढील दी गयी है। इसके अलावा, निविदाओं में जमानत राशि जमा करने की आवश्यकता से छूट है। पेटेंट शुल्क दाखिल करने पर 80% और ट्रेडमार्क शुल्क के लिए 50% की छूट है।

11. मुद्रा देश में सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र का एक एनबीएफसी समर्थित विकास है। मुद्रा 10 लाख रुपये तक की ऋण आवश्यकता वाली सूक्ष्म इकाइयों को ऋण देने के लिए बैंकों/सूक्ष्म वित्त संस्थानों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म व्यवसायों को पुनर्वित्त प्रदान करता है। अप्रैल 2015 में लॉन्च मुद्रा 3 श्रेणियों में ऋण प्रदान करता है :

    a) शिशु : 50,000 रुपये तक

    b) किशोर : 50,000 रुपये 5,00,000 रुपये तक

    c) तरुण : 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक

12. सरकार ने उत्पादकों के कौशल उन्नयन के लिए 1300 करोड़ की योजना शुरू की है। इस क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय समर्थन समेत 7418 करोड़ रुपये परिव्यय की घोषणा 2018 के बजट में की गयी।

13. रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति देने के निर्णय का उद्योग और सुरक्षा विशेषज्ञों ने स्वागत किया। सरकारी वक्तव्य के अनुसार एफडीआई नीति के अनुरूप, 49 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश को सरकार की मंजूरी के माध्यम से अनुमति है, जहाँ कहीं भी इसका परिणाम आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुँच या अन्य कारणों से दर्ज होने की संभावना है।

अध्याय 21 : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

परिणाम

1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत, 715 जिलों (जनवरी 2019 तक) को कवर करते हुए 6.29 करोड़ कनेक्शन दिये गये हैं।
2. मार्च 2018 तक, गिव इट अप अभियान के तहत लगभग 1.1 करोड़ परिवारों ने अपनी एलपीजी सब्सिडी को छोड़ दिया। एक रुढ़िवादी अनुमान है कि गरीबों के बीच एलपीजी कवरेज बढ़ाने के लिए मध्यम वर्ग द्वारा सरकार को 2500 करोड़ रुपये वार्षिक हस्तांतरित किया जा रहा है। इसे गरीबों के पूरक बेहतर तबके की ओर से कुछ-कुछ आंतरिक 'विदेशी अनुदान' की तरह एक प्रमुख आंतरिक 'सहायता कार्यक्रम' के रूप में देखा जा सकता है।
3. जिन पीएमयूवाई परिवारों के पास कम से कम एक साल से कनेक्शन है, उनकी औसत रिफिल दर लगभग 4 सिलेंडरों की है।

मार्च 2018 तक, गिव इट अप अभियान के तहत लगभग 1.1 करोड़ परिवारों ने अपनी एलपीजी सब्सिडी को छोड़ दिया। एक रुढ़िवादी अनुमान है कि गरीबों के बीच एलपीजी कवरेज बढ़ाने के लिए मध्यम वर्ग द्वारा सरकार को 2500 करोड़ रुपये वार्षिक हस्तांतरित किया जा रहा है। इसे गरीबों के पूरक बेहतर तबके की ओर से कुछ-कुछ आंतरिक 'विदेशी अनुदान' की तरह एक प्रमुख आंतरिक 'सहायता कार्यक्रम' के रूप में देखा जा सकता है।

सुधार

4. पहल योजना पहली बार अप्रैल 2015 में आयी। आधार कार्ड के विस्तार के साथ, जो अब आम तौर पर सब्सिडी वाले कनेक्शनों से जुड़ा हुआ है, किसी के लिए भी कोई और होने की दिखावा करना मुश्किल होता जा रहा है। सब्सिडी वाले एलपीजी का लाभ अधिकतर व्यक्तिगत घरों तक सीमित था, जो कार्यक्रम के इच्छित लाभार्थी थे।

5. दूसरा, 2015 में, गिव इट अप (जीआईयू) अभियान आया। वर्तमान मध्यम वर्ग को 20 साल पहले सब्सिडी द्वारा एलपीजी अपनाने में मदद की गयी थी, आज लगभग 2000 रुपये प्रति वर्ष कासार्वजनिक धन उन्हें वहाँ रखने की आवश्यकता नहीं थी। एलपीजी सब्सिडी को हटाने की बजाय, जीआईयू अभियान ने लोगों को स्वेच्छा से उन्हें इस प्रावधान के साथ सब्सिडी छोड़ने को कहा कि यह एक गरीब परिवार को हस्तांतरित किया जायेगा। डिजिटल इंडिया का एक शानदार उपयोग एक दाता को ओएमसी वेबसाइटों पर उस गरीब व्यक्ति के नाम को देखने की सुविधा देता है, जिसने उनकी छोड़ी सब्सिडी वाले कनेक्शन का लाभ प्राप्त किया।

6. 2019 तक बीपीएल घरों में कुल 5 करोड़ नये कनेक्शन देने के लिए मई 2016 में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) अभियान शुरू किया गया था। स्पष्ट रूप से, सभी नये ग्राहकों की सेवा करने के लिए आवश्यक क्षमता प्रदान करने के लिए लगभग 5000 वितरकों को काम पर रखा गया है।

7. किसी एलपीजी सब्सिडी पाने की पात्रता प्राप्त करने के लिए अब सभी को यह सत्यापित करना होगा कि पिछले वर्ष की उनकी घरेलू आय 10 लाख रुपये से कम रही है।

8. राष्ट्रीय एलपीजी कार्यक्रम ने इस वर्ष एलपीजी पंचायत नामक एक चौथी बड़ी पहल की शुरुआत

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत, 715 जिलों (जनवरी 2019 तक) को कवर करते हुए 6.29 करोड़ कनेक्शन दिये गये हैं।

की है। इसका उद्देश्य 14 महीनों में देश भर के 1 लाख गाँवों में ग्राम स्तर की बैठकों का आयोजन करना है, ताकि एलपीजी, इसके स्वास्थ्य और अन्य लाभों के बारे में और इसे सुरक्षित रूप से कैसे उपयोग किया जा सके आदि जानने के लिए प्रत्येक बार कम से कम 100 महिलाओं को एक साथ लाने का प्रयास किया जा सके। इसका नेतृत्व स्थानीय परिस्थितियों से परिचित एनजीओ द्वारा किया जायेगा।

अध्याय 22 : अप्रासंगिक कानूनों पर सराहनीय प्रहार

परिणाम

1. रामानुजम समिति ने 15 अक्टूबर 2014 को मौजूद 2,781 केंद्रीय अधिनियमों में से पूर्ण या आंशिक निरस्तीकरण के लिए 777 अधिनियमों, पूर्ण समाप्ति के लिए 624 केंद्रीय विनियोग अधिनियमों, राज्य विषयों पर 83 केंद्रीय अधिनियमों, जो राज्य विधानमंडल द्वारा निरस्त किये जाने हैं और राज्यों के संदर्भ में 257 केंद्रीय विनियोग अधिनियमों, जो राज्य विधानमंडल द्वारा निरस्त किये जाने हैं, की पहचान की। ये जोड़ कर 1,741 अधिनियम होते हैं जिनमें राज्य विधानमंडल द्वारा 340 को निरस्त करने की आवश्यकता है। सारणी: निरस्तीकरण कानून

क्रम संख्या	अधिनियम का नाम	अधिनियम संख्या	निरस्त (पूर्ण या आंशिक) किये गये कानूनों की संख्या	सबसे पुराना निरस्त कानून	सबसे नया निरस्त कानून
1.	निस्तीकरण एवं संशोधन अधिनियम, 2015	2015 का नंबर-17	35	1897	2013
2.	निस्तीकरण एवं संशोधन (द्वितीय) अधिनियम, 2015	2015 का नंबर-19	90	1999	2013

3.	विनियोग (निरस्त) अधिनियम, 2016	2016 का नंबर-22	756	1950	2012
4.	निरस्तीकरण एवं संशोधन अधिनियम, 2016	2016 का नंबर-23	294	1863	2013
5.	निरस्तीकरण एवं संशोधन अधिनियम, 2017	2018 का नंबर-2	105	1850	2009
6.	निरस्तीकरण एवं संशोधन (द्वितीय) अधिनियम, 2017	2018 का नंबर-4	131	1850	2012
	कुल		1411 कानून		

2. 1834 से 15 अक्टूबर 2014 तक, अर्थात 180 वर्षों की अवधि में, 3,831 कानूनों को निरस्त कर दिया गया था। लेकिन 15 अक्टूबर 2014 के बाद, यह लिखने के समय तक, जो कि चार साल से भी कम समय है, 1411 कानून कूड़ा हो चुके थे। यह 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' का हिस्सा है।

1834 से 15 अक्टूबर 2014 तक, अर्थात 180 वर्षों की अवधि में, 3,831 कानूनों को निरस्त कर दिया गया था। लेकिन 15 अक्टूबर 2014 के बाद, यह लिखने के समय तक, जो कि चार साल से भी कम समय है, 1411 कानून कूड़ा हो चुके थे। यह 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' का हिस्सा है।

अध्याय 23 : रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा

परिणाम

1. उरी हमले के बाद, भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकवादियों के लॉन्च पैड को नष्ट करने के लिए आधिकारिक तौर पर सीमा पार एलओसी ऑपरेशन किया जिसे आधिकारिक रूप से सर्जिकल ऑपरेशन बताया गया। पूरे भारतीय जनमत ने सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया।
2. जून 2017 में भूटान के डोकलाम के विवादित क्षेत्र में भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) तनावपूर्ण स्थिति में आमने-सामने आ गयी। विवादित त्रिकोण के पास चीन द्वारा सड़क निर्माण का मुद्दा इस तनाव का कारण था। भारत की प्रतिक्रिया तत्काल और दृढ़ थी। सरकार ने यथास्थिति बहाल करने की मांग करते हुए सड़क निर्माण को रोकने के लिए भूटान में सेना भेज दी। भारतीय सैनिकों की वापसी और क्षेत्र में चीनी सड़क निर्माण की समाप्ति के साथ, यह मोदी सरकार की एक कूटनीतिक जीत थी। डोकलाम में भारत और चीन के बीच 28 अगस्त 2017 को समाप्त सत्तर-तीन दिवसीय आमना-सामना भारत-चीन संबंधों में दूसरा हालिया ऐतिहासिक घटनाक्रम है।
3. पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में उग्रवाद की तीव्रता में उल्लेखनीय गिरावट आयी थी।
4. मोदी सरकार ने सेवानिवृत्त सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन देने का 40 वर्ष पुराना वादा पूरा किया और पहले ही 35,000 करोड़ रुपये वितरित कर चुकी है। पूर्ववर्ती सरकारों ने तीन बजटों में इसकी

घोषणा की थी, लेकिन 2014-15 के अंतरिम बजट में महज 500 करोड़ रुपये मंजूर किये।

5. फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में, रक्षा क्षेत्र के लिए 3,00,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे, जो अब तक का सर्वाधिक है।

6. आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) और रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक इकाइयों (डीपीएसयू) द्वारा पूर्व में निर्मित और आपूर्ति की जाने वाली 250 से अधिक 'गैर-मुख्य' वस्तुएँ हटा कर निजी क्षेत्र में दे दी गयी हैं।

7. 1999 में कारगिल संघर्ष के बाद पहली बार, 2017-18 में, भारतीय सेना का गोला-बारूद स्टॉक, पुर्जों की सूची और मौजूदा महत्वपूर्ण उपकरणों का रखरखाव अद्यतन किया गया है।

8. 2016 के अंत में, सेना ने दस विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद की पुन: आपूर्ति के लिए 11,000 करोड़ रुपये के उन्नीस प्रमुख अनुबंधों पर हस्ताक्षर किये। भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना ने भी उपेक्षा और अनिर्णय के वर्षों की भरपाई के लिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के गोला-बारूद और पुर्जे खरीदे। 2017-18 में सेना ने 15,000 करोड़ रुपये (अगले चार वर्षों में खर्च किये जाने वाले) के विभिन्न उपकरणों के महत्वपूर्ण पुर्जे खरीदने और स्टॉक करने के लिए पचहत्तर से अधिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किये।

9. अकेले इन दो उपायों ने सुनिश्चित किया है कि गोला-बारूद का स्टॉक अद्यतन है और टाइप ए वाहन (बख्तरबंद कार्मिक वाहक, सेना वायु रक्षा मंच), सभी बंदूकें, यूएवी और लोरोज – लंबी दूरी की टोही और अवलोकन प्रणाली - और यहाँ तक कि सामान्य वाहन जैसे लगभग 95 प्रतिशत महत्वपूर्ण उपकरण और प्लेटफॉर्म सड़क पर हैं, अर्थात, जब भी आवश्यकता होती है, वे सर्विस किये हुए और उपयोग के लिए तैयार हैं। इससे पहले, इनमें से कम से कम 40 प्रतिशत प्लेटफॉर्म सड़क से बाहर हुआ करते थे (अर्थात सर्विसयोग्य नहीं थे)'।

10. मैमून (उत्तर भारत में) और मिसामारी (असम) में सेना के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों (एएलएच)

जून 2017 में भूटान के डोकलाम के विवादित क्षेत्र में भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) तनावपूर्ण स्थिति में आमने-सामने आ गयी। विवादित त्रिकोण के पास चीन द्वारा सड़क निर्माण का मुद्दा इस तनाव का कारण था। भारत की प्रतिक्रिया तत्काल और दृढ़ थी। सरकार ने यथास्थिति बहाल करने की मांग करते हुए सड़क निर्माण को रोकने के लिए भूटान में सेना भेज दी। भारतीय सैनिकों की वापसी और क्षेत्र में चीनी सड़क निर्माण की समाप्ति के साथ, यह मोदी सरकार की एक कूटनीतिक जीत थी। डोकलाम में भारत और चीन के बीच 28 अगस्त 2017 को समाप्त सत्तर-तीन दिवसीय आमना-सामना भारत-चीन संबंधों में दूसरा हालिया ऐतिहासिक घटनाक्रम है।

के बेड़े के लिए दो एमआरओ (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल) स्थापित करने का निर्णय सुनिश्चित किया गया है जिससे अब कम से कम 65 से 70 प्रतिशत बेड़ा कभी भी उड़ान भरने के लिए उपलब्ध है जबकि 2015 से पहले यह सिर्फ 30 से 35 प्रतिशत था क्योंकि हेलीकॉप्टरों को बेंगलुरु भेजना पड़ता था या रखरखाव कार्मिकों को उत्तरी और पूर्वी कमानमें फैले ठिकानों तक की लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती थी।

11. सेना के हाल ही में सेवानिवृत्त मास्टर जनरल अयुध (एमजीओ), लेफ्टिनेंट जनरल आरआर निम्बोरकर के अनुसार यह रक्षा मंत्रालय और सेना के निर्णयकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल के कारण संभव हुआ था।

12. वर्षों में पहली बार, वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले ही ब्रांच के प्रबंधनाधीन 15,000 करोड़ रुपये के पूरे वार्षिक बजट को खर्च कर दिया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल निम्बोरकर का कहना है कि संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के कारण यह संभव हो पाया था।

13. उन्होंने पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा किये गये निर्णय और उनकी उत्तराधिकारी मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस निर्णय को समर्थन जारी रखने के लिए धन्यवाद देते हुए इंगित किया कि वित्तीय शक्तियों के विकेंद्रीकरण और स्वदेशी स्रोतों से अधिक उपकरण और भंडार रखने पर

जोर देने के परिणामस्वरूप बेहतर दक्षता मिली। पहले सेना के लिए हल्के उपयोगिता वाहनों को खरीदने जैसे सरल निर्णय के लिए भी एमओडी के पास जाना पड़ता था, जिसका अर्थ था कि पूरी प्रक्रिया में न्यूनतम दो साल लगते थे। अब विकेंद्रीकरण का धन्यवाद, जिसके चलते सेवा मुख्यालय छह महीने में उन्हें खरीदने में सक्षम है।

14. गोल-चपटी टोपी, कैप, मोज़े, बेल्ट, स्वेटर, स्पोर्ट्स शूज़ इत्यादि जैसे अस्सी से अधिक आइटम अब सीधे बाजार से खरीदे जा रहे हैं। पहले, ओएफबी इन वस्तुओं को बाजार से खरीद कर सुरक्षा बलों को अधिक कीमत पर बेचने की अभ्यस्त था। उदाहरण के लिए, सभी सैनिकों द्वारा पहनी जाने वाली कॉमन कॉम्बैट यूनिफॉर्म संगठन को बाजार लागत से चार गुना अधिक पड़ रही थी!

15. एमजीओ के अनुसार रिकॉर्ड्स और इन्वेंटरी के डिजिटलीकरण ने अब सेना प्रमुख, उपप्रमुख और एमजीओ समेत शीर्ष नेतृत्व को उपकरणों की उपलब्धता की 360 डिग्री निगरानी की सुविधा दे दी है। लेफ्टिनेंट जनरल निम्बोरकर ने खुलासा किया था कि 'अतीत में ऐसे उदाहरण सामने आये हैं, जब हमने दसों हज़ार करोड़ रुपये मूल्य के पुर्जे खरीदे था और उनका उपयोग नहीं किया था। कुछ मामलों में, इन पुर्जों को खोला भी नहीं गया था और अब वे मृत स्टॉक बन गये हैं, क्योंकि वे जिस उपकरण के लिए थे, वह सेवा से निवृत्त हो गया था।' पूर्व एमजीओ ने कहा कि अब हम पुर्जों को रखने के लिए "जस्ट-इन-टाइम" मॉडल का पालन करते हैं जिसका मतलब है कि केवल पूर्ण न्यूनतम संख्या वाले पुर्जों को स्टॉक में रखा जायेगा।

16. सभी तीन उप प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत किया गया था कि दस दिनों का सघन युद्ध लड़ने के लिए आवश्यक सभी गोला-बारूद और पुर्जों को हमेशा स्टॉक में रखा जाये। 10आई (दस दिन का सघन युद्ध) नामक योजना के तहत तीनों उपप्रमुखों ने सितंबर 2016 और अब के बीच आवश्यकता का पूरा करने के लिए सभी खरीदों को किया जाना सुनिश्चित किया है। यहाँ से, 30 दिवसीय युद्ध के लिए सेना को लैस करने की दीर्घकालिक योजना को पूरा करने के

सभी उपाय आगे भी जारी रहेंगे।

सुधार

17. बाहरी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए, कूटनीति को मजबूत किया गया। सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने और घरेलू रक्षा विनिर्माण आधार को मजबूत करने के लिए मेक इन इंडिया समेत सुधार की एक व्यापक श्रृंखला शुरू की। जहाँ आवश्यक हुई, रक्षा बलों द्वारा अनुभव की गयी उपकरणों की कमी को दूर करने के लिए खरीद की गयी थी। साथ ही, घरेलू रक्षा औद्योगिक विनिर्माण आधार को मजबूत करने के लिए कदम उठाये गये।

18. प्रधान मंत्री मोदी ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और म्यांमार की अत्यधिक स्पष्ट और सफल यात्राएँ कीं। बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) और बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल (बीबीआईएन) पहल, जो क्षेत्रीय सहयोग प्लेटफार्म के रूप में काम करती थी, को पुनर्जीवित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरीशस, सेशेल्स और श्रीलंका जैसे कुछ हिंद महासागरीय देशों में अत्यधिक सफल यात्राएँ कीं, जो इस क्षेत्र में भारत को शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में पेश करती हैं।

19. बांग्लादेश के साथ समुद्री सीमाओं का निस्तारण किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ओबामा के साथ एशिया-प्रशांत पर एक संयुक्त दृष्टिकोण दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करके भारत की सक्रियता के अवसर को भी बढ़ाया। भू-राजनीतिक निर्माण के रूप में हिंद-प्रशांत विचार को भी पुनर्जीवित किया गया।

20. संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, ओमान, फिलिस्तीन, इजराइल और जॉर्डन की प्रधानमंत्री मोदी की उच्च स्तरीय यात्रा से पश्चिम एशिया के खाड़ी देशों के साथ संबंधों का कायाकल्प हुआ। यह विशेष रूप से आतंकवाद से लड़ने, संगठित अपराध नियंत्रित करने, ऊर्जा

सुरक्षा और रक्षा सहयोग को नियंत्रित करना के संदर्भ में सुरक्षा मोर्चे पर समृद्ध लाभांश लेकर आया।

21. चीन के साथ संबंधों में सुधार : दोनों नेताओं ने एससीओ, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बैठकों में मुलाकात की। रूस-भारत-चीन-त्रिपक्षीय और ब्रिक्स के ढाँचे के भीतर, दोनों नेताओं ने कई अवसरों पर मुलाकात की।

22. ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी : बिम्सटेक के ढाँचे के भीतर बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया था। दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा कई विवादित द्वीपों, चट्टानों और शैलभित्तियों पर कब्जा जमाने से आसियान एकता प्रभावित हुई है। आसियान देश प्रासंगिक बने रहने के लिए प्रतिरक्षा रणनीति पर विचार कर रहे हैं। यही कारण है कि वे भारत में दिलचस्पी ले रहे हैं।

23. 2017 में, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत नियम-आधारित व्यवस्था की दिशा में काम करने के लिए चतुर्भुज (क्वाड) समूह बनाने के विचार को पुनर्जीवित किया। इसने चीन के दिमाग में अनिश्चितता पैदा कर दी है।

24. भारत संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न शांति अभियानों में सैनिकों और उपकरणों का एक बड़ा योगदानकर्ता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में भारत की उम्मीदवारी के लिए कई देशों का समर्थन भी मिला।

25. उन्होंने एक हिंदू-बौद्ध सम्मेलन भी शुरू किया। वह दुनिया के सामने भारत की नरम शक्ति को पेश करने में सबसे आगे थे। इस संबंध में एक उत्कृष्ट सफलता संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को

मोदी सरकार ने सेवानिवृत्त सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन देने का 40 वर्ष पुराना वादा पूरा किया और पहले ही 35,000 करोड़ रुपये वितरित कर चुकी है। पूर्ववर्ती सरकारों ने तीन बजटों में इसकी घोषणा की थी, लेकिन 2014-15 के अंतरिम बजट में महज 500 करोड़ रुपये मंजूर किये।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया जाना था।

26. भारत ने 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में एक प्रमुख भूमिका निभायी थी। फ्रांस के साथ, भारत ने 121 देशों का अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया। गठबंधन भारत में लॉन्च किया गया था। भारत अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र के एक व्यापक सम्मेलन में चर्चा का कट्टर पैरवीकार रहा है।

27. भारत इस क्षेत्र में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभर रहा है। मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआई) को मजबूत किया गया। भारत ने कई अवसरों पर संघर्ष क्षेत्रों में फँसे अपने नागरिकों को निकाला। भारतीय नौसेना के जहाजों ने सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती से प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरते हजारों व्यापारी जहाजों को बचाया।

28. प्रधान मंत्री मोदी ने ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर भी ध्यान केंद्रित किया है। वह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के सांस्कृतिक पहलू पर भी जोर देते रहे हैं।

29. पूर्वोत्तर में, घात लगाकर अठारह सैनिकों की हत्या किये जाने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने विद्रोहियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की। नगालैंड में सरकार और एनएससीएन (आईएम) के बीच एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किये गये, जो लंबे समय से ले आ रहे नगा मुद्दे को निपटाने में एक बड़ी भूमिका निभायेगा।

30. अप्रैल 2018 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल की अध्यक्षता में रक्षा योजना समिति (डीपीसी) का गठन किया गया। डीपीसी का गठन मौजूदा संरचना की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा निर्देशित एक व्यापक कदम का हिस्सा है जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर इनपुट देती है और सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) को परामर्श देती है।

31. एनएसए के पास आवश्यक अधिकार है, जो पहले की समितियों में नहीं था, जिसने भारत के

राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना को गति देने के लिए सुधार और रोडमैप का सुझाव दिया था।

32. दूसरी ओर, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का एक मसौदा, अब शीर्ष स्तर पर चर्चा के लिए प्रस्तुत किये जाने के लिए तैयार है।

33. एक अन्य घटनाक्रम, विदेश मंत्रालय द्वारा सांलित और वित्त पोषित समकालीन चीन अध्ययन केंद्र (सीसीसीएस) नामक चीन केंद्रित थिंक टैंक का गठन है। इसमें एमईए, तीनों सशस्त्र बलों, खुफिया ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आटीबीपी) और अन्य प्रासंगिक मंत्रालयों और विभागों से लिये गये सेवारत अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। सीसीसीएस के संचालन निकाय की अध्यक्षता विदेश मंत्री द्वारा की जाती है और एनएसए उपाध्यक्ष होते हैं।

34. 2025 तक भारतीय रक्षा क्षेत्र में 26 बिलियन डॉलर से अधिक का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखते हुए, रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के तहत रक्षा उत्पादन विभाग ने 2011 की रक्षा उत्पादन नीति के अनुरूप अब तक क्षेत्र को संचालित कर रहे नियमों और विनियमनों में कई बड़े बदलावों का प्रस्ताव किया है।

अध्याय 24 : भारतीय विदेश नीति

भारतीय प्रवासियों तक पहुँच

1. अपनी यात्राओं के दौरान, मोदी ने इसे भारत की नरम शक्ति - जिसमें बॉलीवुड, सूफी संगीत और योग, साथ ही कला, वास्तुकला, पाकविद्या और लोकतांत्रिक मूल्यों में साझा विरासत शामिल हैं - को बढ़ावा देने का अवसर बनाया। पहली बार, विदेशों में भारत के ब्रांड मूल्य को बढ़ाने के लिए एक सुसंगत प्रयास चल रहा है।
2. भारतीय प्रवासियों तक मोदी की प्रभावशाली पहुँच भी विदेशी मामलों में उनके दृष्टिकोण की कुँजी है। 2017 में बेंगलुरु में प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान, मोदी ने घोषणा की कि 'केवल एक स्वप्न : भारतीयता' की उनकी दृष्टि को स्पष्ट करते हुए भारत 'प्रतिभा पलायन से प्रतिभा प्राप्ति' की ओर बढ़ रहा है।
3. अमेरिका एवं यूनाइटेड किंगडम (यूके) जैसे बड़े देशों और फिजी एवं सिंगापुर जैसे छोटे देशों में विदेशी भूमि में बसे भारतीय समुदायों से मिलने का प्रधानमंत्री मोदी का विचार हर भारतीय से जुड़ने की स्पष्ट इच्छाशक्ति का संकेत देता है।
4. योग अतीत में कभी भी आज के मुकाबले भारत के साथ इतनी निकटता से नहीं जुड़ा है। और सिर्फ योग ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय रामायण मेला और शून्य पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन में भारत की अगुवाई विश्व को यह बताने का एक स्पष्ट और ठोस प्रयास करता है कि

हम कौन हैं, हमारा इतिहास क्या है और भविष्य के लिए हमारे विचार क्या हैं।

अन्य देशों में बचाव अभियान

5. जब 2014 में मालदीव ने पानी के गंभीर संकट का सामना किया था, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोग बिना पानी के हो गये थे, तब बिना किसी हिचक के ऑपरेशन नीर शुरू किया गया था। भारत प्रत्युत्तर देने वाला पहला देश था। पीने योग्य पानी के साथ विलवणीकरण क्षमता वाले नौसेना के जहाजों और कई विमानों को बिना देरी किये भेजा गया।

6. 2015 के यमन संकट के दौरान, ऑपरेशन राहत नामक भारतीय बचाव मिशन ने यह नहीं पूछा कि जरूरतमंद लोग भारतीय थे या नहीं। इकतालीस देशों के 960 से अधिक विदेशी नागरिकों को बिना इस तथ्य की परवाह किये बचाया गया था, कि वे जिस देश के थे, वे भारत के प्रति मैत्रीपूर्ण थे या नहीं।

7. अप्रैल 2015 में जब नेपाल में 7.9 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था, तब त्रासदी के छह घंटे के भीतर ऑपरेशन मैत्री के तहत भारत ने सक्रिय राहत अभियान शुरू किया था। हादसे के चार दिनों के भीतर, भारतीय वायु सेना ने 3,000 से अधिक फँसे हुए नेपालियों को एयरलिफ्ट किया और 520 टन से अधिक राहत सामग्री और उपकरण उपलब्ध कराये।

8. 2017 में राहत सामग्री भेजकर बांग्लादेश तक भी मानवता का हाथ बढ़ाया गया, जब वह शरणार्थियों की लगातार आगमन से पीड़ित था। सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न

> ***मई 2014 के बाद से, भारत की पड़ोस प्रथम नीति, ऐक्ट ईस्ट नीति, क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (या सागर) नीति के साथ ही उभरती थिंक वेस्ट नीति के साथ भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति के एक अंशशोधित संमिलन ने शेष एशिया के साथ संपर्क के महत्व के बारे में एक नयी जागरूकता उत्पन्न की है। इन चार पहलकदमियों का एक दृश्य प्रभाव हिंद महासागर में इसके आधार के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है।***

का सामना करने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत में शांति से बसने के लिए विशेष छूट देने की अनुमति दी। इन सभी संकटों ने भारत की भूमिका को तीव्र निगाह में लाते हुए जबरदस्त वैश्विक ध्यान आकर्षित किया।

9. 2017 में, मोरा तूफान के प्रत्युत्तर में, श्रीलंका और बांग्लादेश में विनाशकारी बाढ़ का जवाब देने वाला पहला देश भारत था।

भारत वैश्विक दायित्व लेता है

10. भारत के बहुत करीब स्थित लेकिन हमारे ध्यान से अब तक बहुत दूर रहे देश मंगोलिया को 1 बिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण व्यवस्था की गयी।
11. अपनी विकास आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय ऋण की आवश्यकता वाले अफ्रीकी देशों के प्रति, भारत ने लगभग 44 देशों में को 8 बिलियन डॉलर की ऋण व्यवस्था की।
12. महज आर्थिक सहायता ही नहीं, भारत ने एक कदम और आगे बढ़ कर संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर मानवीय सहायता प्रदान की है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और दक्षिण सूडान जैसे देशों में उच्च जोखिम वाले संघर्ष क्षेत्रों में 6,500 से अधिक भारतीय कर्मी शांति बनाये रखने में मदद कर रहे हैं।
13. 11 मार्च 2018 को, भारत में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन या आईएसए को लॉन्च किया गया, जिससे यह भारत स्थित मुख्यालय वाला पहला संयुक्त राष्ट्र संगठन बन गया। आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुके 65 देश वैश्विक मंच पर भारत के न केवल उत्थान, बल्कि जिम्मेदार उत्थान के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं।
14. पड़ोसियों के लिए भारत की समग्र सहायता और प्रमुख विकास परियोजनाओं में उदार भागीदारी – चाहे वह नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ संपर्क परियोजनाएँ हों या अफगानिस्तान में

बुनियादी ढाँचे का विकास - को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है।

15. भारत अफगानिस्तान के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में संसद भवन सहित अस्पतालों, स्कूलों और अन्य बुनियादी ढाँचे के निर्माण में अग्रणी रहा है।

16. जब स्वास्थ्य की आवश्यकता वाले बाहरी देशों के आम नागरिक सीधे भारत के विदेश मंत्रालय तक पहुँच पाते हैं हैं और मदद पाते हैं, तब भी भारतीय नरम शक्ति अपने असल सार में परिलक्षित होती है। दुनिया ने तब विशेष रूप से इस कदम का स्वागत किया जब तनाव जारी होने के बावजूद, मंत्री ने ओपेनहार्ट सर्जरी की आवश्यकता वाली पाकिस्तान की एक तीन वर्षीय लड़की को और लीवर-प्रत्यारोपण सर्जरी की आवश्यकता वाले एक पाकिस्तानी व्यक्ति को वीजा जारी किया।

17. चिकित्सा एवं तंदुरुस्ती पर्यटन के हब के रूप में उभार भारत की नरम शक्ति है। 2014 और 2016 के बीच, भारत में चिकित्सा उद्देश्यों के लिए पर्यटकों का आगमन 1.8 लाख से बढ़कर 4.2 लाख हो गया। पाकिस्तान और मध्य पूर्व से काफी संख्या में चिकित्सा पर्यटक आते हैं।

18. सिर्फ चिकित्सा पर्यटन ही नहीं, भारत में पर्यटकों की आमद में पिछले चार सालों (2013-2016) में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के पहले 30 प्रतिशत की वृद्धि में सात साल (2007-2013) लगे।

19. 1,360 किलोमीटर के भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग (टीएच) की अवधारणा पंद्रह साल पहले की गयी थी और अब तक बहुत कम प्रगति हुई है। मोदी सरकार ने 2020 तक इस परियोजना को पूरा करने के लिए एक नया लक्ष्य निर्धारित किया है।

20. यह टीएच परियोजना म्यांमार में भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम को सिटवे पोर्ट से जोड़ते हुए कलादाँ बहु-मॉडल परिवहन परियोजना की पूरक होगी।

21. 2016 में, भारत ने आसियान को 1,20.3 करोड़ डॉलर मूल्य के कपड़े और परिधान निर्यात किये और आसियान से 54.6 करोड़ डॉलर मूल्य के कपड़े और परिधान आयात किये गये थे।

22. सितंबर 2017 में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कालवा-यारगी खंड को उन्नत करने के लिए पुँज लॉयड और वराह इंफ्रा के संयुक्त उद्यम को 11.77 अरब रुपये का ठेका सौंपा। सितंबर 2019 तक काम पूरा होने की उम्मीद है।

23. जनवरी 2018 में, भारत ने आसियान देशों के साथ भौतिक और डिजिटल संपर्क बढ़ाने के लिए 1 बिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण व्यवस्था का प्रस्ताव किया, क्योंकि ये वृहत्तर भारत-आसियान समुदाय के रूप में एकीकृत होने की ओर अग्रसर हैं। भारत ने कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम में विनिर्माण केंद्रों का समर्थन करने के लिए 7.7 करोड़ डॉलर का एक परियोजना विकास कोष भी स्थापित किया है।

24. मोदी की विदेश नीति के दृष्टिकोण में परिवर्तनों ने महत्वपूर्ण सफलताएँ प्राप्त की हैं। व्यापक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में दो उदाहरण इस बात को साबित करते हैं।

    a. पहला जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका और भारत ने पेरिस समझौते की चर्चा में प्रमुख भूमिका निभायी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन का शमन करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सर्वसम्मति हासिल करने के महत्व को स्वीकार करते हुए, भारत को ठोस प्रतिज्ञाएँ करने के लिए अपने ही देश में कई लोगों के विरोध को परे कर दिया, जिससे अंतिम सहमति को संभव बनाया।

    b. उल्लेखनीय सफलता का दूसरा उदाहरण हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा वातावरण को आकार देने में अमेरिका के साथ भारत का सहयोग रहा है। भारत ने न केवल नौपरिवहन और ऊपर से उड़ान की स्वतंत्रता के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की- विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में, जहाँ चीन से खतरे विशेष रूप से तीव्र हैं – बल्कि ‘सभी के लिए दीर्घकालिक शांति और समृद्धि की रक्षा करने’ के क्रम में व्यपाक ‘कूटनीतिक और क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान करने की अपनी इच्छा की घोषणा की।

मोदी सरकार की विदेश नीति

25. पिछले चार वर्षों में भारत सरकार की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता अपने वार्ताकारों को हैरत में रखने की क्षमता रही है। एक ऐसे देश की अप्रत्याशितता, जिसकी प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाना पिछले कुछ दशकों में बहुत आसान हो गया था, से इसके वार्ताकारों के बीच उम्मीद का एक नया भाव उत्पन्न हुआ है। पाकिस्तान से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका से लेकर एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) तक, अब एक उम्मीद है कि मोदी सरकार का मतलब व्यापार है और इस सरकार के साथ 'हमेशा की तरह व्यापार' नहीं हो सकता।

26. मई 2014 के बाद से, भारत की पड़ोस प्रथम नीति, ऐक्ट ईस्ट नीति, क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (या सागर) नीति के साथ ही उभरती थिंक वेस्ट नीति के साथ भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति के एक अंशशोधित संमिलन ने शेष एशिया के साथ संपर्क के महत्व के बारे में एक नयी जागरूकता उत्पन्न की है। इन चार पहलकदमियों का एक दृश्य प्रभाव हिंद महासागर में इसके आधार के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है।

27. मोदी की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रमुख शक्ति संबंधों का सावधानीपूर्वक पोषण और एशिया एवं इसके परे हमेशा परिवर्तित होतेवैश्विक एवं क्षेत्रीय संत्ता संतुलन का दक्ष प्रबंधन है। मोदी सरकार ने वाशिंगटन के साथ एक मजबूत संबंध को आकार देने में सफलता प्राप्त की है, यहां तक कि उसने मास्को के साथ भी संबंध स्थिर रखे हैं।

28. यूरोप के साथ भारत का जुड़ाव भी, अब और अधिक आगे की ओर देखने वाला और चिरस्थाई न्यूनता के अनावश्यक शब्दाडंबर से स्वतंत्र है। एक स्पष्ट संदेश बाहर जा रहा है कि भारत अपनी शर्तों और स्थितियों पर कार्य करेगा और एशिया में एक संतुलनकर्ता की भूमिका को कुशलता से निभा सकता है।

29. नयी दिल्ली का जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया जैसे क्षेत्र के समान सोच वाले देशों तक पहुँच पुष्ट हो गयी है। अतीत का वह समय बीत का है जब भारत आक्रामक चीन के डर से कोटर में चला जाता था।

चीन

30. मोदी ने वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के पक्ष में दक्षिण चीन सागर विवाद पर एक मजबूत रुख अपनाया, और जापान को शामिल करने के लिए अमेरिका-भारत द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का विस्तार किया। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का चतुष्कोणीय जुड़ाव आकार लेना शुरू हो गया है।

31. भारत और चीन बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार (बीसीआईएम) गलियारे जैसी संयुक्त क्षेत्रीय पहलकदमियों में सहयोग कर रहे हैं और चीन ने भारत में बड़े पैमाने पर अवसंरचना निवेश का भी वादा किया है।

32. मोदी ने एक सैद्धांतिक रुख अपनाया है और चीन को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी नीति के पीछे चलते और उस चश्मे में देखे जाने से परहेज किया, जबकि उसी समय में अमेरिका के साथ रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत किया। चीन के लिए, हिंद-प्रशांत भूगोल की बजाय रणनीति की अवधारणा बन गया है।

33. डोकलाम में भारत और चीन के बीच 28 अगस्त 2017 को समाप्त तिहत्तर दिवसीय आमना-सामना भारत-चीन संबंधों में दूसरा हालिया ऐतिहासिक घटनाक्रम है। 30 अगस्त 2017 को, पीएलए के जनरल स्टाफ विभाग के एक सेवानिवृत्त कर्नल और सैन्य मामलों पर लगातार टिप्पणी करने वाले यू गैंग ने कहा, 'बीजिंग की सी-समझी अस्पष्टता के बावजूद, चीन ने विवाद को समाप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से पर्याप्त रियायतें दी हैं। भारत को वही मिला है, जो वह चाहता है। तमाम

कठिन बातों के बावजूद भारत के दबाव के आगे झुकना चीन के लिए एक अपमानजनक हार थी।'

पाकिस्तान

34. दक्षिण एशियाई सामरिक परिदृश्य में एक नाटकीय बदलाव तब आया जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा कश्मीर में एक भारतीय सैन्य पर हमले के जवाब में भारतीय सेना के विशेष बलों ने सितंबर 2016 में कश्मीर में उतार-चढ़ाव भरी नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार कई संदिग्ध आतंकी शिविरों को नष्ट कर डाला।

35. मोदी सरकार दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलन को स्थगित करने में सफल रही, जब कई सदस्य राष्ट्रों ने भारत की पहल को स्वीकार करते हुए नवंबर 2016 में इस्लामाबाद बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया। यह एक दुर्लभ अवसर था जब क्षेत्र के देशों ने पाकिस्तान द्वारा राज्य नीति के एक साधन के रूप में आतंक के उपयोग के खिलाफ एक स्वर में बोला।

36. यहाँ तक कि जब पाकिस्तान इन दबावों से लड़खड़ा रहा था, तब भी मोदी सरकार ने सैन्य शक्ति - एक ऐसा उपकरण, जिसे नई दिल्ली ने लंबे समय तक टाला था - के साधन का उपयोग करने का फैसला किया। पाकिस्तान के दुस्साहसिक कार्यों के खिलाफ उपाय करने और यह सुनिश्चित करने कि इस्लामाबाद को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों का उपयोग करके भारत को 'एक हजार घाव' देकर लहूलुहान करने की कीमत कानी पड़े, नयी दिल्ली सक्षम रही है। है। इसी तरह, पाकिस्तान के पंजाबी बहुल सैन्य प्रतिष्ठान का विरोध करने वाले बलूची लोगों की दुर्दशा पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का मोदी सरकार का फैसला महत्वपूर्ण रहा है।

37. नयी दिल्ली ने जब पाकिस्तान को अलग-थलग करना चाहा, तो पूरी सक्रियता से दूसरे पड़ोसियों तक पहुँच गया। भारत के बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ संबंध, विशेष रूप से नयी दिल्ली द्वारा काबुल के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने, कोलम्बो तक पहुँचने और ढाका के साथ सीमा विवाद को हल करने का निर्णय लेने के साथ गहराया।

वियतनाम

38. भारत और वियतनाम तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग और बढ़ाने पर सहमत हुए और पेट्रोवियतनाम और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) के बीच 2014 में हस्ताक्षरित समझौते को सक्रिय रूप से लागू किया। वियतनाम को भारत द्वारा रक्षा खरीद के लिए दी गयी 10 करोड़ डॉलर की ऋण व्यवस्था का उपयोग करते हुए दोनों देशों ने लार्सन एंड टुब्रो और वियतनामी बॉर्डर गार्ड्स के बीच उच्च गति की तटीय गश्ती नौकाओं के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये। इसी तरह भारत ने मॉरीशस और सेशेल्स को भी ऋण व्यवस्था दी।

39. मई 2015 में वियतनामी रक्षा मंत्री जनरल फुंग क्वांग थान की भारत यात्रा के दौरान, भारतीय तटरक्षक और वियतनाम तटरक्षक ने पारदेशीय अपराध से निपटने और परस्पर सहयोग विकसित करने के उद्देश्य से सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए सहमति पत्र एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। रक्षा सहयोग पर 2015-2020 की अवधि के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण वक्तव्य पर भी हस्ताक्षर किये गये थे।

अमेरिका

40. मोदी ने चुपचाप लेकिन दृढ़ रूप से भारत को रणनीतिक साझेदारी के व्यवहार के लिए गुटनिरपेक्षता की बयानबाजी से दूर कर दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत अमेरिका या किसी अन्य महाशक्ति के शिविर का एक अनुयायी बनकर संतुष्ट है। इसके विपरीत, भारत ने

विदेश नीति में अपने स्वयं के हितों की भावना से निर्धारित अपना खुद का क्रम रखा है। भारतीय रवैये में इस स्फूर्तिदायक परिवर्तनों को देखते हुए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रम्प जैसे भिन्न-भिन्न नेता भारत के साथ एक नये रिश्ते की खोज में एकजुट हुए हैं।

41. मोदी ने अमेरिका और भारतीय सेना के बीच प्रतिपूर्ति के आधार पर रसद सहायता, आपूर्ति और सेवाओं को सुविधाजनक बनाने और ऐसे विनिमयों के संचालन के लिए एक ढाँचा प्रदान के लिए 2016 में अमेरिका के साथ द्विपक्षीय लॉजिस्टिक विनिमय समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया।

42. मोदी ने इस तर्क से निर्देशित होकर वाशिंगटन में अपने अमेरिकी समकक्षों, पहले ओबामा और अब ट्रम्प के साथ मजबूत दोस्ती विकसित करने में भारी निवेश किया कि, भले ही अमेरिका और भारत के राष्ट्रीय हितों का हमेशा से साथ न हो, यदि वाशिंगटन में व्यक्तिगत संचालन नीति को भारत के प्रति अनुकूल रूप से प्रवृत्त किया जाये, तो भविष्य हमेशा आगे जायेगा।

43. प्रधानमंत्री मोदी ने बिना खेद या शर्मिंदगी के, दुनिया के साथ भारत के नये जुड़ाव के आवर्ती वार के रूप में लोकतंत्रों के बीच एकजुटता पर जोर दिया। यह प्रमुख साझेदारियों, जिनमें अधिकारवादी चीन के उत्कृष्ट प्रतिध्रुव का प्रतिनिधित्व करने वाले जापान और खासकर अमेरिका शामिल है, के एक नेटवर्क को विकसित करके भारतीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मोदी के विचारशील प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।

इजराइल एवं मध्य-पूर्व

44. सितंबर 2014 में, प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र के मौके पर नेतन्याहू से मुलाकात की।

45. मोदी ने जुलाई 2017 में इज़राइल की तीन दिवसीय यात्रा की। यह यहूदी देश की पहली प्रधानमंत्री स्तर की यात्रा थी और यह एक स्वतंत्र यात्रा थी, यानी वह फिलिस्तीन नहीं गये थे जो 1992

मोदी ने चुपचाप लेकिन दृढ़ रूप से भारत को रणनीतिक साझेदारी के व्यवहार के लिए गुटनिरपेक्षता की बयानबाजी से दूर कर दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत अमेरिका या किसी अन्य महाशक्ति के शिविर का एक अनुयायी बनकर संतुष्ट है। इसके विपरीत, भारत ने विदेश नीति में अपने स्वयं के हितों की भावना से निर्धारित अपना खुद का क्रम रखा है। भारतीय रवैये में इस स्फूर्तिदायक परिवर्तनों को देखते हुए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रम्प जैसे भिन्न-भिन्न नेता भारत के साथ एक नये रिश्ते की खोज में एकजुट हुए हैं

में भारत-इजराइल संबंधों के सामान्य होने के बाद से परंपरा थी। येरुशलम में रहने के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने केवल कुछ मील की दूरी पर फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी के मुख्यालय - रामल्लाह का दौरा नहीं करने का निर्णय किया, इस तरह एक-दूसरे से स्वतंत्र होकर मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ने की भारत की क्षमता और इच्छाशक्ति को इंगित किया।

46. कृषि में सहयोग, जल प्रबंधन और इजराइल की विशेषज्ञता वाले विलवणीकरण, अपशिष्ट प्रबंधन एवं रीसाइक्लिंग और स्टार्टअप जैसे अन्य विकास संबंधी मुद्दों जैसे कम आकर्षक लेकिन अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर द्विपक्षीय वार्ता और समझौते केंद्रित थे। मोदी की यात्रा तक, इन मुद्दों पर भारत में शायद ही कभी मीडिया या विद्वानों का ध्यान गया और इज़राइल के प्रति उनके विकास संबंधी दृष्टिकोण ने कई लोगों को पारंपरिक सुरक्षा प्रतिमान से दूर होने के लिए मजबूर किया।

47. पहली बड़ा परिवर्तन जुलाई 2015 में आया जब भारत ने 2014 के गाजा संघर्ष के दौरान 'युद्ध अपराधों' के लिए इजराइल की निंदा करने में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में अन्य देशों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया।

48. येरूशलेम के सवाल पर 2016 के अंत में एक और अधिक महत्वपूर्ण बदलाव आया। कुछ महीने पहले, इसने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) में एक अरब-प्रायोजित प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसने ईसा से पहले दो यहूदी मंदिरों की उपस्थिति

के बावजूद, शहर से यहूदी संबंधों पर सवाल उठाया था। उस वर्ष अक्टूबर में इसी तरह के एक प्रस्ताव में, भारत अलग रहा।

49. उदाहरण के लिए, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में एक बड़ा भारतीय समुदाय है और यह दशकों से एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार रहा है, लेकिन अमीरात में अंतिम प्रधानमंत्री स्तरीय यात्रा 1981 में हुई थी जब इंदिरा गांधी ने उस देश का दौरा किया था और मध्य-पूर्व के अधिकांश देशों के लिए समान सच है।

50. प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र के प्रति इस लंबी राजनीतिक उदासीनता को तोड़ दिया और अगस्त 2015 में यूएई की अपनी पहली यात्रा के बाद से प्रमुख देशों का दौरा करते रहे हैं। इसके बाद 2016 में उनकी सऊदी अरब (अप्रैल), ईरान (मई) और कतर (जून) की, इजराइल (2017) और 2018 की शुरुआत में फिलिस्तीन, यूएई और ओमान की यात्रा हुई। वह संयुक्त राष्ट्र और जी-20 शिखर सम्मेलन जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मध्य-पूर्व के नेताओं से मुलाकात करते रहे हैं। अन्य भारतीय नेता युद्धग्रस्त इराक, सीरिया और यमन सहित क्षेत्र के अन्य देशों का दौरा करते रहे हैं। एकमात्र देश जिसने भारतीय आगंतुक नहीं देखा था, वह लीबिया है, जहाँ गृह युद्ध ने भारत को अपना मिशन बंद करने के लिए विवश किया।

पड़ोसी प्रथम

51. 'पड़ोसी प्रथम' समान आर्थिक विकास, सांस्कृतिक और मानवीय चिंताओं को दूर करके विभाजनकारी क्षेत्रीय राजनीति की चुनौती को निपटाता है। यह अनुस्थापन उल्लेखनीय है क्योंकि दक्षिण एशिया को अक्सर एक फ्लैश बिंदु, विस्फोटक बक्से और एक रणनीतिक विच्छिन्न क्षेत्र के रूप में देखा गया है। इसे देशों के संघ के रूप में वैचारिक तौर पर मोड़ने की अवधारणा एक अलग नेतृत्व दृष्टि को दर्शाता है।

52. 2014 में काठमांडू में सार्क सम्मेलन में, जब सार्क मोटर वाहन समझौता (एमवीए) विफल हो गया, तो भारत ने निर्णय किया कि यह उप-क्षेत्रीयता को आगे बढ़ायेगा, अर्थात्, भूटान, बांग्लादेश, भारत और नेपाल (बीबीआईएन) एमवीए के साथ एक समान समझौता करेगा।

53. बीबीआईएन, बंगाल की खाड़ी के लिए बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (बिम्सटेक) पहल और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) जैसी कई उपक्षेत्रीय पहलकदमियाँ क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और जनता की भलाई के लिए बुनियादी ढाँचा बनाने के प्रयास में जुटी हैं। ये पहलकदमियाँ पृथकीकृत नहीं, बल्कि एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बीबीआईएन दक्षिण एशिया के पूर्वी भाग को जोड़ता है जबकि बिम्सटेक दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ता है। बीबीआईएन सार्क के भीतर पूर्ववर्ती त्रिपक्षीय तंत्रों का पुनर्समूह है, उदाहरण के लिए, गंगा की घाटी के विकास के लिए नेपाल, भारत और बांग्लादेश (एनआईबी) और ब्रह्मपुत्र पर पनबिजली विकसित करने के लिए बांग्लादेश, भारत और भूटान (बीआईबी) का प्रयास है।

54. 2014 से उप-क्षेत्रवाद भारत की कूटनीति का केंद्र बिंदु रहा है। 2014 में काठमांडू सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'भारत के लिए मैं जो भविष्य का सपना देख रहा हूँ, वह हमारे पूरे क्षेत्र के लिए एक भविष्य है।' इसके तुरंत बाद, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक भाषण में कहा: 'हम यह भी जानते हैं कि अपने आकार और स्थिति की खूबी के कारण भारत पर दक्षिण एशियाई विकास और पुनर्जागरण के इंजन को चलाने की एक विशेष जिम्मेदारी है।

ऐक्ट ईस्ट

55. प्रधानमंत्री मोदी ने मई 2014 में सत्ता संभालने के कुछ महीने बाद ही नवंबर 2014 में म्यांमार की राजधानी नायप्यीडॉ में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) सम्मेलन में अपनी ऐक्ट ईस्ट नीति का अनावरण किया।

56. प्रधानमंत्री मोदी ने चीन और वियतनाम, दोनों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने और मजबूत करने के साथ-साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से काम किया है। इसके दो व्यापक घटक हैं। सबसे पहले, चीन के साथ एक बहु-आयामी सक्रियता; और दूसरा, भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करना और वियतनाम जैसे देशों की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना।

57. जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते की घोषणा ने अपने पड़ोसियों के साथ विवादित सीमा मुद्दों को बातचीत और सहयोग के माध्यम से निस्तारित करने के भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया।

58. जून 2015 में, बिम्सटेक के तहत बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे। अप्रैल 2017 में, भारत ने पावर ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी के लिए बिम्सटेक सहमति पत्र की संपुष्टि की, जिससे उसके सदस्यों के बीच बिजली के व्यापार का रास्ता खुल गया।

59. बिम्सटेक न केवल दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ता है, बल्कि महान हिमालय और बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है। भारत के लिए, यह ‘पड़ोस प्रथम’ और ’ऐक्ट ईस्ट’ की हमारी प्रमुख विदेश नीति प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए एक स्वाभाविक मंच है।

60. नवंबर 2014 में म्यांमार में हुए बारहवें भारत-आसियान सम्मेलन का आसियान द्वारा स्वागत किया गया था। जनवरी 2018 के आसियान-भारत दिल्ली घोषणा आपसी लाभ के लिए आसियान-भारत रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने और गहरा करने पर अपनी साझा स्थिति बताता है।

61. मोदी ने मनीला में नवंबर 2017 में आसियान-भारत सम्मेलन, पूर्वी एशिया सम्मेलन और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और इसने

भारत को हिंद-प्रशांत कहे जाने वाले एशियाई क्षेत्र के केंद्र में रखा।

62. गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अतिथि के रूप में सभी दस आसियान प्रमुखों को आमंत्रित करके, भारत कई संदेश भेज रहा था। सबसे पहले, इसने एकल इकाई के रूप में आसियान को मान्यता दी। दूसरा, अगर भारत आर्थिक रूप से विस्तार करना चाहता है, तो आसियान और पश्चिम एशियाई देश इसके भविष्य के भागीदार हैं। तीसरा, यह उजागर कर रहा था कि भारत और आसियान देशों के सभ्यतागत संबंध उनकी समान हिंदू-बौद्ध विरासत में जुड़े हुए हैं।

63. ट्रांस-एशियन हाईवे रुब्रिक के तहत क्षेत्रीय सड़क संपर्क का विस्तार - नयी दिल्ली एक रणनीतिक द्वार के रूप में भूमिका निभाने से ज्यादा अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों और म्यांमार से जोड़ने का इच्छुक है –सक्रियता रणनीति में भारत की प्राथमिकता है और मोदी सरकार की ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी में प्रमुख घटक है।

64. शिपिंग नेटवर्क विकसित करने के लिए भारत, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम को मिलाकर आसियान-भारत समुद्री परिवहन कार्यसमूह की स्थापना का भी एक समझौता है। सितंबर 2016 में, लाओस की राजधानी वियनतियाने में भारत-आसियान सम्मेलन में मोदी ने टीएच और कंबोडिया, लाओस एवं वियतनाम के बीच कनेक्टिविटी पर एक संयुक्त कार्यबल का प्रस्ताव दिया था।

सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर)

65. विदेश नीति में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल : 2015 और 2017 में श्रीलंका की उनकी दो आधिकारिक यात्राएँ, साथ ही मार्च 2015 में मॉरीशस में उनके बयान, भारत की समुद्री विदेश नीति की एक व्यापक दृष्टि प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 'हिंद महासागर क्षेत्र मेरी सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत प्राथमिकताओं में से एक है। हमारा दृष्टिकोण

“सागर” की हमारी दृष्टि में स्पष्ट है, जिसका अर्थ है “महासागर” और इस क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए है।’

66. सागर नीति के पाँच उद्देश्य क्षेत्र में भारत को एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थान देना; क्षेत्र की संवर्धित समुद्री सुरक्षा क्षमताओं में भारत के योगदान को सक्षम करना; सामुद्रिक क्षेत्र की चुनौतियों का जवाब देने के लिए सामूहिक कार्रवाई के लिए काम करना; ब्लू या महासागर अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्र में एकीकृत सतत विकास करना; और क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि की प्राथमिक जिम्मेदारी क्षेत्र के देशों पर सुनिश्चित करना है।

67. भारत की जमीनी स्तर की कूटनीति ने क्षेत्र में प्रमुख देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव, सेशेल्स और मॉरीशस के साथ अंतर्संबंध गढ़े हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में भू-रणनीतिक सुरक्षा, और आर्थिक और विकासात्मक हितों को देखने के लिए एक संरचित त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा वार्ता (भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच) को डिजाइन किया गया है। हिंद महासागर क्षेत्र संघ (आईओआरए) के भविष्य की राह के लिए भारत के दृष्टिकोण को इस दृष्टिकोण में एकीकृत किया गया है।

68. मई 2017 में अहमदाबाद में अफ्रीकी विकास बैंक की बैठक में, प्रधानमंत्री मोदी ने एक एशिया-अफ्रीका विकास गलियारे के प्रस्ताव का उल्लेख किया, जिसे जापान के साथ साझेदारी में लागू किया जा सकता है। यह अफ्रीका के साथ भारत के संपर्क को एकीकृत करने के लिए हिंद महासागर के समुद्री क्षेत्र का उपयोग करने का एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ता है।

यूएनएससी

69. भारतीय आकांक्षा को आगे बढ़ाने में देश के भविष्य के साथ भारत के अतीत को प्रभावी ढंग से जोड़ने की मोदी की क्षमता तब कम करके आँकी गयी थी जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थायी सीट के लिए भारत की आकांक्षाओं के बारे में बात की। जहाँ पिछली

भारतीय सरकारें दो विश्व युद्धों में भारतीयों के योगदान को उजागर करने में शंकालु थीं, मोदी ने एक सदी से अधिक समय से विश्व शांति और स्थिरता के लिए भारतीयों द्वारा अपना बलिदान दिये जाने के तथ्य को रेखांकित करते हुए प्रथम विश्व युद्ध में अपने फ्रांसीसी समकक्षों के साथ लड़ते हुए मारे गए लगभग 10,000 भारतीयों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस तरह, यूएनएससी में भारत का स्थान देश का अधिकार है।

मोदी सरकार का दृष्टिकोण

नरेन्द्र मोदी का नया भारत : आधिपत्य नहीं, बल्कि स्फूर्तिदायक किस्सा

इससे पहले मार्च 2017 में, जब भाजपा ने उत्तर प्रदेश राज्य में प्रांतीय चुनावों में एक शानदार जनादेश जीता था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार एक नये भारत की बात की थी। उन्होंने अपने श्रोताओं को याद दिलाया कि 'सरकार का गठन बहुमत (मेजॉरिटी) से होता है, लेकिन सर्वमत (सर्वसम्मति) से चलता है, हम उन लोगों के लिए काम करते हैं जिन्होंने हमारे लिए वोट किया और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमारे लिए वोट नहीं किया'। निम्न कुछ उपायों के माध्यम से सरकार इस विचार को क्रियान्वित करने में जुटी।

1. माल और सेवा कर (जीएसटी) का कार्यान्वयन, सर्वसम्मति के माध्यम से किया गया, सभी राज्य सरकारों को साथ लेने की व्यापक कवायद हुई और साथ आयी राज्य सरकारों ने भारत की संघीय संरचना के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। मोदी सरकार का योजना आयोग को खत्म करने का निर्णय - जिन राज्यों में अतीत में प्रार्थी के रूप में आना पड़ता था – पूरी तरह राज्य सरकारों के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने से लगातार इनकार करने पर अक्सर उनकी आलोचना हुई है, लेकिन यह भारत की संघीय संरचना की नींव भी रख रही है।
2. हर वर्ष की तरह 15 अगस्त 2017 को, मोदी एक नया आयाम ले आये, और सामाजिक, सरकारी सहकार्य का आह्वान किया। उन्होंने गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद,

सांप्रदायिकता के कालकूट से भारत को छुटकारा दिलाने और भारत की स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगाँठ – '2022 तक हमारे सपनों का नया भारत सृजित करने' के लिए काम करने के लिए सभी को प्रेरित करते हुए नये भारत के लक्ष्यों और रूपरेखा को परिभाषित किया। मोदी ने जोर देकर कहा कि नये भारत का आह्वान भारत जोड़ो (भारत को एकजुट करो) का होना चाहिए, वह देखते हैं कि 'जाति, समुदाय और धर्म से परे हमारी असली ताकत यह है कि हम एक भारत हैं'।

3. नरेंद्र मोदी और उनके शासन दर्शन, जिसके माध्यम से वे नये भारत को आकार देना चाहते हैं, के लिए, सभी वर्ग इसके प्राकृतिक निर्वाचक हैं। उनकी सरकार और पार्टी का लक्ष्य और अभिलाषा सभी भारतीय नागरिकों के लिए समान माप में काम करना है। उन्होंने और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने वस्तुतः विकासात्मक लाभों के वितरण में भेदभाव को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में बात की और जोर देकर कहा कि विकास और विकास के अवसर सभी वर्गों तक समान माप में पहुँचने चाहिए।

4. मोदी इस पहलू पर स्पष्ट हैं कि विकास को सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए, इसके विपरीत अतीत, में यूपीए के डूबते जहाज को चलाने वाले एक प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। इसके विपरीत, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी ने कहा था कि जो गरीब है, हाशिए पर है, वंचित है, चाहे वह किस समुदाय और संप्रदाय से संबंधित हो, उसका संसाधनों पर पहला अधिकार है।

5. उनके लक्ष्यों के अनुसार हमारी सामूहिक मानसिकता में परिवर्तन हुआ है। जब से सत्ता की बागडोर संभाली है, मोदी ने लोगों की भागीदारी के माध्यम से बदलाव शुरू किया है - जिसे उन्होंने जन शक्ति और जन भागदारी का मिश्रण कहा है।

6. अपने पहले वर्ष में, मोदी ने बालिका शिशुओं को बचाने, उन्हें दृढ़ता से मजबूत बनाने और सशक्त बनाने के लिए आह्वान किया। बाद में, उन्होंने स्वच्छता और सफाई की आवश्यकता के बारे में

हर वर्ष की तरह 15 अगस्त 2017 को, मोदी एक नया आयाम ले आये, और सामाजिक, सरकारी सहकार्य का आह्वान किया। उन्होंने गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता के कालकूट से भारत को छुटकारा दिलाने और भारत की स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगाँठ – '2022 तक हमारे सपनों का नया भारत सृजित करने' के लिए काम करने के लिए सभी को प्रेरित करते हुए नये भारत के लक्ष्यों और रूपरेखा को परिभाषित किया। मोदी ने जोर देकर कहा कि नये भारत का आह्वान भारत जोड़ो (भारत को एकजुट करो) का होना चाहिए, वह देखते हैं कि 'जाति, समुदाय और धर्म से परे हमारी असली ताकत यह है कि हम एक भारत हैं'।

बात की और यदि भारत एक महान शक्ति बनाने का आकांक्षी हैतो इनको प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने की बात की।

7. इसके बाद उन्होंने गाँवों, घरों और जिंदगियों के विद्युतीकरण की आवश्यकता के बारे में बात की, जो बिजली से वंचित थे और जिन्हें पिछले सात दशकों से हाशिये पर रखा गया था। उनका प्रत्येक उद्बोधन केवल एक नारा नहीं था, बल्कि उन्हें राज्यों और सामाजिक स्तर पर हितधारकों को शामिल करते हुए व्यापक राष्ट्रीय आंदोलनों में परिणत होते देखा गया।

8. एक ऐसे प्रधानमंत्री को देखना स्फूर्तिदायक है जो बार-बार स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार और महिलाओं की गरिमा की बात करता है। पूरे आंदोलन ने गाँवों में कई 'स्वाभाविक नेताओं' को भी उभारा है जो लोगों को गति देने, प्रेरित करने और उन्हें जोड़ने और अधिक जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, इस प्रकार राज्य प्रणालियों पर बढ़ती निर्भरता के साथ गायब हो गयी कभी अस्तित्व में रही नेतृत्व में सामुदायिक भागीदारी की पारंपरिक प्रणाली को पुनर्जीवित करते हैं।

9. सशक्त और सक्षम करना मोदी का न्यू इंडिया का मंत्र है। जैसा कि वह बताते हैं, वह 'तंत्र को एक नियामक से एक सक्षम करने वाला बनाने के लिए बदलने की इच्छा रखते हैं'। वह कहते हैं, 'हमारी कार्यशैली और साथ ही मानसिकता को तत्काल सुदृढ़ करना समय की जरूरत है। यह

बड़ा समय है कि हम "नियामक" बनने से "सक्षम संस्थाओं" तक बढ़ गये हैं।

10. वास्तव में, भाजपा और मोदी सरकार ने आम भारतीय नागरिक के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों को चुनावी और राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने के लिए जबरदस्त ऊर्जा लगायी है। मुझे यह भी स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र की सेवा का मुद्दा भाजपा के लिए चुनावी औजार नहीं है। यह पार्टी के अस्तित्व का मूल सार है और यह ऐसी किसी भी चीज पर नहीं झुकेगा जो भारत के गौरव को चोट पहुँचाती है या हमारे देश की सुरक्षा को खतरे में डालती है।

11. मोदी ने संचार के नए माध्यम खोले हैं, जैसे कि उनकी और उनकी सरकार द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उठायी गयी सार्वजनिक शिकायतों को तेजी से निस्तारित किया जाता है (एमईए द्वारा संकट में अप्रवासियों को दी गयी सहायता का उदाहरण लें)। इस तरह के दृष्टिकोण अतीत से एक स्पष्ट अंतर को दर्शाते हैं और हम कैसे शासन का अनुभव करते हैं।

12. दुनिया भर में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने दर्शन से प्रेरित मोदी सरकार जब फादर एलेक्सिस प्रेम कुमार, जुडिथ डिसूजा और फादर टॉम उजुनालिल को बचाती है, कुछ लोग संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (यूएनएचआरसी) का दरवाजा खटखटाते हैं और भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और आंतरिक विस्थापन के बारे में झूठे दावे करते हैं। वास्तव में, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में, भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को वहां की सत्तारूढ़ व्यवस्था द्वारा निशाना बनाया जाना जारी है।

13. भारत को तेजी से एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, जो न केवल अपने राष्ट्रीय हित के लिए खड़े होने को तैयार है, बल्कि वैश्विक कल्याण में योगदान करने के लिए भी उत्सुक है। चीन के साथ डोकलाम प्रकरण और मोदी के तहत परिपक्व तरीके से भारत द्वारा शब्दाडंबर

और छाती ठोकना छोड़ कर दृढ़ता के साथ इसे संभालना; अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप कार्य करना, दबाव में न झुकना और व्यापक समर्थन हासिल करना अपने आप में एक उदाहरण है कि भारत 2014 के बाद से अपने वैदेशिक व्यवहार में कितना परिपक्व हुआ है।

14. भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर अधिक उत्साहपूर्वक पहरा है, भारत अपने लिए सही चीजों की सुरक्षा के लिए संकोची नहीं है, जब अपनी जमीन की रक्षा करनी होती है तो पीछे नहीं हटता, सितंबर 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक इसका उदाहरण था, इससे भारत को एक नरम और आज्ञाकारी राज्य बनाने की इच्छा रखने वाले कई लोगों को चिढ़ है।
15. मोदी के तहत भाजपा सहयोगी दलों और विभिन्न समुदायों के समर्थन से देश भर में अपने पैरों के निशान बढ़ा रही है। यह कोई आधिपत्य नहीं है, बल्कि नये भारत का नया स्फूर्तिदायक किस्सा है।

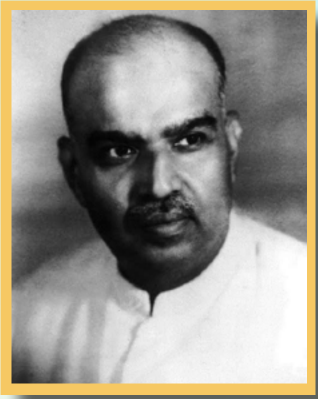

"The gigantic task of reconstruction, cultural, social, economic and political can be rendered possible thought coordinated efforts of bands of trained and disciplined Indians. Armed with the knowledge of Indian's past glory and greatness, her strength and weakness, it is they who can place before their country a programme of work, which while loyal to the fundamental traditions of India civilisation will be adapted to the changing conditions of the modern world."

-Dr. Syama Prasad Mookerjee

Published By:

Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

9, Ashoka Road New Delhi - 110001

E-mail: office@spmrf.org, Phone: 011-23005850